लोक सभा में 28 फरवरी, 2001
को पुरःस्थापित रूप में

**2001 का विधेयक संख्यांक 17**

[दि फाइनेंस बिल, 2001 का हिंदी अनुवाद]

# वित्त विधेयक, 2001

**वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक**

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2001 है।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 95, 1 अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

## अध्याय 2

# आय-कर की दरें

आय-कर ।

**2.** (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटा कर आए ऐसे कर में,- 1961 का 43

(क) उन दशाओं में, जिनमें उस भाग का पैरा क, पैरा ख, पैरा ग और पैरा घ लागू होता है, संघ के प्रयोजनों के लिए ; और

(ख) उन दशाओं में, जिनमें उस भाग का पैरा ङ लागू होता है,

प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, छह सौ रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,--

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी :

परंतु अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा कर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि कुल आय की बाबत आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 112 और धारा 113 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, यथास्थिति, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार या पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय की बाबत, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,--

(क) (i) किसी सहकारी सोसाइटी, फर्म और स्थानीय प्राधिकारी की दशा में ; ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) किसी कंपनी, सहकारी सोसाइटी, फर्म और स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में,--

(अ) ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है किंतु एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ; या

(आ) ऐसे आय-कर के सत्रह प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है,

परिकलित अधिभार ; और

(ख) किसी देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के तेरह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार,

संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द या धारा 115प के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु किसी विदेशी कंपनी की दशा में कोई अधिभार संदेय नहीं होगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, कटौती पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ; धारा 194ङङ; धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठ, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौती उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु किसी विदेशी कंपनी की दशा में कोई अधिभार संदेय नहीं होगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन या धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, यथास्थिति, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से या पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटा कर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत, पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगाः

परंतु किसी विदेशी कंपनी की दशा में कोई अधिभार संदेय नहीं होगा ।

(9) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,--

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर, इस प्रकार प्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय की बाबत ऐसे विहित इंतजाम कर लिए

हैं कि ऐसी आय में से संदेय लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश हैं) घोषणा और उनका संदाय भारत में किया जाए ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों के जारी रखने, नवीकरण या पुनरूज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या ईनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उस अधिनियम में हैं ।

## अध्याय 3

## प्रत्यक्ष कर

### आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

**3.** आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खंड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(12क) "बही या लेखा पुस्तक" के अंतर्गत खाता, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही और अन्य बही हैं, चाहे वे लिखित रूप में या किसी फ्लापी, डिस्क, टैप में संगृहीत डाटा के प्रिन्ट आऊट के रूप में या इलैक्ट्रो-चुम्बकीय डाटा भंडारण युक्ति के किसी अन्य प्ररूप में रखी जाएं ;';

(ख) खंड (22क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

2000 का 21

'(22कक) "दस्तावेज" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख है ;';

(ग) खंड (24) के उपखंड (ix) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'**स्पष्टीकरण**--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "लाटरी" के अंतर्गत किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लाट निकाल कर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से, किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए इनामों से जीत है ;

(ii) "ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल" के अंतर्गत टेलीविजन या इलेक्ट्रानिक माध्यम पर ऐसा कोई खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, या कोई अन्य समरूप खेल है ;';

(घ) खंड (28ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

1938 का 4

'(28खख) "बीमाकर्ता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (7क) के अधीन परिभाषित कोई ऐसी भारतीय बीमा कंपनी है, जिसे उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है ;'।

धारा 9 का संशोधन ।

**4.** आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ivक) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार ;";

(ii) खंड (vi) में, "उपखंड (i) से उपखंड (v)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (ivक) और उपखंड (v)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन।

**5.** आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) खंड (10ग) में,--

(i) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(viiक) किसी राज्य सरकार ; या";

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित उपखंड (viiक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(viiख) केंद्रीय सरकार ; या";

(ख) खंड (15) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) उपखंड (iv) में,--

(अ) मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस धनराशि पर, जो उसने भारत के बाहर स्रोतों से 1 जून, 2001 से पूर्व उधार ली हो या उन ऋणों पर जिनकी उस पर भारत के बाहर स्रोत की देनदारी हो, संदेय हो ;";

(आ) मद (ख) में, "किए गए किसी उधार करार के अधीन उधार ली हो" शब्दों के स्थान पर "1 जून, 2001 से पूर्व किए गए किसी उधार करार के अधीन उधार ली हो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) मद (ग) में, "विदेश में उधार ली हो या उपगत किया है" शब्दों के स्थान पर "1 जून, 2001 से पूर्व विदेश में उधार ली हो, या उपगत किया है" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) मद (घ) और मद (ङ) में, "उधार ली हो उस परिणाम तक" शब्दों के स्थान पर "1 जून, 2001 से पूर्व उधार ली हो उस परिणाम तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(उ) मद (च) में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित उधार-करार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा, 1 जून, 2001 से पूर्व भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित उधार-करार" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iv) के स्पष्टीकरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 1क**--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "ब्याज" पद के अंतर्गत ऋण के विलंबित संदाय पर या व्यतिक्रम पर संदत्त ब्याज नहीं है, यदि वह ऐसे ऋण के निबंधनानुसार संदेय ब्याज की दर से दो प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक है ।';

(ग) खंड (23ककख) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) आरंभिक भाग में, "किसी पेंशन स्कीम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "या किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ii) में, "बीमा नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, बीमा नियंत्रक या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 1999 का 41

(घ) खंड (23खखग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(23खखघ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "ए.एस.ओ.एस.ए.आई.-सेक्रेटेरिएट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरिएट आफ एशियन आर्गेनाइजेशन ऑफ दी सुप्रीम आडिट इंस्टिट्यूशन की, 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत तीन पूर्ववर्षों के लिए कोई आय ;"; 1860 का 21

(ङ) खंड (23ग) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) तीसरे परंतुक में,--

(i) खंड (क) में, "वह उद्देश्य जिसके लिए उसे स्थापित की गई है" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे मामले में जहां कोई आय 1 अप्रैल, 2001 के पश्चात् संचित होती है वहां ऐसे संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्द, और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में,--

(अ) उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iक) किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा धारित कोई आस्ति, जो किसी पब्लिक कंपनी के साधारण शेयर हैं, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1998 को किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की संपत्ति का भागरूप हैं ;";

(आ) उपखंड (iii) में, "उपखंड (i)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् "और उपखंड (iक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) आठवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था की या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की कुल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हैं या जहां उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां, यथास्थिति, निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य संस्था,--

(i) किसी स्थानीय समाचारपत्र में अपने लेखाओं को प्रकाशित करेगी ; और

(ii) इस खंड के पहले परंतुक में विहित आवेदन के साथ उस स्थानीय समाचारपत्र की प्रति देगी जिसमें ऐसे लेखे प्रकाशित किए गए हैं ।";

(च) खंड (23चख) में,--

(क) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा अर्थात् :--

"(i) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई किसी जोखिम पूंजी स्कीम के अधीन चलाई जा रही है ;"; 1908 का 16 1963 का 52

(ख) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 2**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की आय पर उस दशा में छूट जारी रहेगी यदि उस जोखिम पूंजी उपक्रम के, जिसमें जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने आरंभिक विनिधान किया है, शेयर बाद में भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाते हैं । ";

(छ) खंड (23छ) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) "अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना पूंजी कंपनी" शब्दों के पश्चात्, "या सहकारी बैंक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "ऐसे उद्यम में, जो किसी अवसंरचना सुविधा का (i) विकास करने, (ii) अनुरक्षण और प्रचालन करने, या (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने, के कारबार में पूर्णतः लगा हुआ है", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "ऐसे उद्यम या उपक्रम में, जो धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतः लगा हुआ है", शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण 1 में,--

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ङ) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा, जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (घघ) में है ; 1961 का 47

(च) "ब्याज" के अंतर्गत किसी ऐसे उद्यम के संबंध में, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है, कोई गारंटी देने या प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध कराने के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त कोई फीस या कमीशन है । ';

(ज) खंड (33) में, उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2000 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह खंड भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों को, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या ऐसी पारस्परिक निधि से भिन्न व्यक्ति को अंतरण से उद्भूत किसी आय को लागू नहीं होगा :'।

**6.** आय-कर अधिनियम की धारा 10क में,-- धारा 10क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, "उपक्रम ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में पहली बार स्थापित किया गया था" शब्दों के स्थान पर, "उपक्रम ने ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ किया था" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक का, 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ, वह रकम होगी जो उपक्रम के कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है, जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंम्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का उपक्रम द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है ।";

(ग) उपधारा (9) के पश्चात्,--

(i) स्पष्टीकरण 1 में, "ऐसी कंपनी की दशा में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के खंड (iv) में, "निर्यात के संबंध में" शब्दों के स्थान पर, "उपक्रम द्वारा निर्यात के संबंध में," शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है, कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ, भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।" ।

**7.** आय-कर अधिनियम की धारा 10ख में,-- धारा 10ख का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक का, 1 अप्रैल, 2002 से, लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जो उपक्रम के कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंम्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का उपक्रम द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है ।";

(ग) उपधारा (9) के पश्चात्,--

(i) स्पष्टीकरण 1 में, "ऐसी कंपनी की दशा में" शब्दों के स्थान पर "ऐसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) में, "निर्यात के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "उपक्रम द्वारा निर्यात के संबंध में," शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्निलिखित स्पष्टीकरण, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।"।

**8.** आय-कर अधिनियम की धारा 10ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1994 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 10खख का अंतःस्थापन ।

2000 का 10

'10खख. किसी उपक्रम द्वारा धारा 10ख, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 7 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पूर्व विद्यमान थी, के अधीन कंप्यूटर कार्यक्रम के उत्पादन से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उस धारा में "कंप्यूटर कार्यक्रम" शब्दों के स्थान पर, "कंप्यूटर कार्यक्रम या इलैक्ट्रानिक डाटा का प्रसंस्करण या प्रबंधन" शब्द रखे गए हों ।'। कतिपय मामलों में कंप्यूटर कार्यक्रमों का अर्थ ।

**9.** आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 11 का संशोधन।

'परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् संचित या अलग रखी गई किसी आय की बाबत इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "पांच वर्ष" शब्द रखे गए हों। '।

**10.** आय-कर अधिनियम की धारा 12क में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- धारा 12क का संशोधन।

"(ग) जहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, इस अधिनियम के अधीन यथासंगणित न्यास या संस्था की कुल आय किसी पूर्ववर्ष में दस लाख रुपए से अधिक हो जाती है, वहां न्यास या संस्था ने,-

(i) धारा 139 की उपधारा (4क) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए उसके मामले में लागू नियत तारीख के पूर्व, किसी स्थानीय समाचारपत्र में अपने लेखे प्रकाशित किए हैं ; और

(ii) ऐसी विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की एक प्रति दी है ।"।

**11.** आय-कर अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 14क का अंतःस्थापन ।

"14क. इस अध्याय के अधीन कुल आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"। कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय ।

धारा 16 का संशोधन।

**12.** आय-कर अधिनियम की धारा 16 में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) ऐसे निर्धारिती को, जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त सत्कार भत्ते के प्रकार में किसी भत्ते के संबंध में, उसके वेतन के (किसी भत्ते, फायदे या अन्य परिलब्धि को छोड़कर), पंचमांश के बराबर राशि या पांच हजार रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती ;"।

धारा 17 का संशोधन।

**13.** आय-कर अधिनियम की धारा 17 में,--

(क) खंड (2) में,--

(i) उपखंड (iii) में,--

(अ) मद (ग) में, "चौबीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में, "अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या उक्त कंपनी की स्कीम" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को प्रस्तावित कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1992 का 15

(ii) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(viii) किसी ऐसे अन्य सीमांत फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य जो विहित किया जाए।";

(ख) खंड (3) में, उपखंड (ii) और उससे संबंधित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) कोई रकम जो निर्धारिती को या उसके द्वारा किसी व्यक्ति से--

(अ) उस व्यक्ति के पास कोई नियोजन उसके द्वारा ग्रहण करने से पूर्व ; या

(आ) उस व्यक्ति के साथ उसके नियोजन के समाप्त करने के पश्चात्,

एक मुश्त रूप में या अन्यथा शोध्य है या प्राप्त है ।"।

धारा 23 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

वार्षिक मूल्य कैसे अवधारित किया जाता है ।

**14.** आय-कर अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :--

"23. (1) धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, किसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य निम्नलिखित समझा जाएगा, अर्थात् :--

(क) वह राशि जिस पर संपत्ति के वर्षानुवर्ष किराए पर दिए जाने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती हो ; या

(ख) जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किराए पर दिया जाता है और उसकी बाबत स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया खंड (क) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, वहां इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य रकम ; या

(ग) जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किराए पर दिया जाता है और संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके किसी भाग के दौरान खाली था और इस प्रकार खाली रहने के कारण उसकी बाबत स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया खंड (क) में निर्दिष्ट राशि से कम है वहां इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य रकम :

परंतु संपत्ति की बाबत किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत कर की (ऐसे पूर्ववर्ष को दृष्टि में लाए बिना जिसमें ऐसे करों का संदाय करने का दायित्व ऐसे स्वामी द्वारा निरंतर अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार उसके द्वारा उपगत किया गया था) उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे करों का उसके द्वारा वास्तव में संदाय किया जाता है, संपत्ति के वार्षिक मूल्य को अवधारित करने में कटौती की जाएगी ।

**स्पष्टीकरण**--इस उपधारा के खंड (ख) या खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराए की रकम के अंतर्गत ऐसे नियमों के अधीन जो इस निमित्त बनाए जाएं किराए की वह रकम नहीं होगी जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता है।

(2) जहां संपत्ति में कोई ऐसा गृह या गृह का भाग है जो,--

(क) स्वामी के स्वयं उसके निवास के प्रयोजनों के लिए अधिभोग में है ; या

(ख) स्वामी द्वारा इस तथ्य के कारण कि उसके नियोजन, कारबार या वृत्ति के किसी अन्य स्थान पर चलाए जाने के कारण उसे अन्य स्थान में किसी ऐसे भवन में निवास करना पड़ रहा है,जो उसका नहीं है, उसका वस्तुतः अधिभोग नहीं किया जा सकता,

ऐसे गृह या गृह के भाग का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि--

(क) गृह या गृह का भाग संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके भाग के दौरान वास्तव में किराए पर दिया जाता है ; या

(ख) स्वामी द्वारा उससे कोई अन्य फायदा व्युत्पन्न किया जाता है ।

(4) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति में एक से अधिक गृह हैं वहां--

(क) उस उपधारा के उपबंध ऐसे गृहों में से केवल एक की बाबत लागू होंगे जो निर्धारिती अपने विकल्प पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उस गृह से भिन्न जिसकी बाबत निर्धारिती ने खंड (क) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, गृह या गृहों का वास्तविक मूल्य उपधारा (1) के अधीन ऐसे अवधारित किया जाएगा मानो ऐसा गृह या ऐसे गृह किराए पर दिया गया हो/दिए गए हों ।"।

धारा 24 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

गृह संपत्ति से आय से कटौतियां ।

**15.** आय-कर अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :--

'24. "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् संगणित की जाएंगी, अर्थात् :--

(क) ऐसी राशि, जो वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर हो ;

(ख) जहां संपत्ति का अर्जन, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुनःसन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है, वहां ऐसी पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम :

परंतु धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत, कटौती की रकम तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी से किया जाता है और ऐसा अर्जन या सन्निर्माण 1 अप्रैल, 2003 से पहले पूरा हो जाता है वहां इस खंड के अधीन कटौती की रकम एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

**स्पष्टीकरण**--जहां संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है वहां उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण किया गया है, पहले की अवधि के लिए उधार ली गई ऐसी पूंजी पर संदेय ब्याज की, यदि कोई हो, जिसमें से वह भाग घटा दिया जाएगा जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है, इस खंड के अधीन उक्त पूर्ववर्ष के लिए और उसके ठीक बाद के चार पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी ।'।

**16.** आय-कर अधिनियम की धारा 25 में, "वार्षिक प्रभार या" शब्दों का 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 25 का संशोधन।

**17.** आय-कर अधिनियम की धारा 25क में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 25क का संशोधन।

(क) "धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (x) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर और अंकों के पश्चात्, "जैसा वह वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा इसका प्रतिस्थापन किए जाने के ठीक पूर्व विद्यमान थी" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 23 या धारा 24 के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "जैसा वह वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा इसका प्रतिस्थापन किए जाने के ठीक पूर्व विद्यमान थी" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

**18.** आय-कर अधिनियम की धारा 25क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 25कक का अंतःस्थापन ।

"25कक. जहां निर्धारिती ऐसी किसी संपत्ति से, जो किराए पर किसी किराएदार को दी गई है, किराया वसूल न कर सकता है और तत्पश्चात् निर्धारिती ने ऐसे किराए की बाबत कोई रकम वसूल की है, वहां इस प्रकार वसूल की गई रकम "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जाएगी जिसमें ऐसा किराया वसूल किया जाता है चाहे ऐसा निर्धारिती उस पूर्ववर्ष में उस संपत्ति का स्वामी है अथवा नहीं ।"। बाद में प्राप्त वसूल न किए गए किराए का आय-कर से प्रभारित होना ।

**19.** आय-कर अधिनियम की धारा 25ख में, "संपत्ति की मरम्मत और किराए की संगणना के लिए ऐसी रकम के एक-चौथाई के बराबर रकम" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम के तीस प्रतिशत के बराबर राशि" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 25ख का संशोधन।

**20.** आय-कर अधिनियम की धारा 27 के खंड (iv) और खंड (v) का 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 27 का संशोधन।

**21.** आय-कर अधिनियम की धारा 32 में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 32 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (ii) में, स्पष्टीकरण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 5**--शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के उपबंध लागू होंगे चाहे निर्धारिती ने अपनी कुल आय की संगणना करने में अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया है अथवा नहीं ।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) जहां निर्धारिती के निर्धारण में उपधारा (1) के अधीन किसी मोक को किसी पूर्ववर्ष में इस कारण कि उस पूर्ववर्ष के लिए प्रभार्य कोई लाभ या अभिलाभ नहीं है या इस कारण कि लाभ या अभिलाभ मोक से कम है, पूर्णतया प्रभावी नहीं किया जा सकता है वहां धारा 72 की उपधारा (2) और धारा 73 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, वह मोक या उस मोक का भाग जिसे प्रभावी नहीं किया गया है, आगामी पूर्ववर्ष के लिए अवक्षयण के लिए मोक की रकम में जोड़ा जाएगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस मोक का भाग है, या यदि उस पूर्व वर्ष के लिए ऐसा कोई मोक नहीं है तो उसे उस पूर्ववर्ष के लिए मोक समझा जाएगा और उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों के लिए इस प्रकार समझा जाता रहेगा ।"।

**22.** आय-कर अधिनियम की धारा 33कख की उपधारा (1) में, "लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि" शब्दों के स्थान पर "लाभ के चालीस प्रतिशत के बराबर की राशि" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 33कख का संशोधन ।

**23.** आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 35 का संशोधन।

(क) उपधारा (2कक) में,--

(i) "विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" शब्दों के स्थान पर, "विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(घ) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है ।';

(ख) उपधारा (2कख) में,--

(i) खंड (1) में, "जो किन्हीं ओषधियों," शब्दों के स्थान पर "जो जैव-प्रौद्योगिकी के कारबार में लगी हुई है या जो किन्हीं ओषधियों," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ओषधियों और भेषजियों के संबंध में "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय" के अंतर्गत क्लीनिक संबंधी ओषधि परीक्षण, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन किसी विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने और पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी अन्वेषण के पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन फाइल करने में उपगत व्यय भी है ।'। 1970 का 39

**24.** आय-कर अधिनियम की धारा 35घघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- नई धारा 35घघक का अंतःस्थापन ।

"35घघक. (1) जहां कोई निर्धारिती किसी पूर्ववर्ष में स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों के अनुसरण में किसी कर्मचारी को उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के समय किसी रकम के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है वहां इस प्रकार संदत्त रकम का एक बटा पांच की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में की जाएगी और शेष की कटौती ठीक चार उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में की जाएगी : स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का क्रमिक अपाकरण।

परंतु यह तब जब कि ऐसा संदाय धारा 10 के खंड (10ग) के परंतुक के अधीन विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन बनाई गई स्कीम या स्कीमों के अनुसरण में किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में वर्णित व्यय की बाबत कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।"'।

धारा 43ख का संशोधन ।

**25.** आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) खंड (ङ) में, "या" शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च) किसी ऐसी राशि की बाबत जो नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारी के जमा खाते में की किसी छुट्टी के बदले में संदेय है,";

(iii) पहले परंतुक में, "खंड (ङ)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात् "या खंड (च)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण 3क के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3ख**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कटौती उस पूर्ववर्ष की (जो 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है), जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है, वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुतः संदत्त की जाती है, आय की संगणना करने में ऐसी राशि की बाबत इस धारा के अधीन किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।"।

धारा 44कख का संशोधन ।

**26.** आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में,--

(क) दूसरे परंतुक में, "विहित प्ररूप में" शब्दों के पश्चात् "किसी लेखाकार द्वारा" शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ii) किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लेखे के संबंध में, "विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारण वर्ष की जुलाई का 31वां दिन ।'।

धारा 47 का संशोधन।

**27.** आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,--

(क) खंड (iii) के परंतुक में, "कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1992 का 15

(ख) खंड (viiक) में, "शेयर" शब्द के स्थान पर, "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन।

**28.** आय-कर अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2कक) जहां पूंजी अभिलाभ शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों के अंतरण से उद्भूत होता है जिसका मूल्य धारा 17 के खंड (2) के अधीन परिलब्धि के मूल्य की संगणना करते समय हिसाब में लिया गया है, ऐसे शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों के अर्जन की लागत उस खंड के अधीन मूल्य होगी ।"।

धारा 54ङग का संशोधन ।

**29.** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ख) "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से अभिप्रेत है,--

(i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् ; 1981 का 61 1988 का 68

(ii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात्, 1956 का 1

जारी किया गया तीन वर्षीय मोचनीय कोई बंधपत्र, और ' ।

नई धारा 54ङघ का अंतःस्थापन ।

**30.** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिट के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय मामलों में प्रभारित न किया जाना ।

'54ङ घ.(1) जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं, अंतरण से उद्भूत होता है, (इस प्रकार अंतरित पूंजी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) और निर्धारिती ने, ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर पूंजी के पात्र निर्गम के (ऐसे साधारण शेयरों को इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट साधारण शेयर कहा गया है) भागरूप साधारण शेयर अर्जित करने में, संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां उक्त पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :--

(क) यदि विनिर्दिष्ट साधारण शेयर की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ से कम नहीं है तो ऐसे संपूर्ण पूंजी अभिलाभ को धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ;

(ख) यदि विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम है तो पूंजी अभिलाभ के उतने भाग का, जिसका संपूर्ण पूंजी अभिलाभ का वही अनुपात है जो अर्जित विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत का संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "पात्र पूंजी निर्गम" से साधारण शेयरों का वह निर्गम अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(क) निर्गम भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किया जाता है,

(ख) निर्गम के भागरूप शेयर जनता को प्रतिश्रुति के लिए आफर किए जाते हैं ;

(ii) "सूचीबद्ध प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 112 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ;

(iii) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 115कख के खंड (ख) में है ।

(2) जहां विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों का उनके अर्जन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है वहां मूल आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ की रकम जो उपधारा (1) में, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित ऐसे विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्व वर्ष के, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों का विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों से संबंधित 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

(3) जहां विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत को उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है वहां ऐसी लागत के संदर्भ में आय-कर की रकम में से कटौती धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।'।

**31.** आय-कर अधिनियम की धारा 54ज में, "54ङक, 54ङख" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "54ङग" अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 54ज का संशोधन।

**32.** आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (क) में "किसी कारबार की गुडविल" शब्दों के पश्चात् "या किसी कारबार से सहयुक्त व्यापार चिह्न या ब्राण्ड नाम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 55 का संशोधन।

**33.** आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (7) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2000 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 72क का संशोधन।

'(कक) "औद्योगिक उपक्रम" से कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो,--

(i) माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में ; या

(ii) कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण में ; या

(iii) विद्युत या शक्ति के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण के कारबार में ; या

(iv) खनन में ; या

(v) पोत, वायुयान या रेल प्रणाली के सन्निर्माण में,

लगा हुआ है ;'।

**34.** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग की उपधारा (1) में, "भारतीय जीवन बीमा निगम" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य बीमाकर्ता" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80गगग का संशोधन ।

**35.** आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 80घ का संशोधन।

"परंतु ऐसा बीमा,--

1972 का 57 (क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा ; या

1999 का 41 (ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा इस निमित्त बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसार होगा ।"।

**36.** आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्दों के स्थान पर, ", "किसी अन्य बीमाकर्ता या भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्द, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 80घघ का संशोधन ।

**37.** आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 80छ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (i) में, "या उपखंड (iii जझ)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या उपखंड (iii जञ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, उपखंड (iiiजझ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iiiजझ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास ; या"। 1999 का 44

**38.** आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ के परंतुक के खंड (ii) में, "धारा 23 की उपधारा (2) के, यथास्थिति, खंड (क) के उपखंड (i) या खंड (ख) के अधीन" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 23 की, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (क) या उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 80छछ का संशोधन ।

**39.** आय-कर अधिनियम की धारा 80जजङ में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 80जजङ का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण**--शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ, भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के रूप में समझे जाएंगे ।"।

**40.** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में,-- धारा 80झक का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न हुए हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी।";

(ख) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां निर्धारिती उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना सुविधा का विकास या प्रचालन और अनुरक्षण अथवा विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करता है, वहां इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पन्द्रह वर्ष"शब्दों के स्थान पर "बीस वर्ष" शब्द रखे गए हों ।";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे उपक्रम की, जो उपधारा (4) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट दूर-संचार सेवाओं को उपलब्ध कराता है, कुल आय की संगणना करने में कटौती उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधियों के दौरान किसी समय प्रारंभ होने वाले पहले पांच निर्धारण वर्षों के लिए पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् अतिरिक्त पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का तीस प्रतिशत होगी ।";

(घ) उपधारा (3) में, "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा;

(ङ) उपधारा (4) में,--

(i) खंड (i) में,--

(अ) "(i) किसी अवसंरचना सुविधा का--(i) विकास करने, (ii) अनुरक्षण करने और प्रचालन करने, (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने का कारबार करने वाले" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "(i) किसी अव संरचना सुविधा का (i) विकास करने, या (ii) अनुरक्षण और प्रचालन करने, या (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने का कारबार करने वाले" शब्द, कोष्ठक और अंक, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) उसने केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी निकाय के साथ किसी नई अवसंरचना सुविधा का (i) विकास करने, या (ii) प्रचालन और अनुरक्षण करने, या (iii) विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए करार किया ;";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना सुविधा" से अभिप्रेत है,--

(क) कोई सड़क, जिसके अंतर्गत चुंगी सड़क, कोई पुल या कोई रेल प्रणाली है ;

(ख) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत ऐसे आवासन या अन्य क्रियाकलाप हैं, जो राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग हैं ;

(ग) कोई जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मल वहन प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली ;

(घ) पत्तन, वायुपत्तन, अंतर्देशीय जल मार्ग या अंतर्देशीय पत्तन ।';

(iii) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) किसी ऐसे उपक्रम को, जिसने दूर-संचार सेवाएं, चाहे आधारिक हों या सेलुलर जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा या ट्रंक, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं हैं, 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2003 को या उसके पूर्व प्रदान करना प्रारंभ किया है या वह प्रारंभ करता है ;";

(iv) खंड (iii) में,--

(अ) "औद्योगिक पार्क" शब्दों के पश्चात् "या विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) "31 मार्च, 2002" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2006" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (iv) में,--

(अ) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा;

(आ) उपखंड (क) और उपखंड (ख) में, "31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली", अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (7) में "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा ;

(छ) उपधारा (8) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) "माल" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "माल या सेवाएं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या सेवा के संबंध में, "बाजार मूल्य" से वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं से खुले बाजार में साधारणतया प्राप्त होगी ;';

(ज) उपधारा (9) में, "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा ।

धारा 80झख का संशोधन ।

**41.** आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) उपधारा (1) में, "(3) से (11)" कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, "(3) से (11) और (11क)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(11क) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के समेकित कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे उपक्रम से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ का सौ प्रतिशत होगी और तत्पश्चात्, ऐसे कारबार की संक्रिया से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ का पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) ऐसी रीति से होगी कि कटौती की कुल अवधि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से अधिक न हो और इस शर्त को पूरा करने के अधीन होगी कि वह ऐसे कारबार की संक्रिया 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है ।";

(ग) उपधारा (14) में, खंड (ग) के उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(iv) खाद्यान की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के समेकित कारबार में लगे किसी उपक्रम की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम ऐसा कारबार प्रारंभ करता है ।"।

धारा 80ठ का संशोधन ।

**42.** आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) खंड (x) में "बारह हजार" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "नौ हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (x) के नीचे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 88 का संशोधन ।

**43.** आय-कर अधिनियम की धारा 88 में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'परंतु यह और कि कोई व्यक्ति उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों के योग के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगा, यदि "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसकी आय--

(क) धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व पूर्ववर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं है; और

(ख) धारा 80ख की उपधारा (5) में यथापरिभाषित उसकी सकल कुल आय के नब्बे प्रतिशत से कम नहीं है,';

(ख) उपधारा (2) के खंड (xiiiक) में, "जीवन बीमा निगम" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य बीमाकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 92 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

**44.** आय-कर अधिनियम की धारा 92 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएंगी, अर्थात् :--

असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय की संगणना ।

'92.(1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से उदभूत होने वाली किसी आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आय की संगणना करने में, किसी व्यय या ब्याज का मोक भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा ।

(3) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में, दो या अधिक सहयुक्त उद्यम, ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को दिए गए या दिए जाने वाले किसी फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत की जाने वाली किसी लागत या व्यय के आबंटन या प्रभाजन के लिए या उसको कोई अभिदाय करने के लिए कोई परस्पर करार या ठहराव करते हैं वहां ऐसे किसी उद्यम द्वारा या उसको, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या अभिदाय की गई लागत या व्यय, यथास्थिति, ऐसे फायदे, सेवा या सुविधा के लिए असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए होगा ।

सहयुक्त उद्यम का अर्थ।

92क. (1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च के प्रयोजनों के लिए, अन्य उद्यम के संबंध में, "सहयुक्त उद्यम," से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है,--

(क) जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या किसी एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यमों के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है ; या

(ख) जिसके संबंध में एक या अधिक व्यक्ति जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से इसके प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं, वही व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यम के प्रबंध या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं ।

(2) दो उद्यम सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,--

(क) एक उद्यम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे शेयर धारण करता है जो अन्य उद्यम में मतदान शक्ति छब्बीस प्रतिशत से अन्यून है; या

(ख) कोई व्यक्ति या उद्यम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, ऐसे शेयर धारण करता है जिनकी ऐसे प्रत्येक उद्यमों में मतदान शक्ति छब्बीस प्रतिशत से अन्यून है ; या

(ग) एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को दिया गया कोई अग्रिम उधार अन्य उद्यम की कुल आस्तियों के बही मूल्य का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून है ; या

(घ) एक उद्यम दूसरे उद्यम के कुल उधारों का दस प्रतिशत से अन्यून की गारंटी देता है ; या

(ङ) एक उद्यम के निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड के सदस्यों के आधे से अधिक, या शासी बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों या कार्यपालक सदस्यों में से एक या अधिक अन्य उद्यम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ; या

(च) दोनों उद्यमों में से प्रत्येक के शासी बोर्ड के निदेशकों या सदस्यों से आधे से अधिक, या कार्यपालक निदेशकों या शासी बोर्ड के सदस्यों में से एक या अधिक एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ; या

(छ) माल या वस्तु का विनिर्माण या प्रसंस्करण या एक उद्यम द्वारा चलाया जाने वाला कारबार पूर्णतया जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न अनुज्ञप्ति, मताधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकारों पर या किसी डाटा, दस्तावेजीकरण, ड्राइंग या विनिर्देश पर आश्रित है जो किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया से संबंधित हैं, जिसका अन्य उद्यम स्वामी है या जिसके संबंध में अन्य उद्यम को अनन्य अधिकार है ; या

(ज) किसी एक उद्यम द्वारा चलाए जाने वाले माल या वस्तुओं के विनिर्माण प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और खपत योग्य वस्तुओं का नब्बे प्रतिशत या अधिक किसी अन्य उद्यम द्वारा या अनन्य उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रदाय किया जाता है और प्रदाय से संबंधित कीमत और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती हैं ; या

(झ) एक उद्यम द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल या वस्तुओं का अन्य उद्यम को या अन्य उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विक्रय किया जाता है और उससे संबंधित कीमत और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती हैं ; या

(ञ) जहां एक उद्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां अन्य उद्यम भी ऐसे व्यक्ति या उसके किसी नातेदार या संयुक्ततः ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के नातेदार द्वारा नियंत्रित किया जाता है ; या

(ट) जहां एक उद्यम किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां अन्य उद्यम ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नातेदार द्वारा या ऐसे सदस्य और उसके नातेदार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है ; या

(ठ) जहां एक उद्यम कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि-निकाय है वहां अन्य उद्यम ऐसी फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि-निकाय में दस प्रतिशत से अन्यून धारण करता है ; या

(ड) दो उद्यमों के बीच परस्पर हित की ऐसी कोई नातेदारी विद्यमान है जो विहित किया जाए ।

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ।

92ख. (1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ के प्रयोजनों के लिए, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" से दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच, जिनमें से कोई एक या दोनों अनिवासी हैं, मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की प्रकृति का, या सेवाओं के उपबंध या धन उधार देने या उधार लेने का कोई संव्यवहार या ऐसा कोई अन्य संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसका ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या आस्तियों से संबंध है, और इसके अंतर्गत ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को दी गई या दी जाने वाली प्रसुविधा, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत की जाने वाली लागत या व्यय को किसी अभिदाय के आबंटन या प्रभाजन के लिए दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच कोई परस्पर करार या ठहराव भी हैं ।

(2) सहयुक्त उद्यम से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ किसी उद्यम द्वारा किए गए संव्यवहार के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह दो सहयुक्त उद्यमों के बीच किया गया संव्यवहार है, यदि ऐसे अन्य व्यक्ति या सहयुक्त उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में कोई पूर्व करार विद्यमान है या सुसंगत संव्यवहार के निबंधन ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच सारवान रूप से अवधारित किए जाते हैं ।

असन्निकट कीमत की संगणना ।

92ग. (1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक के द्वारा किया जाएगा, जो संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या सहयुक्त व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को अथवा ऐसी अन्य सुसंगत बातों को, जो बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक समुचित पद्धति है, अर्थात् :--

(क) तुल्य अनियंत्रित कीमत पद्धति ;

(ख) पुनर्विक्रय कीमत पद्धति ;

(ग) लागत धन पद्धति ;

(घ) लाभ विभाजन पद्धति ;

(ङ) संव्यवहारात्मक शुद्ध पार्श्व पद्धति ;

(च) ऐसी अन्य पद्धति, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए लागू की जाएगी :

परंतु जहां एक कीमत से अधिक का अवधारण सर्वाधिक उपयुक्त रीति से किया जाएगा वहां असन्निकट कीमत को ऐसे मूल्य की अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।

(3) जहां आय के निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के अनुक्रम के दौरान निर्धारण अधिकारी का उसके कब्जे में सामग्री या सूचना या दस्तावेजों के आधार पर यह मत है कि--

(क) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत का अवधारण उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार नहीं किया गया है ; या

(ख) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित कोई सूचना और दस्तावेज, निर्धारिती द्वारा धारा 92घ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, नहीं रखी गई है और अनुरक्षित नहीं की गई है ; या

(ग) असन्निकट कीमत की संगणना करने में प्रयुक्त सूचना या डाटा विश्वसनीय या सही नहीं है ; या

(घ) निर्धारिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी कोई सूचना या दस्तावेज देने में असफल रहा है, जिसे धारा 92घ की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई किसी सूचना द्वारा देने की उससे अपेक्षा की गई थी,

वहां निर्धारण अधिकारी उक्त अतंरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत के अवधारण की कार्यवाही, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार उसके पास उपलब्ध ऐसी सामग्री या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर करेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को ऐसी तारीख को या समय पर हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करके यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि असन्निकट कीमत का अवधारण निर्धारण अधिकारी के कब्जे में सामग्री, या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर क्यों न किया जाए ।

(4) जहां असन्निकट कीमत का अवधारण निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन किया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना कर सकेगा :

परंतु धारा 10क या धारा 10ख या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती ऐसी आय की रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिस तक निर्धारिती की कुल आय इस उपधारा के अधीन आय की संगणना के पश्चात् बढ़ जाती है ।

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचना और दस्तावेजों का रखा जाना और बनाए रखना ।

92घ. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, उसकी बाबत ऐसी सूचना और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड वह अवधि विहित कर सकेगा जिसके लिए उस उपधारा (1) के अधीन सूचना और दस्तावेज रखी और बनाए रखी जाएगी ।

(3) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, उसकी बाबत कोई सूचना या दस्तावेज जो उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाए, इस बाबत जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देने की अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, तीस दिन की अवधि को तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

लेखापाल की रिपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना ।

92ङ. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट को विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रूप में सत्यापित ऐसी विशिष्टियों को वर्णित करते हुए, जो विहित की जाए, देगा ।

92च. धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-- असन्निकट कीमत आदि की संगणना के लिए सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाएं ।

(i) "लेखापाल" का वही अर्थ है जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है ;

(ii) "असन्निकट कीमत" से वह कीमत अभिप्रेत है जो अनियंत्रित दशाओं में सहयुक्त उद्यमों से भिन्न व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार में लागू की जाती है या लागू किए जाने के लिए प्रस्थापित की जाती है ;

(iii) "उद्यम" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा है, या लगा हुआ है या जिसके लगाए जाने का प्रस्ताव है, जो ऐसी वस्तुओं या माल के उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण, अथवा जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार-चिह्न, अनुज्ञप्ति, मताधिकार या उसी प्रकार के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार से, अथवा किसी डाटा, दस्तावेजीकरण, ड्राइंग या ऐसे विनिर्देश से संबंधित है जो किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मुला या प्रक्रिया के संबंध में है जिसके अन्य उद्यम स्वामी हैं या जिसकी बाबत अन्य उद्यम को अनन्य अधिकार हैं या किसी भी प्रकार की सेवाओं, अथवा किसी निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन, धारण, हामीदारी या व्यवहार के कारबार में विनिधान या उधार देना, चाहे ऐसा क्रियाकलाप या कारबार प्रत्यक्ष रूप से या अपने यूनिटों या प्रभागों या समनुषंगियों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से किया जाता है या, चाहे ऐसा यूनिट या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर, जहां उद्यम अवस्थित है या किसी भिन्न स्थान या स्थानों पर अवस्थित हैं ;

(v) "विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां निर्धारिती कंपनी है, वहां सुसंगत निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ख) किसी अन्य दशा में, सुसंगत निर्धारण वर्ष के जुलाई का 31वां दिन ;

(vi) "संव्यवहार" के अंतर्गत ठहराव, समझौता या संयुक्त कार्रवाई है,--

(अ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, प्ररूपिक या लिखित रूप में है या नहीं ; या

(आ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने के लिए आशयित है या नहीं।'।

**45.** आय-कर अधिनियम की धारा 94 में, 1 अप्रैल, 2002 से ,-- धारा 94 का संशोधन।

(क) उपधारा (6) के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(7) जहां--

(क) कोई व्यक्ति, रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं प्रतिभूतियों या यूनिट का क्रय करता है या अर्जन करता है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिट का, ऐसी तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर विक्रय या अंतरण करता है ;

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिटों पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय छूट प्राप्त है,

वहां प्रतिभूतियों या यूनिट के ऐसे क्रय और विक्रय मद्धे उसको उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, उस परिमाण तक, जिस तक ऐसी हानि ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिट पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय की रकम से अधिक नहीं है, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।";

(ख) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में,--(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(कक) "रिकार्ड तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, लाभांश या आय प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतिधारक या यूनिटधारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी या किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा नियत की जाए;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

(घ) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 115कख के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है ।' ।

**46.** आय-कर अधिनियम की धारा 115कख के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्द और अंक, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115कख का संशोधन ।

1992 का 15

**47.** आय-कर अधिनियम की धारा 115कग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 115कग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'115कग. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो अनिवासी है, कुल आय में,-- किसी अनिवासी की, विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से आय पर अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से उद्भूत आय पर कर ।

(क) किसी भारतीय कंपनी के ऐसे बंधपत्रों पर, जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विदेशी करेंसी में जारी किए जाते हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऐसे बंधपत्रों पर जिनका सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है और जो विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए जाते हैं, ब्याज के रूप में आय ; या

(ख) ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर,--

(i) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के आरंभिक रूप में जारी किए जाने के संबंध में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी की जाती हैं और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से उसके द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं ;

(ii) जो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऐसे शेयरों के संबंध में, जिनका सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है, जारी की जाती हैं और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से उसके द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं ; या

(iii) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए गए किसी विदेशी कंपनी के शेयरों के संबंध में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पुनः जारी की जाती हैं ; या

(iv) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पुनः जारी की जाती हैं और कंपनियों द्वारा उनकी समनुषंगी कंपनियों में अविनिधान से उद्भूत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के संबंध में अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं और ऐसी दोनों भारतीय कंपनियों के शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध हैं,

(ग) यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों के अंतरण या खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय,

सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा,--

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों या खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत, यथास्थिति, ब्याज या धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(ii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(iii) आय-कर की वह रकम, जो अनिवासी पर प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

(2) जहां अनिवासी की सकल कुल आय,--

(क) केवल उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, बंधपत्रों या उस उपखंड के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत धारा 115ण में निर्दिष्ट ब्याज या लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में आय से मिलकर बनती है वहां उसके लिए धारा 28 से धारा 44ग या धारा 57 के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटा कर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(3) धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुकों की कोई बात, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें हैं, अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होगी ।

(4) किसी अनिवासी के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी देना आवश्यक नहीं होगा, यदि--

(क) उसकी कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, केवल उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय से मिलकर बनती है ; और

(ख) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय से कटौती कर ली गई है ।

(5) जहां निर्धारिती ने उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, समामेलक या निर्विलीन कंपनी में अपनी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र धारण करने के आधार पर समामेलित या परिणामी कंपनी में सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र अर्जित किए हैं, वहां उस उपधारा के उपबंध ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या बंधपत्रों को लागू होंगे ।

**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "अनुमोदित मध्यवर्ती" से ऐसा मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो ऐसी स्कीम के अनुसार अनुमोदित है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे ;

(ख) "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" का वही अर्थ है, जो धारा 115कगक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ।'।

धारा 115कगक का संशोधन ।

**48.** आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

'(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो ऐसा व्यष्टि है जो निवासी है और उद्योग या सेवा आधारित विनिर्दिष्ट ज्ञान में लगी किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी है या उद्योग या सेवा आधारित विनिर्दिष्ट ज्ञान में लगे उसके समनुषंगी का कर्मचारी है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निवासी कर्मचारी कहा गया है), की कुल आय में,--

(क) ऐसे कर्मचारी के स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी की गई और विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी की सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में आय ; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय,

सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :--

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न, लाभांशों के रूप में आय पर, यदि कोइ हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(iii) आय-कर की वह रकम, जो निवासी कर्मचारी पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

**स्पष्टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा" से अभिप्रेत है,--

(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर ;

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ;

(iii) मनोरंजन सेवा ;

(iv) भेषजीय उद्योग ;

(v) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग ; और

(vi) कोई ऐसा अन्य उद्योग या सेवा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ख) "समनुषंगी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 में है और इसके अंतर्गत भारत के बाहर निगमित समनुषंगी भी होगा ।'। 1956 का 1

**49.** आय-कर अधिनियम की धारा 115खख के खंड (i) में, "चालीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 115खख का संशोधन ।

**50.** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115ण का संशोधन ।

**51.** आय-कर अधिनियम की धारा 115त में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे। धारा 115त का संशोधन ।

**52.** आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115द का संशोधन।

**53.** आय-कर अधिनियम की धारा 115ध में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115ध का संशोधन ।

**54.** आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :– धारा 139 का संशोधन।

'(1) प्रत्येक व्यक्ति,–

(क) जो कंपनी है ; या

(ख) जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो गई थी जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व देगा :

परंतु खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे इस उपधारा के अधीन विवरणी देना अपेक्षित नहीं है और ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहा है, जो बोर्ड द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है, अर्थात् :–

(i) वह विनिर्दिष्ट भूमि क्षेत्र से अधिक किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का, चाहे स्वामित्व, अभिधृति के रूप में या अन्यथा, अधिभोगी है, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ; या

(ii) वह ऐसे दुपहिए मोटरयान से, चाहे उसमें अलग होने योग्य ऐसी कोई पार्श्व कार हो, जिसमें ऐसे दुपहिए मोटरयान से जुड़े अतिरिक्त पहिए हों या नहीं, भिन्न मोटरयान का स्वामी या पट्टेदार है ; या

(iii) वह टेलीफोन का अभिदाता है ; या

(iv) उसने किसी विदेश यात्रा पर अपने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यय उपगत किया है ; या

(v) वह किसी बैंक या संस्था द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का धारक है, जो "आश्रित कार्ड" नहीं है ; या

(vi) वह किसी ऐसे क्लब का सदस्य है, जहां प्रवेश फीस पच्चीस हजार रुपए या अधिक प्रभारित की जाती है ;

पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय की विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व देगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनको पहले परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे :

परंतु यह भी कि प्रत्येक कंपनी प्रत्येक पूववर्ष में अपनी आय या हानि की बाबत विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व देगी।

1988 का 59

**स्पष्टीकरण 1**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मोटर यान" पद का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में है ।

**स्पष्टीकरण 2**--इस उपधारा में, "नियत तारीख" से अभिप्रेत है,–

(क) जहां निर्धारिती कंपनी है वहां निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ख) इस उपधारा के पहले परंतुक में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ग) किसी अन्य निर्धारिती की दशा में, निर्धारण वर्ष की जुलाई का 31वां दिन ।

**स्पष्टीकरण 3**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "किसी विदेश की यात्रा" पद के अंतर्गत पड़ोसी देशों या ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं है, जिन्हें बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।'।

**55.** आय-कर अधिनियम की धारा 139क में, 1 जून, 2001 से,– धारा 139क का संशोधन।

(क) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(5क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोई ऐसी राशि या आय या रकम प्राप्त की है जिससे कर की कटौती अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन की गई है, ऐसे व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करेगा, जो उस अध्याय के अधीन ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात, धारा 115कग की उपधारा (4) या धारा 115खखक की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अनिवासी को अथवा धारा 115छ में निर्दिष्ट किसी अनिवासी भारतीय को लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक ऐसे समय तक संसूचित करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्यांक का आबंटन नहीं हो जाता ।

(5ख) जहां किसी राशि या आय या रकम का अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती के पश्चात् संदाय किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति के स्थायी लेखा संख्यांक का निम्नलिखित में हवाला देगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी राशि या आय या रकम का संदाय किया गया है :–

(i) धारा 192 की उपधारा (2ग) के उपबंधों के अनुसार दिए गए विवरण में ;

(ii) धारा 203 के उपबंधों के अनुसार दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

(iii) धारा 206 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई और किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त या परिदत्त की जाने वाली सभी विवरणियों में :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिससे इस उपधारा के उपबंध किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत लागू होंगे :

परंतु यह और कि उपधारा (5क) और उपधारा (5ख) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में लागू नहीं होगी, जिसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या जिससे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को धारा 197क में निर्दिष्ट इस आशय की घोषणा उसके अधीन विहित प्ररूप और रीति में देता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाने वाली है, उसकी अनुमानित कुल आय पर कर उसकी कुल आय की संगणना करने में शून्य होगा ।

(5ग) धारा 206ग में निर्दिष्ट कोई क्रेता उस धारा में निर्दिष्ट विक्रेता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करेगा ।

(5घ) धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक विक्रेता उस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रेता के स्थायी लेखा संख्यांक का निम्नलिखित में हवाला देगा--

(i) धारा 206ग की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

(ii) धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई और किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त या परिदत्त की जाने वाली सभी विवरणियों में ।"।

धारा 140क का संशोधन ।

**56.** आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :--

'(1क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, विवरणी में घोषित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर की जाएगी जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर घटा दिया जाएगा ।

(1ख) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, यथास्थिति, निर्धारित कर के बराबर रकम पर या उस रकम पर, जिस तक संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर से कम आता है, की जाएगी ।

**स्पष्टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारित कर" से विवरणी में घोषित कुल आय पर वह कर अभिप्रेत है, जिसमें से किसी ऐसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है, ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाता है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर की रकम घटा दी जाएगी ।'।

धारा 143 का संशोधन।

**57.** आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) में, 1 जून, 2001 से,--

(क) दूसरे परंतुक में, "उस निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी" शब्दों के स्थान पर "उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें विवरणी दी जाती है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि जहां विवरणी, 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में पहली बार निर्धारणीय आय की बाबत दी जाती है वहां ऐसी सूचना 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय भेजी जा सकेगी ।"।

धारा 149 का संशोधन।

**58.** आय-कर अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष व्यपगत हो गए हैं तो जब तक कि वह मामला खंड (ख) के अधीन नहीं आता है;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष किंतु छह वर्ष से अनधिक व्यपगत हो गए हैं तो जब तक कि कर से प्रभार्य ऐसी आय जो निर्धारण से छूट गई है उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक नहीं है या होनी संभाव्य नहीं है ।"।

धारा 153 का संशोधन।

**59.** आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 जून, 2001 से,--

(क) उपधारा (2) में,--

(i) "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व की गई थी, वहां ऐसा निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना, 31 मार्च, 2002 तक किसी समय की जा सकेगी ।";

(ख) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 1971 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और उसके पश्चात् के किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 250, धारा 254, धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने के आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 250 या धारा 254 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त अथवा, यथास्थिति, धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय किया जा सकेगा :

परंतु जहां धारा 250 या धारा 254 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, प्राप्त किया जाता है, या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व पारित किया जाता है, वहां नए निर्धारण का ऐसा कोई आदेश 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय किया जा सकेगा ।";

(ग) उपधारा (3) के खंड (i) का लोप किया जाएगा ।

धारा 154 का संशोधन।

**60.** आय-कर अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित की जाएगी:--

"(8) उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन संशोधन के लिए कोई आवेदन निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आय-कर प्राधिकारी को 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् किया जाता है वहां वह प्राधिकारी उस मास की, जिसमें उसके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है, समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर निम्नलिखित के लिए आदेश पारित करेगा,-

(क) संशोधन करने ; या

(ख) दावा अनुज्ञात करने से इंकार करने ।"।

**61.** आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से रखा जाएगा, अर्थात्:- धारा 158ख का संशोधन ।

'(क) "ब्लाक अवधि" से, उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों को समाविष्ट करने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई थी और इसके अंतर्गत ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख तक या उस पूर्ववर्ष में ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख तक, जिसमें उक्त तलाशी ली गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी, की अवधि भी है :

परंतु जहां, 1 जून, 2001 से पूर्व तलाशी शुरू की गई है या अध्यपेक्षा की गई है वहां इस खंड के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "छह निर्धारण वर्षों" शब्दों के स्थान पर "दस निर्धारण वर्षों" शब्द रखे गए थे ;'।

**62.** आय-कर अधिनियम की धारा 158खचक की उपधारा (1) में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । धारा 158खचक का संशोधन ।

**63.** आय-कर अधिनियम की धारा 192 में, उपधारा (2ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 192 का संशोधन।

'(2ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको ऐसा संदाय किया जाता है, उसको वेतन के बदले में दी गई परिलब्धियों या लाभों और उसके मूल्य की सही और पूर्ण विशिष्टियां देते हुए एक विवरण, ऐसे प्ररूप और रीति से देगा, जो विहित की जाए ।'।

**64.** आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) में, 1 जून, 2001 से ,-- धारा 194क का संशोधन ।

(i) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में, "इस खंड के उपबंधों का" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "रख दिए गए हों और" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ।

**65.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में, "वर्ग पहेली" शब्दों के पश्चात्, "या ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल" शब्द, 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 194ख का संशोधन ।

**66.** आय-कर अधिनियम की धारा 194छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 194ज का अंतःस्थापन ।

'194ज. कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली के रूप में किसी आय का, 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या ऐसी आय का नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा : कमीशन या दलाली ।

परंतु इस धारा के अधीन किसी ऐसे मामले में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान, पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकमों का योग दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है ।

**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "कमीशन या दलाली" के अंतर्गत की गई सेवाओं के लिए (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं) या माल के क्रय या विक्रय के अनुक्रम में अथवा किसी आस्ति, मूल्यवान वस्तु या चीज से संबंधित, जो प्रतिभूतियां नहीं हैं, किसी संव्यवहार के संबंध में किन्हीं सेवाओं के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त या प्राप्य कोई संदाय है ;

(ii) "वृत्तिक सेवा" पद से विधि, चिकित्सा, इंजीनियरी या वास्तुकला, वृत्ति या लेखाकर्म या तकनीकी परामर्शी या आंतरिक सज्जा की वृत्ति या बोर्ड द्वारा धारा 44कक के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित कोई अन्य वृत्ति चलाने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

1956 का 42

(iii) "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(iv) जहां कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।'।

**67.** आय-कर अधिनियम की धारा 196ग में, "बंधपत्र या शेयर" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 196ग का संशोधन ।

**68.** आय-कर अधिनियम की धारा 201 में,-- धारा 201 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "कर की कटौती नहीं करती है" शब्दों के स्थान पर "संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 1962 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1क) में,--

(i) "कर की कटौती नहीं करती है" शब्दों के स्थान पर "संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 1962 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

**69.** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (7) में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । धारा 206ग का संशोधन ।

**70.** आय-कर अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 220 का संशोधन।

**71.** आय-कर अधिनियम की धारा 230क का, 1 जून, 2001 से, लोप किया जाएगा । धारा 230क का लोप।

धारा 234क का संशोधन ।

**72.** आय-कर अधिनियम की धारा 234क में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 4 का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 234ख का संशोधन ।

**73.** आय-कर अधिनियम की धारा 234ख में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 1**--इस धारा में, "निर्धारित कर" से अभिप्रेत है, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित कुल आय पर या नियमित निर्धारण पर वह कर, जिसमें से ऐसी किसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया गया है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती की गई या संगृहीत कर की रकम घटा दी जाएगी ।';

(ख) उपधारा (3) में "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 234ग का संशोधन ।

**74.** आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में, 1 जून, 2001 से,--

(i) खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 241 का लोप ।

**75.** आय-कर अधिनियम की धारा 241 का 1 जून, 2001 से लोप किया जाएगा ।

धारा 244क का संशोधन ।

**76.** आय-कर अधिनियम की धारा 244क की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में, "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 251 का संशोधन।

**77.** आय-कर अधिनियम की धारा 251 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "अथवा कर निर्धारण को अपास्त कर सकेगा", शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग का, 1 जून, 2001 से लोप किया जाएगा ।

धारा 254 का संशोधन।

**78.** आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु जहां धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोक आदेश किया जाता है वहां अपील अधिकरण, ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसी अपील का निपटारा, पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो रोक आदेश उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् रद्द हो जाएगा ।"।

धारा 264 का संशोधन।

**79.** आय-कर अधिनियम की धारा 264 की उपधारा (5) में, "पच्चीस रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रुपए की फीस" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

धारा 271 का संशोधन।

**80.** आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) में,--

(क) खंड (ii) में, "ऐसी राशि जो ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, किंतु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि हो सकेगी" शब्द 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 7**--जहां किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसने धारा 92ख में परिभाषित अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन कुल आय की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी जाती है या अनुज्ञात नहीं की जाती है वहां इस उपधारा के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार जोड़ी गई या अनुज्ञात नहीं की गई रकम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी आय के रूप में है, जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, जब तक कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता कि ऐसे संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत की संगणना सद्भावपूर्वक और सम्यक् तत्परता से धारा 92ग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और उस धारा में विहित रीति से की गई थी ।"।

धारा 271क का संशोधन ।

**81.** आय-कर अधिनियम की धारा 271क में, "ऐसी राशि का संदाय करेगा जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा" शब्द 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 271कक का अंतःस्थापन ।

**82.** आय-कर अधिनियम की धारा 271क के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सूचना और दस्तावेजों को रखने और उसे बनाए रखने में असफलता के लिए शास्ति ।

"271कक. धारा 271 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) की अपेक्षानुसार कोई सूचना और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा ।"।

नई धारा 271खक का अंतःस्थापन ।

**83.** आय-कर अधिनियम की धारा 271ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता के लिए शास्ति ।

"271खक. यदि कोई व्यक्ति, धारा 92ङ की अपेक्षानुसार लेखाकार की रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति एक लाख रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।"।

**84.** आय-कर अधिनियम की धारा 271च में, 1 जून, 2001 से,-- धारा 271च का संशोधन ।

(क) "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

**85.** आय-कर अधिनियम की धारा 271च के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 271छ का अंतःस्थापन ।

"271छ. यदि कोई व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कोई ऐसी सूचना या दस्तावेज देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।" धारा 92घ के अधीन सूचना या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति ।

**86.** आय-कर अधिनियम की धारा 272क में,-- धारा 272क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "ऐसी राशि का संदाय करेगा जो प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए पांच सौ रुपए से कम नहीं होगी किंतु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(झ) धारा 192 की उपधारा (2ग) की अपेक्षानुसार विवरण देने में ।"।

**87.** आय-कर अधिनियम की धारा 272खख की उपधारा (1) में, "उतनी राशि का संदाय करेगा जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । धारा 272खख का संशोधन ।

**88.** आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 273ख का संशोधन ।

(क) "धारा 271क" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् ",धारा 271कक" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 271ख" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् ",धारा 271खक" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) "धारा 271च" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् ",धारा 271छ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

**89.** आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68क के उपनियम (3) में, "बारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "नौ प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । द्वितीय अनुसूची का संशोधन ।

## धन-कर

**90.** धन-कर अधिनियम की, (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 17 की उपधारा (1क) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे, अर्थात्:-- धारा 17 का संशोधन।

"(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष व्यपगत हो गए हैं, जब तक कि मामला खंड (ख) के अंतर्गत नहीं आता हो;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष, किंतु छह वर्ष से अनधिक व्यपगत हो गए है; जब तक कि उस कर से प्रभार्य, जो निर्धारण से छूट गया है, शुद्ध धन उस वर्ष के लिए दस लाख रुपए या अधिक है या होने की संभावना है।"।

**91.** धन-कर अधिनियम की धारा 17क में, 1 जून, 2001 से,-- धारा 17क का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,--

(i) "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परतुंक के स्थान पर, निम्नलिखित परतुंक रखा जाएगा, अर्थातः--

"परंतु जहां धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व की गई थी, वहां ऐसा निर्धारण या पुनर्निधारण, 31 मार्च 2000 तक किसी भी समय किया जा सकेगा।";

(iii) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में,--

(i) "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "23", अंकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहाँ वे आते हैं, "23क", अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) परतुंक के स्थान पर, निम्नलिखित परतुंक रखा जाएगा, अर्थात्:--

"परन्तु जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा यथास्थिति, धारा 23क या धारा 24 के अधीन आदेश, प्राप्त किया जाता है, अथवा आयुक्त द्वारा धारा 25 के अधीन आदेश, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व पारित किया जाता है, वहां नए निर्धारण का ऐसा कोई आदेश, 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय किया जा सकेगा।";

1957 का 27

**92.** धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17ख की उपधारा (1) और उपधारा (3) में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । धारा 17ख का संशोधन।

**93.** धन-कर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में, 1 जून, 2001 से,-- धारा 31 का संशोधन।

(i) " डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

**94.** धन-कर अधिनियम की धारा 34क में, 1 जून, 2001 से,-- धारा 34क का संशोधन।

(क) उपधारा (3) में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "नौ प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4ख) के खंड (क) में, "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

50 **व्यय-कर**

**95.** व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 14 में, " डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे । 1987 के अधिनियम 35 की धारा 14 का संशोधन।

## अध्याय 4

## अप्रत्यक्ष कर

### सीमाशुल्क

धारा 27क का संशोधन।

**96.** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 27क में, "दस प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्द रखे जाएंगे । 1962 का 52

धारा 28 का संशोधन।

**97.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

'(2क) जहां सूचना की तामील उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को की गई है वहां उचित अधिकारी,–

(i) यदि किसी शुल्क का उद्ग्रहण किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है अथवा ब्याज का संदाय नहीं किया गया है या भागतः संदाय किया गया है अथवा शुल्क या ब्याज का दुस्संधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण भूल से प्रतिदाय किया गया है तो, जहां ऐसा करना संभव हो, ऐसे शुल्क या ब्याज की रकम का एक वर्ष की अवधि के भीतर अवधारण करेगा ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, जहां ऐसा करना संभव हो, ऐसे शुल्क की रकम का, जिसका उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है या संदेय ऐसे ब्याज का, जिसका संदाय नहीं किया गया है, भागतः संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है,

उपधारा (1) के अधीन व्यक्ति को सूचना की तामील की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अवधारण करेगा ।

(2ख) जहां किसी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है अथवा संदेय किसी ब्याज का संदाय नहीं किया गया है, भागतः संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां वह व्यक्ति, जो शुल्क या ब्याज से प्रभार्य है, यथास्थिति, शुल्क या ब्याज की बाबत उपधारा (1) के अधीन उसको सूचना की तामील के पूर्व शुल्क या ब्याज की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में उचित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित कर सकेगा जो, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त शुल्क या ब्याज की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगाः

परंतु उचित अधिकारी शुल्क या ब्याज के कम संदाय की रकम, यदि कोई हो, का अवधारण कर सकेगा, जिसका उसकी राय में, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय नहीं किया गया है और तब उचित अधिकारी इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी रकम को वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा और उपधारा (2क) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, "एक वर्ष" या "छह मास" की अवधि की गणना संदाय की ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

**स्पष्टीकरण 1**--उपधारा (2ख) की कोई बात किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था या संदाय नहीं किया गया था अथवा ब्याज का संदाय नहीं किया गया था या उसके भाग का संदाय किया गया था या शुल्क या ब्याज का, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा दुस्संधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाए जाने के कारण भूल से प्रतिदाय किया गया था ।

**स्पष्टीकरण 2**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 28कख के अधीन ब्याज व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अधीन संदत्त रकम पर और शुल्क के ऐसे कम सदांय की रकम पर भी, यदि कोई हो, जो यदि यह उपधारा नहीं होती तो समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, संदेय होगा ।

(2ग) उपधारा (2ख) के उपबंध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे, जिसमें शुल्क या ब्याज संदेय हो गया था या उस तारीख से पहले, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदत्त किया जाना चाहिए था ।'।

धारा 28कक का संशोधन।

**98.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसी दशाओं को लागू नहीं होंगे जिनमें शुल्क या ब्याज उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदेय हो जाता है या संदत किया जाना चाहिए था।"।

धारा 28कख का संशोधन।

**99.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कख में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) जहां किसी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जो धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (2ख) के अधीन अवधारित रूप में शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, ऐसी दर से, जो प्रति वर्ष अठारह प्रतिशत से कम और छत्तीस प्रतिशत से अधिक न हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस मास के जिसमें, यदि धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट उपबंध नहीं होते तो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से या ऐसे भूल से प्रतिदाय की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय नियत की गई हो, ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसे मामलों में, जहां शुल्क धारा 151क के अधीन बोर्ड द्वारा किसी आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है और ऐसे, यथास्थिति, आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर ऐसे संदाय मद्धे अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना, संदेय शुल्क की ऐसी रकम पूर्णतः स्वेच्छया संदत्त की जाती है वहां कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, और अन्य मामलों में, ब्याज पहले ही संदत्त रकम सहित संपूर्ण रकम पर संदेय होगा ।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) के उपबंध उन मामलों को लागू नहीं होंगे जहां शुल्क या ब्याज, उस तारीख से पूर्व संदेय हो गया था या संदत किया जाना चाहिए था, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।"।

धारा 61 का संशोधन।

**100.** ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (ii) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

**101.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112 में,-- धारा 112 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, "जो ऐसे माल के मूल्य के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसे माल के मूल्य से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है, पांच गुने से अनधिक या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, "जो उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, "जो माल के मूल्य से पांच गुने से या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो माल के मूल्य से पांच गुने से या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) खंड (v) में, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर के पांच गुने से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ।

**102.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 में,-- धारा 114 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, "ऐसे माल के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे माल के पांच गुने से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, " ऐसे माल पर अपवंचन किए जाने वाले शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे माल पर अपवंचन किए जाने वाले शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) खंड (iii) में, "जो दावा की गई वापसी की रकम के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो दावा की गई वापसी की रकम से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी", शब्द रखे जाएंगे।

**103.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) में,-- धारा 128 का संशोधन।

(i) "तीन मास के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "साठ दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु आयुक्त (अपील), यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के भीतर अपील करने से निवारित हो गया था तो, वह उसे तीस दिन की और अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।"।

**104.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क में,-- धारा 128क का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों से आरंभ होने वाले और "पुनःनिर्दिष्ट कर सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आयुक्त (अपील), ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह न्यायसंगत और उचित समझे :";

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4क) आयुक्त (अपील), जहां ऐसा करना संभव है वहां, प्रत्येक अपील की, उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा ।"।

**105.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (1) में, "ऐसे कलक्टर को" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को" शब्द रखे जाएंगे । धारा 129घ का संशोधन ।

**106.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 129ङ का संशोधन ।

"परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक के अधीन मांग किए गए शुल्क और ब्याज या उद्गृहीत शास्ति को जमा करने से अभिमुक्ति के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहां आयुक्त (अपील), जहां यह संभव हो, ऐसे आवेदन का, उसके फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा ।"।

**107.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 159 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी 1963 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 159क का अंतःस्थापन ।

"159क. जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश या ऐसे नियम या विनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश का संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन किया जाता है वहां जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन से,-- नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के संशोधन आदि का प्रभाव ।

(क) ऐसी कोई बात पुनः प्रवर्तित नहीं होगी जो उस समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है जब संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन प्रभावी हुआ ; या

(ख) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के पूर्व में प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या उठाई गई हानि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ग) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(घ) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या उल्लंघन में किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवर्तित रहेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो, यथास्थिति, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश का संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन नहीं किया गया हो ।"।

की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

**108.** 1 फरवरी 1963 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन या ऐसे नियम या विनियम के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना या आदेश के अधीन की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए लोप या यह तात्पर्यित है कि कोई कार्रवाई या बात की गई है या लोप किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप किया गया और सदैव की गई या किया गया है मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 105 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा हो और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विधिमान्य रूप से सदैव इस प्रकार की गई या किया गया है मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 105 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में हो ;

(ख) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष न तो चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी और न ऐसी की गई कार्रवाई या किसी बात या किए जाने वाले लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 105 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में हो;

(ग) ऐसे शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की, जिनका, यथास्थिति, संग्रहण या प्रतिदाय किया गया है, ऐसी सभी रकमों की वसूली ऐसे की जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हो।

**स्पष्टीकरण**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई ऐसा कार्य या लोप अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं रही होती तो, इस प्रकार दण्डनीय नहीं होता ।

धारा 25 के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

**109.** (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 : सा.का.नि. 465 (अ), तारीख 3 मई, 1990, सा.का.नि. 423 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 946 (अ), तारीख 28 दिसम्बर, 1992 और सा.का.नि. 417 (अ), तारीख 14 मई, 1993 का संशोधन किया जाएगा और ऐसी अधिसूचनाओं में से क्रमशः प्रत्येक के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तारीख से ही आठवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया गया समझा जाएगा और तद्नुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या यह तात्पर्यित है कि वह की गई है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से की गई है और सदैव की गई है मानो इस उपधारा द्वारा संशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हों ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का संशोधन करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे शक्ति होगी, मानो "केन्द्रीय सरकार" को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभी तात्विक समयों पर उक्त अधिसूचनाओं का संशोधन करने की शक्ति थी ।

## सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन।

**110.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में,-- 1975 का 51

(i) उपधारा (1) में और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु मानव उपभोग के लिए भारत में आयातित किसी मद्यसारिक लिकर की दशा में, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विभिन्न राज्यों में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शुल्क की दर या किसी राज्य में उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर का उत्पादन या विनिर्माण नहीं होता है तो, उस उत्पाद-शुल्क का ध्यान रखते हुए जो उस मद्यसारिक लिकर के, जिससे आयातित लिकर संबंधित है, वर्ग या वर्णन पर विभिन्न राज्यों में तत्समय उद्ग्रहणीय होगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।";

(ii) उपधारा (2) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु भारत में आयातित किसी वस्तु की दशा में,--

(क) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी वस्तु, जिसके संबंध में उसके पैकेज पर उस वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत घोषित करने की अपेक्षा की जाती है ; और 1976 का 60

(ख) जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार की वस्तु या उस दशा में, जिसमें उसी प्रकार की ऐसी वस्तु का उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है वहां उन वस्तुओं के, जिनसे आयातित वस्तु संबंधित है, वर्ग या वर्णन वह माल है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। 1944 का 1

वहां आयातित वस्तु का मूल्य, ऐसे फुटकर विक्रय कीमत में से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन उसी प्रकार की वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, मंदी की ऐसी रकम को, यदि कोई हो, घटाकर, आयातित वस्तु के संबंध में घोषित फुटकर विक्रय कीमत के रूप में समझा जाएगा। 1944 का 1

**स्पष्टीकरण**--जहां किसी आयातित वस्तु पर एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है वहां ऐसी अधिकतम फुटकर विक्रय कीमत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के प्रयोजन के लिए फुटकर विक्रय कीमत है ।"।

धारा 8ख का संशोधन ।

**111.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख में,--

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वस्तु की ऐसी मात्रा को, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी देश या राज्यक्षेत्र से भारत में आयात किए जाने के समय, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सुरक्षा शुल्क या उसके किसी भाग के संदाय से छूट दे सकेगी ।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, जब तक कि उसमें विनिर्दिष्ट रूप से लागू न किया गया हो, किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगी ।

**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम", "मुक्त व्यापार क्षेत्र" और "विशेष आर्थिक क्षेत्र" पदों के वही अर्थ हैं जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में हैं ।'।

1944 का 1

**112.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :- धारा 9क का संशोधन।

'(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिपाटन शुल्क, जब तक, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना में या ऐसे अधिरोपण में विनिर्दिष्ट रूप में लागू न किया गया हो, किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगा ।

**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम", "मुक्त व्यापार क्षेत्र" और "विशेष आर्थिक क्षेत्र" पदों के वही अर्थ हैं जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में हैं ।'।

1944 का 1

**113.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची,-- पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी ; और

(ख) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधित की जाएगी ।

## उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

**114.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 3 की उपधारा (1) में,-- धारा 3 का संशोधन ।

(क) परंतुक में,--

(i) खंड (i) में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "मुक्त व्यापार क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) में, "उनका भारत में विक्रय अनुज्ञात किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "उन्हें भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 2 में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(iii) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।'।

**115.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क का लोप किया जाएगा । धारा 3क का लोप।

**116.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) में,-- धारा 5क का संशोधन।

(क) परंतुक में,--

(i) खंड (i) में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "मुक्त व्यापार क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) में, "उनका भारत में विक्रय अनुज्ञात किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "उन्हें भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "मुक्त व्यापार क्षेत्र", "विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

**117.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 11क का संशोधन ।

'(2क) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की गई है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति को सूचना की तामील की तारीख से,--

(i) यदि किसी उत्पाद-शुल्क का, उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या किसी कपट या दुस्संधि, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया गया था, जहां यह संभव हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे शुल्क की रकम अवधारित करेगा; और

(ii) किसी अन्य दशा में, जहां यह संभव हो, छह मास की अवधि के भीतर, ऐसे शुल्क की रकम, जिसे उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, अवधारित करेगा।

(2ख) जहां किसी उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां उस उत्पाद-शुल्क से, जिसका उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या संदाय नहीं किया गया है, या कम संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, प्रभार्य व्यक्ति शुल्क की बाबत उपधारा (1) के अधीन उसको सूचना की तामील के पूर्व शुल्क की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को लिखित रूप से सूचित कर सकेगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस प्रकार संदत्त शुल्क की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :

परंतु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, शुल्क के कम संदाय की रकम का, यदि कोई है, जिसका, उसकी राय में, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय नहीं किया गया है, अवधारण कर सकेगा और तब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी रकम को वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "एक वर्ष" की अवधि की गणना संदाय की ऐसी सूचना की तारीख से की जाएगी ।

**स्पष्टीकरण 1**--इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था या संदाय नहीं किया गया था या कम उद्ग्रहण किया गया था या कम संदाय किया गया था या कपट, दुस्संधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण उसका भूल से प्रतिदाय किया गया था या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया था।

**स्पष्टीकरण 2**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 11कख के अधीन ब्याज इस उपधारा के अधीन व्यक्ति द्वारा संदत्त रकम और यदि यह उपधारा न होती, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा यथाअवधारित शुल्क के कम संदाय की रकम, यदि कोई है, पर संदेय होगा ।

(2ग) उपधारा (2ख) के उपबंध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे जिसमें शुल्क संदेय हो गया हो या जिसका उस तारीख के पूर्व संदाय कर दिया जाना चाहिए था जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।'।

धारा 11कक का संशोधन ।

**118.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसी दशाओं को लागू नहीं होंगे जिनमें शुल्क या ब्याज उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदेय हो जाता है ।'।

धारा 11कख का संशोधन ।

**119.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कख में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जहां किसी उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (2) या उपधारा (2ख) के अधीन यथाअवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, ऐसी दर से, जो प्रतिवर्ष अठारह प्रतिशत से कम और छत्तीस प्रतिशत से अधिन न हो, उस मास के, जिसमें, यदि धारा 11क की उपधारा (2) और उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट उपबंध नहीं होते तो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, यथास्थिति, उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से या ऐसे भूल से प्रतिदाय की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक, जो तत्समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत की गई हो, ब्याज का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी दशाओं में, जिनमें बोर्ड द्वारा धारा 37ख के अधीन आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप शुल्क संदेय हो जाता है और संदेय शुल्क की ऐसी रकम का, यथास्थिति, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किसी पश्चात्वर्ती प्रकम पर ऐसे संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना पूर्णतः स्वेच्छया संदाय कर दिया जाता है, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ; और अन्य मामलों में, पहले की संदत्त रकम सहित संपूर्ण रकम पर ब्याज संदेय होगा ।';

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) के उपबंध उन दशाओं में लागू नहीं होंगे जिनमें सूचना, शुल्क उस तारीख से पूर्व संदेय हो गया था या संदत्त किया जाना चाहिए था, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।'।

धारा 11खख का संशोधन ।

**120.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11खख में, "दस प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन।

**121.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में,--

(i) "तीन मास के भीतर" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यदि आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के भीतर अपील करने से निवारित हो गया था तो वह तीस दिन की और अवधि के भीतर उसे अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।'।

धारा 35क का संशोधन ।

**122.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35क में,-

(क) उपधारा (3) में, "आयुक्त (अपील) ऐसी" शब्दों और कोष्ठकों से आरंभ होने वाले और "पुनःनिर्दिष्ट कर सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"आयुक्त (अपील) ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे :";

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4क) आयुक्त (अपील), जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील की, उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा ।'।

धारा 35ङ का संशोधन ।

**123.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (1) में, "ऐसे आयुक्त" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य आयुक्त" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 35च का संशोधन ।

**124.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक के अधीन मांग किए गए शुल्क या पहले परंतुक के अधीन उद्गृहीत शास्ति को जमा करने से अभिमुक्ति के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहां आयुक्त (अपील), जहां यह संभव हो, ऐसे आवेदन का, उसके फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा ।'।

नई धारा 38क का अंतःस्थापन ।

**125.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 28 फरवरी, 1944 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"38क. जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश अथवा उसके अधीन ऐसे नियम, निकाली गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश का संशोधन किया जाता है निरसन किया जाता है, अधिक्रमण किया जाता है या विखंडन किया जाता है वहां जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन से,-- नियमों,अधिसूचनाओं या आदेशों के संशोधन आदि का प्रभाव ।

(क) ऐसी कोई बात पुनः प्रवर्तित नहीं होगी जो उस समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है जब संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन प्रभावी हुआ ; या

(ख) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के पूर्व में प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या उठाई गई हानि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ग) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(घ) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या उल्लंघन में किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ,--

और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवृत्त रहेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित हो सकेगा मानो, यथास्थिति, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित नहीं किया गया हो ।"।

**126.** 28 फरवरी, 1944 से ही प्रारंभ होने वाली और उस दिन को, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, निकाली गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या ऐसे नियम के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए जाने वाले किसी लोप या यह तात्पर्यित है कि वह की गई है लोप किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या किए जाने से लोप की गई या सदैव की गई समझी जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,— की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

(क) ऐसे किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विधिमान्य रूप से इस प्रकार की गई है या सदैव की गई है या किया गया है मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो ;

(ख) ऐसे किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत की गई किसी बात या किए गए किसी लोप के लिए कोई बात या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष न तो चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी और इस प्रकार की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो ;

(ग) ऐसे शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या निवेशों या पूंजी माल की बाबत शुल्क के जमा अन्य प्रभारों की, जिनका, यथास्थिति, संग्रहण या प्रतिदाय नहीं किया गया है, ऐसी सभी रकमों की वसूली की जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो।

**स्पष्टीकरण**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई ऐसा कार्य या लोप अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं रही होती तो, इस प्रकार दण्डनीय नहीं होता।

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

**127.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है),-- 1986 के अधिनियम 5 का संशोधन ।

(i) पहली अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ;

(ii) दूसरी अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ;

**128.** अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है), छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा । 1957 के अधिनियम 58 का संशोधन ।

**129.** (1) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल की दशा में, जो विनिर्मित या उत्पादित माल हैं, राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क के (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय विपत्ति शुल्क कहा गया है) नाम से ज्ञात उत्पाद-शुल्क, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा । राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क।

1944 का 1

(2) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य राष्ट्रीय विपत्ति शुल्क केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और तद्धधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो शुल्कों और शास्ति के अधिरोपण के प्रतिदाय और छूट से संबंधित हैं, यथाशक्य, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

55

## अध्याय 5

## सेवा-कर

**130.** वित्त अधिनियम, 1994 में, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,--

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

(क) धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

परिभाषाएं।

'65. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "बीमांकक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (1) में है ; 1938 का 4

(2) "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, दस्तावेज, होर्डिंग या प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई अन्य श्रव्य या दृश्यरूपण है ;

(3) "विज्ञापन अभिकरण" से विज्ञापन बनाने, तैयार करने, संप्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विज्ञापन परामर्शी है ;

(4) "वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता" से वायुमार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(5) "अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1962 का 52

(6) "वास्तुविद्" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम, तत्समय, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 23 के अधीन रखे गए वास्तुविदों के रजिस्टर में दर्ज है और इसके अंतर्गत किसी भी रीति से स्थापत्य कला के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान भी है ; 1972 का 20

(7) "निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता भी है ;

(8) "प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" से किसी आटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी आटोमोबाइल की कोई सर्विस या मरम्मत करने के लिए उस आटोमोबाइल बिनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कोई सर्विस स्टेशन या केन्द्र अभिप्रेत है ;

(9) "बैंककारी" और "बैंककारी कंपनी" के वही अर्थ होंगे जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ख) और खंड (ग) में क्रमशः उनके हैं ; 1949 का 10

(10) "बैककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" से किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं हैं, अर्थात् :--

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिसके अंतर्गत किसी निगमित निकाय द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना है ;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) वणिक् बैंकिंग सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है ;

(vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, समामेलन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह है ; और

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण ।

(11) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ; 1963 का 54

(12) " निगमित निकाय" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (7) में है ; 1956 का 1

(13) " प्रसारण" का वही अर्थ होगा जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है ; 1990 का 25

(14) " कैब" से मोटर कैब या मैक्सी कैब अभिप्रेत है ;

(15)" खान-पान प्रबंधक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रयोजन या अवसर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य, खाद्य निर्मितियों, एल्कोहाली या गैर-एल्कोहाली पेयों या क्राकरी और समरूप वस्तुओं या साज-सज्जाओं का प्रदाय करता है ;

(16) "समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रीति से समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं से संबंधित कोई सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परेषण अभिकर्ता है ;

(17) "कंप्यूटर नेटवर्क" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में है ;

(18) " परामर्शी इंजीनियर" से कोई ऐसा वृत्तिक रूप से अर्हित इंजीनियर या इंजीनियरी फर्म अभिप्रेत है, जो इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है ;

(19) "कन्वेंशन" से एक प्ररूपक बैठक या सभा अभिप्रेत है, जो साधारण जनता के लिए खुली नहीं है, किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी बैठक या सभा नहीं है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद, मनोरंजन या मनबहलाव करना है ;

(20) "कुरियर अभिकरण" से, ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो समय- प्रभाव-ग्रहणशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने के लिए या उनके साथ जाने के लिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के घर-घर परिवहन में लगा हुआ है ;

(21) "क्रेडिट रेटिंग अभिकरण" से ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी ऋण बाध्यता या वित्त की अपेक्षा करने वाले किसी परियोजना या कार्यक्रम की, चाहे ऋण के रूप में हो या अन्यथा, क्रेडिट रेटिंग के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की, जिसका प्रयोजन किसी संभावी विनिधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ब्याज या मूलधन के समय पर संदाय संबंधी सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध कराना है, क्रेडिट रेटिंग भी है ;

1962 का 52 (22) "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अस्थायी रूप से या अन्यथा अनुज्ञप्त है ;

(23) "डाटा" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में है;

(24) "इलेक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (द) में है ;

(25) "अनुकृति" (फैक्स) से, दूर संचार का वह रूप अभिप्रेत है जिसके द्वारा स्थिर ग्राफिक आकृतियों जैसे मुद्रित पाठ और तस्वीरें स्कैन की जाती है और सूचना को दूर संचार प्रणाली पर पारेषण के लिए विद्युत संकेतों में संपरिवर्तित किया जाता है ।

1934 का 2 (26) " वित्तीय संस्था"का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) में है ;

1972 का 57 (27) " साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है ;

1930 का 3 (28) " माल" का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 के खंड (7) में है ;

2000 का 2 (29) " सूचना"का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (v) में है ;

1938 का 4 (30) " बीमा अभिकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (10) में है ;

(31) " बीमा सहायक सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी बीमांकक, मध्यवर्ती या बीम मध्यवर्ती या किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा साधारण बीमा कारबार के संबंध में उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत जोखिम निर्धारण, दावा निपटारा, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण है ;

(32) " मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ठ) के उपखंड (च) में है ;

(33) "बीमाकर्ता" से भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(34) "आंतरिक साज-सज्जक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सलाह, परामर्श, तकनीकी सहायता के रूप में या किसी अन्य रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या उन्हें सजाने, चाहे मानव निर्मित हो या अन्यथा, से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परिदृश्य डिजाइनर भी है ;

(35) "पट्टा पर दिए गए सर्किट" से अभिदाता के अनन्य उपयोग के लिए नियत दो अवस्थानों के मध्य उपलब्ध कराई गई कोई समर्पित योजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाक् सर्किट, डाटा सर्किट या तार सर्किट भी है ;

(36) "चुंबकीय भंडारण युक्ति" के अंतर्गत मोम के ब्लैंक, डिस्क या ब्लैंक, मूल ध्वन्यांकन के प्रयोजन के लिए फिल्म की पट्टियां हैं ;

(37) "प्रबंध परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रीति से, कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी संगठन की किसी कार्य प्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, परिष्करण, सुधार या उन्नयन से संबंधित कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है ;

1882 का 4 (38) " मंडप" से संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई स्थावर संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वहां का कोई ऐसा फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश फिटिंग और उसमें की फर्श की बिछायतें हैं, जो किसी अधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफलार्थ भाड़े पर दी जाती हैं ;

(39) " मंडप चलाने वाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफलार्थ किसी मंडप के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा देता है ;

(40) " जनशक्ति भर्ती अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी कक्षीकार को जनशक्ति की भर्ती के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

(41) "बाजार अनुसंधान अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की ग्राहक-अपेक्षित और व्यवसायिक रूप से संघटित अनुसंधान सेवाएं हैं, के संबंध में किसी भी रीति से बाजार अनुसंधान करने में लगा हुआ है ;

1988 का 59 (42) "मैक्सी कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (22) में है ;

1988 का 59 (43) "मोटर कैब"का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (25) में है ;

1934 का 2 (44) "गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में है ;

(45) "ऑन-लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःवापसी" से अभिप्रेत है, किसी ग्राहक को किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेख में पुनःवापस किए जाने योग्य या अन्यथा डाटा या सूचना उपलब्ध कराना ;

(46) "पेजर" से ऐसा उपकरण, यंत्र या साधित्र अभिप्रेत है जो वाणी रहित सूचना-संकेत के साथ एक-तरफा व्यक्तिगत संबोधन पद्धति है और जिसमें संख्यात्मक या वर्ण-संख्यात्मक संदेश प्राप्त करने, संग्रह करने और संप्रदर्शित करने का सामर्थ्य है ;

(47) "फोटोग्राफी" के अंतर्गत स्थिर फोटोग्राफी, चलचित्र पिक्चर फोटोग्राफी, लेजर फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी, प्रतिदीप्ति फोटोग्राफी है ;

(48) "फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण" से कोई वृत्तिक फोटोग्राफर या ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो फोटोग्राफी से संबंधित सेवा देने के कारबार में लगा है ;

1938 का 4 (49) "पालिसी धारक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (2) में है ;

1963 का 38 (50) "पत्तन" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में है ;

(51) "पत्तन सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी जलयान या माल के संबंध में किसी रीति से किसी पत्तन द्वारा दी जाती है ;

(52) "व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य है और चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो चार्टर्ड लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ; 1949 का 38

(53) "व्यवसायरत लागत लेखापाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान का सदस्य है और लागत और संकर्म अकाउन्टेंट अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो लागत लेखाकर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ; 1959 का 23

(54) "व्यवसायरत कंपनी सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो कंपनी सचिव के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ; 1980 का 56

(55) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(56) "स्थावर संपदा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के विक्रय, क्रय, पट्टे या किराए पर देने के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत स्थावर संपदा परामर्शी भी है ;

(57) "स्थावर संपदा परामर्शी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के मूल्यांकन, संकल्पना, डिजाइन, विकास, सन्निर्माण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुरक्षण, विपणन, अर्जन या प्रबंध के संबंध में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है ;

(58) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ; 1956 का 42

(59) "कैब भाड़े पर देने की स्कीम आपरेटर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कैबों को भाड़े पर देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(60) "वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श" से किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा किसी कक्षीकार को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की एक या अधिक शाखाओं में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से, दी गई कोई सलाह, परामर्शी या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता अभिप्रेत है ;

(61) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ; 1956 का 42

(62) "सुरक्षा अभिकरण" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी जंगम या स्थावर संपत्ति या किसी व्यक्ति की किसी रीति से सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा है और इसके अंतर्गत सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की सेवाओं सहित किसी तथ्य या क्रियाकलाप के, चाहे वह वैयक्तिक प्रकृति का हो या अन्यथा, अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाएं भी हैं ;

(63) "सेवा-कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(64) "पोत" से समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत नौ-चालन जलयान भी है ;

(65) "पोत परिवहन लाइन" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पोत का स्वामी है या उसे चार्टर करता है और इसके अंतर्गत ऐसा उद्यम भी है, जो पोत-परिवहन के कारबार का प्रचालन करता है या उसका प्रबंध करता है ;

(66) "ध्वन्यांकन" से चुंबकीय भंडारण युक्ति पर ध्वनि का अंकन और किसी रीति से उसका संपादन अभिप्रेत है ;

(67) "ध्वन्यांकन स्टुडियो या अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो ध्वन्यांकन से संबंधित कोई सेवा देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(68) "स्टीमर अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,-

(क) पोत के प्रबंध या प्रस्थान के संबंध में किसी सेवा के निष्पादन, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित प्रशासनिक कार्य को प्रदान करना भी है ; या

(ख) किसी पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित करने या उसका प्रचार करने ; या

(ग) पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से आधान सहायक पोषक सेवाएं उपलब्ध कराने,

का कार्य हाथ में लेता है;

(69) "शेयर दलाल" से कोई ऐसा शेयर दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार शेयर दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ; 1992 का 15

(70) "उप दलाल" से कोई ऐसा उप दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ; 1992 का 15

(71) "अभिदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको तार प्राधिकारी द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या अनुकृति या पट्टा पर दिए गए सर्किट या पेजर या तार या टेलेक्स की कोई सेवा उपलब्ध कराई गई है ;

(72) "कराधेय सेवा" से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाती है :-

(क) किसी विनिधानकर्ता को, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के संबंध में, किसी शेयर दलाल द्वारा ;

(ख) किसी अभिदाता को, किसी टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(ग) किसी अभिदाता को, किसी पेजर के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(घ) किसी पालिसी धारक को, साधारण बीमा कारबार के संबंध में, साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा ;

(ङ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, विज्ञापनों के संबंध में, किसी विज्ञापन अभिकरण द्वारा ;

(च) किसी ग्राहक को, समय-प्रभाव-ग्रहणशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के घर-घर तक परिवहन के संबंध में किसी कुरियर अभिकरण द्वारा ;

(छ) किसी कक्षीकार को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा ;

(ज) किसी कक्षीकार को, वाहनों के प्रवेश या प्रस्थान अथवा माल के आयात या निर्यात के संबंध में किसी सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता द्वारा ;

(झ) किसी पोत परिवहन लाइन को, पोत के प्रबंध या प्रस्थान या उससे संबंधित किसी प्रशासनिक कार्य तथा आधान सहायक सेवा सहित स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित या उसके लिए प्रचार करने के संबंध में किसी स्टीमर अभिकर्ता द्वारा ;

(ञ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं के संबंध में किसी समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा ;

(ट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, जनशक्ति की भर्ती के संबंध में किसी जनशक्ति भर्ती अभिकरण द्वारा ;

(ठ) किसी ग्राहक को, वायु मार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में, किसी वायु मार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा ;

(ड) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी मंडप के उपयोग के संबंध में मंडप लगाने वाले द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोग और खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं, यदि कोई हो, के संबंध मे किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं ;

(ढ) किसी व्यक्ति को, किसी पर्यटन के संबंध में किसी पर्यटन आपरेटर द्वारा ;

(ण) किसी व्यक्ति को, कैब को भाड़े पर देने के संबंध में किसी कैब को भाड़े पर देने की स्कीम के आपरेटर द्वारा ;

(त) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी वास्तुविद् द्वारा ;

(थ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या सजाने, चाहे मानवनिर्मित हों या अन्यथा, के संबंध में किसी आंतरिक साज-सज्जक द्वारा;

(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में किसी प्रबंध परामर्शी द्वारा ;

(ध) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ;

(न) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा ;

(प) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा ;

(फ) किसी कक्षीकार को, किसी स्थावर संपदा के संबंध में किसी स्थावर संपदा अभिकर्ता द्वारा ;

(ब) किसी कक्षीकार को, किसी संपत्ति या व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराके या अन्यथा किसी सुरक्षा अभिकरण द्वारा और इसके अंतर्गत किसी तथ्य या क्रियाकलाप के अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना भी है ;

(भ) किसी कक्षीकार को, किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की क्रेडिट रेटिंग के संबंध में किसी क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा ;

(म) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता के लिए बाजार अनुसंधान के संबंध में किसी बाजार अनुसंधान अभिकरण द्वारा ;

(य) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से हामीदारी के संबंध में किसी हामीदार द्वारा;

(यक) किसी कक्षीकार को, वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श के संबंध में किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा ;

(यख) किसी ग्राहक को, फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से, किसी फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण द्वारा ;

(यग) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से कन्वेंशन आयोजित कराने के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(यघ) किसी अभिदाता को, पट्टे पर दिए गए सर्किट के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यङ) किसी अभिदाता को, तार के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यच) किसी अभिदाता को, टैलेक्स के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यछ) किसी अभिदाता को, प्रतिरूप संचार के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यज) किसी ग्राहक को, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेख में किसी रीति से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनर्वापसी,या दोनों के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(यझ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, वीडियो टेप निर्माण के संबंध में किसी वीडियो निर्माण अभिकरण द्वारा ;

(यञ) किसी कक्षीकार को, किसी भी प्रकार के ध्वन्यांकन के संबंध में किसी ध्वन्यांकन स्टूडियो या कंपनी द्वारा ;

(यट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा ;

(यठ) किसी पालिसी धारक को, बीमा सहायक सेवा के संबंध में किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा ;

(यड) किसी ग्राहक को, बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वितीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है ;

(यढ) किसी व्यक्ति को किसी रीति से पत्तन सेवाओं के संबंध में किसी पत्तन द्वारा ;

(यण) किसी ग्राहक को, किसी ऑटोमोबाईल सेवा या मरम्मत के संबंध में किसी रीति से, किसी प्राधिकृत सेवा स्टेशन द्वारा,

और "सेवा प्रदाता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(73) "तार" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (1) में है ; 1885 का 13

(74) "तार प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (6) में है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है ; 1885 का 13

(75) "टैलेक्स" से टैलेक्स एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीप्रींटर का उपयोग करके टाईप की गई संसूचना अभिप्रेत है ;

(76) "पर्यटन" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा अभिप्रेत है चाहे ऐसे स्थानों के बीच की दूरी कुछ भी हो ;

(77) "पर्यटक यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (43) में है ; 1988 का 59

(78) "पर्यटक आपरेटर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटक यान में पर्यटन कराने के कारबार में लगा हुआ है ; 1988 का 59

(79) "हामीदार" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (च) में है ;

(80) "हामीदारी" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (छ) में है ;

(81) "जलयान" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में है ; 1963 का 38

(82) "वीडियो निर्माण अभिकरण" से कोई वृत्तिक वीडियोग्राफर या कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो वीडियोटेप निर्माण से संबंधित सेवा प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है ;

(83) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर किसी कार्यक्रम, घटना या समारोह के किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(84) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, जहां तक हो सके, सेवा-कर के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ;"; 1944 का 1

(ख) धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

सेवा-कर का प्रभार।

"66. (1) इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (घ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है) उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।

(2) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 की धारा 85 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (ग), उपखंड (ङ) और उपखंड (च) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1996 का 33

(3) वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ) और उपखंड (ण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1997 का 26

(4) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की धारा 116 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म) और उपखंड (य) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1998 का 21

(5) वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 130 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (यक), (यख), (यग), (यघ), (यङ), (यच), (यछ), (यज), (यझ), (यञ), (यट), (यठ), (यड), (यढ) और (यण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर सेवाकर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।"।

(ग) धारा 67 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

सेवा-कर प्रभारित करने के लिए कराधेय सेवाओं का विधिमान्यकरण।

"67. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी कराधेय सेवाओं का मूल्य, सेवा प्रदाता द्वारा दी गई ऐसी सेवा के लिए, उसके द्वारा प्रभारित सकल रकम होगी ।

**स्पष्टीकरण**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कराधेय सेवा के मूल्य के अंतर्गत, यथास्थिति, निम्नलिखित हैं,--

(क) किसी दलाल द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय पर प्रभारित कमीशन या दलाली का योग, जिसके अंतर्गत किसी स्टॉक-दलाल द्वारा किसी उपदलाल को संदत्त कमीशन या दलाली भी है ;

(ख) किसी अभिदाता द्वारा टेलीफोन या पेजर या अनुकृति या टैलेक्स कनेक्शन या पट्टे पर सर्किट के लिए आवेदन के समय किए गए किसी निक्षेप से तार प्राधिकारी द्वारा किया गया समायोजन ;

(ग) बीमाकर्ता द्वारा पालिसीधारक से प्रभारित प्रीमियम की रकम ;

(घ) वायुयान लाइन से वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कमीशन ;

(ङ) किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त कमीशन ; और

(च) विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी आटोमोबाईल की कोई सेवा चलाने के लिए ऐसे विनिर्माता से प्राधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,--

(क) अभिदाता द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या पेजर या अनुकृति या तार या टैलेक्स या पट्टे पर सर्किट के लिए आवेदन के समय किया गया आरंभिक निक्षेप ;

(ख) सेवा प्रदान करने के प्रक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत बिना खुली फोटोग्राफी फिल्म, बिना अंकित चुंबकीय टेप या ऐसी अन्य भंडारण युक्तियां, यदि कोई हो ;

(ग) सेवा प्रदान करने या आटोमोबाईल की मरम्मत के प्रक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या उपसाधनों की, यदि कोई हो, लागत ।"।

(घ) धारा 69 में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक" शब्द रखे जाएंगे।

(ङ) धारा 70 और धारा 71 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"70. सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में शोध्य कर का स्वयं निर्धारण करेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसे अंतराल पर, जो विहित किया जाए, एक विवरणी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को देगा । विवरणियों का दिया जाना।

71. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक, धारा 70 के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल की गई विवरणी में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर की शुद्धता का सत्यापन करेगा । निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर का सत्यापन, आदि।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक, जब भी अपेक्षित हो, ऐसे किन्हीं लेखाओं, प्रस्तावों या अन्य साक्ष्य, जो वह ऐसे सत्यापन के लिए आवश्यक समझे, पेश करने के लिए निर्धारिती से अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन सत्यापन पर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक की यह राय है कि प्रदान की गई किसी सेवा के संबंध में सेवा-कर निर्धारण से छूट गया है या कम निर्धारित किया गया है तो वह उस मामले को, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त को निर्दिष्ट करेगा, जो निर्धारण का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।";

(च) धारा 72 में,--

(क) "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "धारा 71की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के सभी निबंधनों का अनुपालन करने में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 71 के निबंधनों का अनुपालन करने में" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(छ) धारा 73 में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारिती की ओर से धारा 70 के अधीन कोई विवरणी फाइल करने या धारा 71 के अधीन किसी विहित अवधि के लिए उसके निर्धारण के सत्यापन के लिए अपेक्षित सभी तात्विक तथ्यों को पूर्ण रूप से या सही प्रकट करने में लोप या असफलता के कारण कराधेय सेवा का मूल्य निर्धारण से छूट गया है या अवनिर्धारित किया गया है या किसी राशि का, भूलवश प्रतिदाय किया गया है, या ";

(ii) खंड (ख) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अवनिर्धारित की गई है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त के पास, उसके कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण है कि किसी विहित अवधि में निर्धारणीय किसी कराधेय सेवा का मूल्य निर्धारण से छूट गया है या अवनिर्धारित किया गया है या किसी राशि का भूलवश प्रतिदाय किया गया है";

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--जहां सेवा की सूचना, न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी जाती है वहां ऐसे रोके जाने की अवधि, इस धारा के अधीन, यथास्थिति, पांच वर्ष या छह मास की अवधि की संगणना करने में छोड़ दी जाएगी ।";

(ज) धारा 74 में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 75 में, "प्रत्येक ऐसे मास या मास के भाग के लिए, जिस तक कर या किसी भाग को इस प्रकार जमा करने में विलंब किया गया है, डेढ़ प्रतिशत की दर से" शब्दों के स्थान पर, "उस अवधि के लिए, जिस तक कर या किसी भाग को इस प्रकार जमा करने में विलंब किया गया है, चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ञ) धारा 75 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"75क. धारा 68 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी ऐसा कोई व्यक्ति, धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, पांच सौ रुपए की राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करेगा ।"; रजिस्ट्रीकरण में असफलता के लिए शास्ति।

(ट) धारा 77 में, "उतनी राशि का, जो प्रत्येक ऐसे सप्ताह या उसके भाग के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए से कम की नहीं होगी किंतु दो सौ रुपए की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार रुपए तक की राशि का," शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 78 में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड) धारा 79 में, "यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी का" शब्दों से आरंभ होने वाले और "धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"यदि, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त का, इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाहियों के प्रक्रम में, यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 71 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है,";

(ढ) धारा 82 में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 84 में,--

(क) उपधारा (1) में, "उसके अधीनस्थ केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(त) धारा 85 में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(थ) धारा 86 में,--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(2) बोर्ड, यदि वह धारा 84 के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश का विरोध करता है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकेगा ;

(2क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, यदि वह धारा 85 के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश का विरोध करता है तो, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकेगा ।"।

(ख) उपधारा (3) में, "या उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "या उपधारा (2) या उपधारा (2क)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) में, "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" से प्रारंभ होने वाले और "या उपधारा (2) के अधीन अपील की है," शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या निर्धारिती, यह सूचना प्राप्त होने पर कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन अपील की गई है,";

(घ) उपधारा (6) में, "उपधारा (2) में" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "या उपधारा (2) या उपधारा (2क)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

## अध्याय 6
## प्रकीर्ण

1898 के अधिनियम 6 का संशोधन ।

**131.** भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखी जाएगी, अर्थात् :--

"प्रथम अनुसूची

**(धारा 7 देखिए)**

### अंतर्देशीय डाक महसूल की दरें

**पत्र**

| | |
|---|---|
| बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 4.00 रु0 |
| बीस ग्राम से अधिक के हर बीस ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 4.00 रु0 |

**पत्र-कार्ड**

| | |
|---|---|
| पत्र कार्ड के लिए | 2.00 रु0 |

**पोस्टकार्ड**

| | |
|---|---|
| पोस्ट कार्ड (जो ऐसे पोस्टकार्ड नहीं हैं जिनमें मुद्रित संसूचना या प्रतियोगिता पोस्टकार्ड है) | |
| एकल | 50 पैसे |
| जवाबी | 1.00 रु0 |

**मुद्रित पोस्टकार्ड**

**पोस्टकार्ड जिनमें मुद्रित संसूचना है (जो प्रतियोगिता पोस्टकार्ड नहीं है)**

| | |
|---|---|
| एक पोस्टकार्ड के लिए | 3.00 रु0 |

**स्पष्टीकरण**--यदि पोस्टकार्ड में कोई बात (भेजने वाले के नाम और पते तथा उससे संबंधित अन्य विशिष्टियों तथा भेजने के स्थान और तारीख को छोड़कर) मुद्रण या चक्र-मुद्रण या किसी अन्य यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा, टंकण के सिवाय, पोस्टकार्ड के पते वाले पृष्ठ के दाहिने हाथ के आधे भाग के सिवाय किसी अन्य भाग पर अभिलिखित की जाती है तो यह समझा जाएगा कि उस पोस्टकार्ड में मुद्रित संसूचना है ।

**प्रतियोगिता पोस्टकार्ड**

| | |
|---|---|
| एक पोस्टकार्ड के लिए | 5.00 रु0 |

**स्पष्टीकरण**--यदि पोस्टकार्ड का प्रयोग टेलीविजन, रेडियो, समाचारपत्र, पत्रिका अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता के जवाब में किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह पोस्टकार्ड, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड है ।

**पुस्तक पैटर्न और सैम्पल पैकेट**

| | |
|---|---|
| प्रथम पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 3.00 रु0 |
| पचास ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 4.00 रु0 |

## रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र

| | |
|---|---|
| पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 25 पैसे |
| पचास ग्राम से अधिक किन्तु एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 50 पैसे |
| एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 20 पैसे |

किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रतियां एक ही पैकेट में ले जाने की दशा में--

| | |
|---|---|
| एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 50 पैसे |
| एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 20 पैसेः |

परंतु ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती के निवास स्थान पर परिदत्त नहीं किया जाएगा किन्तु किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को डाकघर में दिया जाएगा ।

## पार्सल

| | |
|---|---|
| पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 16.00 रु0 |
| पांच सौ ग्राम से अधिक के हर पांच सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 15.00रु0 ।"। |

**132.** केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में,-- 1956 के अधिनियम 74 की धारा 14 का संशोधन।

(क) खंड (iiग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(iiघ) किसी टर्बो-प्रौप वायुयान को विक्रय किया गया विमानन टर्बाइन ईंधन ।

**स्पष्टीकरण**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "टर्बो-प्रौप वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से ऐसे नोदित्र से प्रणोद प्राप्त करता है, जो टर्बाइन ईंजन या पिस्टन ईंजन से चलाया जा सकता है ;';

(ख) खंड (iv) में, उपखंड (i) में, "कच्चा लोहा और" शब्दों के स्थान पर "कच्चा लोहा, स्पंजी लोहा और" शब्द रखे जाएंगे ।

**133.** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 55, का 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । 1981 के अधिनियम 61 की धारा 55 का लोप।

**134.** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 48 का, 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । 1987 के अधिनियम 53 की धारा 48 का लोप।

**135.** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 50 का, 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । 1989 के अधिनियम 39 की धारा 50 का लोप।

---

## अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 110, खंड 113 के उपखंड (क), खंड 127, खंड 128 और खंड 129 के उपबंधों का, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तात्कालिक प्रभाव होगा। 1931 का 16

# पहली अनुसूची

**(धारा 2 देखिए)**

भाग 1

## आय-कर

**पैरा क**

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

***आय-कर की दरें***

| | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है | **कुछ नहीं ;** |
| (2) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किंतु 60,000 रु0 से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु0 से अधिक हो जाती है; |
| (3) जहां कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है | 1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है | 19,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है । |

**आय-कर पर अधिभार**

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में से,-

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में,-

(अ) ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है किंतु एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ; या

(आ) ऐसे आय-कर के सत्रह प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है,

परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में,

संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) की उपमद (अ) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो साठ हजार रुपए से अधिक है, से अधिक साठ हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऊपर मद (i) की उपमद (आ) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, से अधिक एक लाख पचास हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

**पैरा ख**

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

***आय-कर की दरें***

| | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत ; |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है | 1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है | 3,000 रु0 **धन** उस रकम का 35 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है । |

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

**पैरा ग**

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

***आय-कर की दर***

संपूर्ण कुल आय पर 35 प्रतिशत ।

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

**पैरा घ**

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

***आय-कर की दर***

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

**पैरा ङ**

कंपनी की दशा में,-

***आय-कर की दरें***

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 35 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए, प्राप्त फीसें,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 48 प्रतिशत ।

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, इस पैरा की मद I के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के तेरह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

**भाग 2**

## कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:-

| | आय-कर की दर |
|---|---|
| 1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,- | |
| (क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,- | |
| (i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत ; |
| (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत ; |
| (v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर - | 10 प्रतिशत ; |
| (अ) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न धन के लिए अन्य प्रतिभूतियां; | |
| (आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं | |
| (vi) किसी अन्य आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,- | |
| (i) अनिवासी भारतीय की दशा में,- | |
| (अ) विनिधान से किसी आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत ; |
| (इ) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (ई) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (ए) अन्य संपूर्ण आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,- | |
| (अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (आ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (इ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (उ) अन्य संपूर्ण आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| 2. कंपनी की दशा में,- | |
| (क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,- | |

| | आय-कर की दर |
|---|---|
| (i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (iv) किसी अन्य आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,- | |
| (i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को, आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार की बाबत अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है- | |
| (अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है | 30 प्रतिशत ; |
| (आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है | 20 प्रतिशत ; |
| (v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख) (iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]- | |
| (अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है | 50 प्रतिशत ; |
| (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है | 30 प्रतिशत ; |
| (इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है | 20 प्रतिशत ; |
| (vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,- | |
| (अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है | 50 प्रतिशत ; |
| (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है | 30 प्रतिशत ; |
| (इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है | 20 प्रतिशत ; |
| (vii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| (viii) किसी अन्य आय पर | 48 प्रतिशत । |

**स्पष्टीकरण** - इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में है ।

**आय-कर पर अधिभार**

इस भाग के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु किसी विदेशी कंपनी द्वारा कोई अधिभार संदेय नहीं होगा।

## भाग 3

## कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों से कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :-

**पैरा क**

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

***आय-कर की दरें***

| | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है | **कुछ नहीं ;** |
| (2) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किंतु 60,000 रु0 से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है ; |
| (3) जहां कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है | 1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है ; |
| (4) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है | 19,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है । |

**आय-कर पर अधिभार**

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में से,--

(i) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, उनसे भिन्न जो मद (i) में उल्लिखित है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो साठ हजार रुपए से अधिक हो जाती है, से अधिक साठ हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

**पैरा ख**

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

***आय-कर की दरें***

| | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत ; |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है | 1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है ; |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है | 3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है। |

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

**पैरा ग**

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

***आय-कर की दर***

| | |
|---|---|
| संपूर्ण कुल आय पर | 35 प्रतिशत । |

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

**पैरा घ**

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

***आय-कर की दर***

| | |
|---|---|
| संपूर्ण कुल आय पर | 30 प्रतिशत । |

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

**पैरा ङ**

कंपनी की दशा में,-

***आय-कर की दरें***

| | |
|---|---|
| I. देशी कंपनी की दशा में | कुल आय का 35 प्रतिशत ; |
| II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,- | |
| (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,- | |
| (क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा | |
| (ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए प्राप्त फीसें, | |
| और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है | 50 प्रतिशत; |
| (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो | 48 प्रतिशत । |

**आय-कर पर अधिभार**

प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, इस पैरा की मद I के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 4

**[धारा 2(10)(ग) देखिए]**

## शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

***नियम 1***—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे:

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश नहीं हैं ।

***नियम 2***—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़कर] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

***नियम 3***—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

***नियम 4***—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में,--

(क) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उगाई गई रबड़ से उसके द्वारा विनिर्मित अपकेन्द्रित लेटेक्स या सिनेक्स के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उगाई गई और विनिर्मित काफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

***नियम 5***—जहां निर्धारिती (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

***नियम 6***—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत की बाबत पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

***नियम 7***—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

***नियम 8***—(1) जहां निर्धारिती की, 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1993 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1994 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,--

(i) 1993 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1994 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1994 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगाणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1994 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए,--

(i) 1994 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी ने इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 1993 (1993 का 38) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1995 (1995 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1997 (1997 का 26) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

***नियम 9***—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

***नियम 10***—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध हैं) आवश्यक उपांतरों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

***नियम 11***—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

# दूसरी अनुसूची

**[धारा 113(क) देखिए]**

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 8 में, उपशीर्ष सं. 0801.11 और 0801.19 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "60%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(2) अध्याय 9 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 0901.11, 0901.12, 0901.21, 0901.22 और 0901.90 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "70% ऋण 13 पैसे प्रति कि.ग्रा." प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 0902.10, 0902.20, 0902.30 और 0902.40 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "70% ऋण 26 पैसे प्रति कि.ग्रा." प्रविष्टियां रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 12 में, उपशीर्ष सं. 1203.00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "60%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(4) अध्याय 49 में, उपशीर्ष सं. 4906.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 50 में, उपशीर्ष सं. 5003.10 और 5003.90 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 51 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5111.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5111.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5111.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5111.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5111.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5112.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5112.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 155 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5112.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 85 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5112.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5112.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 52 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5202.10, 5202.91 और 5202.99 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) उपशीर्ष सं. 5208.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5208.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 37 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5208.52 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 23 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5208.53 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5208.59 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5209.31, 5209.32 और 5209.39 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5209.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5209.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5209.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 5209.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 5209.51 और 5209.52 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 5209.59 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 5210.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 5210.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 5210.51 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 5210.59 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 5211.31, 5211.32 और 5211.39 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 5211.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 5211.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 5211.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 5211.51, 5211.52 और 5211.59 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 54 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 5407.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5407.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5407.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5407.44 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 58 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5407.52 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5407.53 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5407.54 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5407.61 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5407.69 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5407.72 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 5407.73 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 5407.74 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 5407.82 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 5407.83 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 5407.84 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 5407.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 5407.93 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 5407.94 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 5408.22 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 5408.23 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 5408.24 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 87 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 5408.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं. 5408.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 55 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5512.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5512.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5513.23 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 125 रुपए प्रति कि.ग्रा. या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5513.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 21 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5513.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5513.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 125 रुपए प्रति कि.ग्रा. या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5513.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5513.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5513.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5514.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 100 रुपए प्रति कि.ग्रा. या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 5514.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 64 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 5514.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 43 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 5514.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 5514.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 26 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 5514.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 5515.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 5515.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 5515.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 79 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 5515.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 5515.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 57 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 5515.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 5515.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं. 5516.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष सं. 5516.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष सं. 5516. 22 और 5516.23 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष सं. 5516.94 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 58 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5801.35 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 68 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5802.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 61 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 6104.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 460 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 6104.62 और 6104.63 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 98 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 6105.10 और 6105.20 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 83 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 6105.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 90 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 6106.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 90 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 6107.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 24 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 6108.21 और 6108.22 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 25 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 6108.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 6108.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 60 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 6109.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 45 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 6109.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 50 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 6110.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 85 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 6110.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 6110.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 105 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 62 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 6201.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 320 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 6201.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 6201.93 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 180 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 6202.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 6202.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 160 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 6203.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 440 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 6203.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 320 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 6203.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 775 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 6203.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 6203.43 और 6203.49 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं.6204.11 और 6204.13 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 550 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 6204.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 500 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 6204.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 370 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 6204.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 650 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 6204.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 6204.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 350 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 6204.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 116 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 6204.62 और 6204.69 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 6205.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 85 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 6205.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 120 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 6205.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 6206.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं. 6206.40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 120 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष सं. 6207.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 28 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष सं. 6207.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 30 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष सं. 6207.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 70 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष सं. 6208.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 80 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष सं. 6208.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 60 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष सं. 6208.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष सं. 6208.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष सं. 6210.40 और 6210.50 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष सं. 6214.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 63 में, उपशीर्ष सं. 6301.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 275 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 70 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 7019.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 7019.51 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 84 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 8456.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 8469.11, 8470.10, 8470.21, 8470.29, 8470.30, 8470.40, 8470.50, 8470.90, 8473.21 और 8473.29 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 85 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8520.20, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 8523.20, 8523.90, 8524.31, 8524.40, 8524.91, 8525.20, 8531.20, 8532.10, 8532.22, 8532.23, 8532.25, 8532.29 और 8532.30 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 8543.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 8543.81 और 8544.70 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 87 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 8703.10, 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33 और 8703.90 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "105%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 8711.10, 8711.20, 8711.30, 8711.40, 8711.50 और 8711.90 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "105%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 90 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 9009.11, 9009.21, 9009.90, 9026.10 और 9030.40 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं.9031.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

# तीसरी अनुसूची

**[धारा 113 (ख) देखिए]**

## भाग 1

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,-

(1) "शीर्ष सं0" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "शीर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) "उपशीर्ष सं0" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "उपशीर्ष" शब्द रखा जाएगा ।

(3) अध्याय 3 में,--

(i) टिप्पण 1 के खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमशः खंड (ग) और खंड (घ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(क) शीर्ष सं0 01.06 के स्तनपायी ;

(ख) शीर्ष सं0 01.06 (शीर्ष सं0 02.08 या 02.10) के स्तनपायी का मांस ;";

(ii) शीर्ष सं0 03.05 के उपशीर्ष सं0 0305.20 में, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"-- मछली के यकृत और मीनाडंक, शुष्कित, धूमित, लवणित या लवण जल में रखे ";

(4) अध्याय 4 में, उपशीर्ष टिप्पण 1 में, "प्रयोजन" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्रयोजनों";

(5) अध्याय 5 के टिप्पण 3 में, "हाथी, वालरस" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"हाथी, हिप्पोपटामस, वालरस";

(6) अध्याय 7 के शीर्ष सं0 07.11 में उपशीर्ष सं0 0711.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(7) अध्याय 8 में,--

(i) शीर्ष सं0 08.05 में, उपशीर्ष सं0 0805.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष सं0 08.12 में, उपशीर्ष सं0 0812.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(8) अध्याय 11 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) शीर्ष सं0 19.01 का तैयार किया गया आटा, दलिया, अवचूर्ण या स्टार्च ;";

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (अ) में "या दले हुए को हमेशा शीर्ष सं0 11.04 में वर्गीकृत किया जाता है" शब्दों के स्थान पर "या दले हुए को हमेशा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष सं0 11.03 में उपशीर्ष सं0 1103.12 और उपशीर्ष 1103.14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 11.04 उपशीर्ष सं0 1104.11 और 1104.21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(9) अध्याय 12 में,--

(i) टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष सं0 टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**'उपशीर्ष टिप्पण**

1. उपशीर्ष सं0 1205.10 के प्रयोजनों के लिए, " निम्न एरूसिक अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज" पद से अभिप्रेत तोरिया या कोल्जा बीज अभिप्रेत है जो अवाष्पशील तेल पैदा करता है जिसमें भार के आधार पर दो प्रतिशत से अन्यून का एरूसिक अम्ल है और ठोस संघटक पैदा करता है जिसमें प्रति ग्राम ग्लूकोसाइनोलेट का 30 माइक्रोमोल से अन्यून है ।";

(ii) शीर्ष सं0 12.07 में, उपशीर्ष 1207.92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष सं0 12.12 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 1212.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

" --खुबानी, आडू (जिसके अंतर्गत शफ़तालू भी है) या आलू बुखारा की गुठली और गिरी";

(ख) उपशीर्ष सं0 1212.92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) अध्याय 13 में, टिप्पण 1 में, खंड (च) से खंड (झञ) को क्रमशः खंड (छ) से खंड (ट) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (छ) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च) पोस्त तृण के सान्द्र जिसमें ऐलकेलाइड के भार के आधार पर 50% से अन्यून है (शीर्ष सं0 29.39) ;";

(11) अध्याय 15 में,--

(i) टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**'उपशीर्ष टिप्पण**

1. उपशीर्ष सं0 1514.11 और 1514.19 के प्रयोजनों के लिए, "निम्न एरूसिक अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज" पद से वह अवाष्पशील तेल अभिप्रेत है जिसमें भार के आधार पर दो प्रतिशत से अन्यून एरूसिक अम्ल अंतर्वस्तु है ।";

(ii) शीर्ष सं0 15.15 में उपशीर्ष सं0 1515.60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(12) अध्याय 19 में,--

(i) टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'2. शीर्ष सं0 19.01 के प्रयोजनों के लिए :

(क) "दलिया" शब्द से अध्याय 11 का अनाज दलिया अभिप्रेत है ;

(ख) "आटा" और "खाना" शब्दों से निम्नलिखित अभिप्रेत है ;

(1) अध्याय 11 का अनाज आटा और खाना, और

(2) किसी अध्याय के वनस्पति मूल का आटा, खाना और पाऊडर, आलू (शीर्ष सं0 11.05) के आटा, खाना या शुष्कित वनस्पति के पाऊडर या फलीदार वनस्पति (शीर्ष सं0 11.06) से भिन्न ।';

(ii) शीर्ष सं0 19.01 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" माल्ट निष्कर्ष, आटा, दलिया, अवचूर्ण या माल्ट निष्कर्ष की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको नहीं है या जिनमें पूर्णतः निर्वसीकृत आधार पर कोको भार के अनुसार 40% से कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, शीर्ष सं0 04.01 से 04.04 के माल की खाद्य निर्मितियां जिनमें कोको नहीं है या जिनमें पूर्णतः निर्वसीकृत आधार पर परिकलित कोको भार के अनुसार 5% से कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ।";

(iii) शीर्ष सं0 19.04 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" धान्य या धान्य उत्पाद को फुलाकर या भूनकर अभिप्राप्त खाद्य (उदाहरणार्थ कार्न पत्रक), धान्य (मक्का से भिन्न कार्न), कर्ण के रूप में या पत्रक के रूप में या अन्य निर्मित कण (आटा, दलिया और अवचूर्ण को छोड़कर), पहले से पकाया गया या अन्यथा निर्मित, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है";

(13) अध्याय 20 में,--

(i) टिप्पण 5 को टिप्पण 6 के रूप में पुनःसंख्यां कित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 6 के पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'5. शीर्ष सं0 20.07 के प्रयोजनों के लिए, "पकाकर प्राप्त करना" पद से जल अंतर्वस्तु या अन्य माध्यमों को कम करके किसी उत्पाद की विस्कोसिटी में वृद्धि करने के लिए पर्यावरणीय दवाब पर या कम किए गए दवाब के अंतर्गत उष्मायित अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया अभिप्रेत है । ';

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

' 3. उपशीर्ष सं0 2009.12, उपशीर्ष सं0 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 और 2009.71 के प्रयोजनों के लिए, "ब्रिक्स मूल्य" पद से किसी ब्रिक्स हाइड्रोमीटर से या किसी रेफरोमीटर से प्राप्त शुकरोज अंतर्वस्तु की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त रिफलेक्टिव सूचकांक के रूप में 20°सै0 तापमान पर या 20°सै0 के सही किए गए यदि पठन किसी विभिन्न तापमान पर किया जाता है, से प्राप्त डिग्री ब्रिक्स का प्रत्यक्ष पठन अभिप्रेत है ;

(iii) शीर्ष सं0 20.01 में उपशीर्ष सं0 2001.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 20.07 में स्तंभ (3) में "जो पकाई गई निर्मितियां हैं" शब्दों के स्थान पर, "पकाकर प्राप्त की गई" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष सं0 20.08 में, उपशीर्ष सं0 2008.70 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

' "आड़ू जिसके अंतर्गत शफ़तालू हैं";

(14) अध्याय 22 में, शीर्ष सं0 22.08 में , स्तंभ (3) में "अविकृति" , शब्द के स्थान पर "अविकृतिकृत" रखा जाएगा ;

(15) अध्याय 23 में, टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**'उपशीर्ष टिप्पण**

1. उपशीर्ष सं0 2306.41 के प्रयोजनों के लिए, " न्यून एरूसिड अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज" पद से उपशीर्ष टिप्पण 1 से अध्याय 12 में यथापरिभाषित बीज अभिप्रेत हैं ;' ;

(16) अध्याय 25 में,--

(i) टिप्पण 4 में, "भंजित भृत भांड" शब्दों के स्थान पर "भृत भांड, ईंट या कंक्रीट के भंजित टुकडें" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष सं0 25.18 में,

(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" डोलोमाइट, चाहे निस्तापित या निसादित है या नहीं ; या स्थल रूप से कर्तित या आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार के ब्लाकों या सिल्लियों में मात्र कर्तित डोलोमाइट ; डोलोमाइट अवशेष मिश्रण";

(ख) उपशीर्ष सं0 2518.10 में स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -- डोलोमाइट, जो निस्तापित या निसादित नहीं है ";

(ग) उपशीर्ष सं0 2518.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -- निस्तापित या निसादित डोलोमाइट ";

(घ) उपशीर्ष सं0 2518.30 में, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -- डोलोमाइट रेमिंग मिश्रण";

(iii) शीर्ष सं0 25.27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 25.30 में उपशीर्ष सं0 2530.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(17) अध्याय 26 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ग) से खंड (च) को क्रमश खंड (घ) से खंड (छ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (घ) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : --

(घ) पेट्रोलियम तेल के भंडारण टैंकों से सलश जिसमें मुख्यतः ऐसे तेल हैं (शीर्ष सं0 27.10);';

(ii) टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

(3) शीर्ष सं0 26.20 केवल निम्नलिखित को लागू होता है :

(क) इस प्रकार के भस्म और अवशिष्ट जिनका धातु के निष्कर्षण के लिए या धातु के रसायनिक सम्मिश्रण के विनिर्माण के लिए आधार के रूप में उद्योग में प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत नगरपालिक अपशिष्ट के भस्मित्र से प्राप्त भस्म और अवशिष्ट नहीं है (शीर्ष सं0 26.21) ; और

(ख) इस प्रकार का भस्म और अवशिष्ट जिसमें आरसेनिक है, चाहे उसमें धातु हो अथवा नहीं जिसका आरसेनिक या धातु के निष्कर्षण के लिए या उनके रसायनिक सम्मिश्रणों के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है ।";

(iii) टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

**' उपशीर्ष टिप्पण**

1. उपशीर्ष सं0 2620.21 के प्रयोजनों के लिए, "सीसे की गैसोलीन सलज और सीसे की नाकरोधी सम्मिश्रण सलज" से सीसे के गैसोलीन के भंडारण टैंकों से और सीसे के नाकरोधी सम्मिश्रण से प्राप्त सलैज (उदाहरणार्थ टेथरेथिल सीसा), जिसके अंतर्गत आवश्यक रूप से सीसा, सीसा सम्मिश्रण और लौह आक्साइड सम्मिलित है ।

2. इस प्रकार के भस्म और अवशिष्ट जिसके अंतर्गत आरसेनिक, पारा, थैलीयम या उनके मिश्रण जिनका आरसेनिक या ऐसी धातुओं के निष्कर्षण के लिए अथवा उनके रासायनिक सम्मिश्रणों के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, उपशीर्ष सं0 2620.60 में वर्गीकृत किए जाएंगे ।';

(iv) शीर्ष सं0 26.20 में,--

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" भस्म और अवशिष्ट (लौहा या इस्पात के विनिर्माण से भिन्न), जिसमें आरसेनिक, धातु या उनके मिश्रण हैं ";

(ख) उपशीर्ष सं0 2620.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(18) अध्याय 27 में,--

(i) टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"3. शीर्ष सं0 27.10 के प्रयोजनों के लिए "अपशिष्ट तेल" से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत मुख्यतः पेट्रोलियम तेल और ऐसे तेल सम्मिलित हैं जो बिटुमिनी खनिजों से प्राप्त किए गए हैं (जैसा इस अध्याय के टिप्पण 2 में वर्णित है) चाहे उनमें जल मिश्रित किया गया हो अथवा नहीं । इसके अंतर्गत :

(क) ऐसे तेल सम्मिलित हैं जो अब मुख्य उत्पाद के रूप में प्रयोग के लायक नहीं है (उदाहरणार्थ, प्रयुक्त स्नेहक तेल, प्रयुक्त हाईड्रोलिक तेल और प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल) ;

(ख) पेट्रोलियम तेलों के भंडारण टैंकों से सलज तेल जिसमें मुख्य रूप से ऐसे तेल और संयोजी के उच्च सान्द्र (उदाहरणार्थ रसायन) सम्मिलित है जिनका प्रयोग मुख्य उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है ; और

(ग) जल या जल के साथ मिश्रण में पायसीकरण के रूप में ऐसे तेल जैसे तेल निक्षारण, भांडारण टैंक, धावण से पैदा होने वाले या मशीनी संक्रियाओं के लिए कृतण तेल के प्रयोग से पैदा होने वाले तेल ।";

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :--

' 3. उपशीर्ष 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 और 2707.60 के प्रयोजनों के लिए, "बेनजोल (बेनजीन)" , "टूलवाल (टोलीन)" , "वायलाल (वायलीन)" , "नेफ्थालीन" और फिनॉल" पद ऐसे उत्पादों को लागू होते हैं जिनमें क्रमशः बेनजीन, टोलीन, वायलीन, नेथालीन या फिनॉल के भार के आधार पर 50% से अधिक अन्तर्विष्ट है ;';

' 4. उपशीर्ष 2710.11 के प्रयोजनों के लिए, " हल्के तेल और निर्मितियां" वे हैं जिनका 210$^{0}$सै0 (ए0एस0टी0एम0 डी0 86 प्रणाली) पर डिस्टिल वाल्यूम द्वारा (जिसके अंतर्गत हानियां है), 90% या अधिक हैं ।';

(iv) शीर्ष 27.07 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 2707.10 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -बेनजाल (बेनजीन)";

(ख) उपशीर्ष सं0 2707.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -टूलवाल (टोलीन)";

(ग) उपशीर्ष सं0 2707.30 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -वायलाल (वायलीन)";

(19) अध्याय 28 में,--

(i) टिप्पण 3 में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) शीर्ष सं0 32.06 के इस प्रकार के अकार्बनिक उत्पाद जिनका प्रयोग लूमीनीफोर ; ग्लास फ्रिट और अन्य ग्लास के रूप में शीर्ष सं0 32.07 के पाऊडर, दाने या फलेक के रूप में किया जाता है ;";

(ii) शीर्ष सं0 28.09 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" डीफास्फोरस पैंटाऑक्साइड; फासफोरिक अम्ल, पालीफासफोरिक अम्ल, चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित किए गए हों अथवा नहीं ";

(iii) शीर्ष सं0 28.27 में उपशीर्ष सं0 2827.38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 28.30 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" सल्फाइड ; पाली सल्फाइड चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं ";

(v) शीर्ष सं0 28.34 में उपशीर्ष सं0 2834.22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) शीर्ष सं0 28.35 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"फोसफिनेट (हाइपोफोसफिइड), फोसफिनेट (फासफाइड) और फासफेट ; पाली फास्फेट चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं ";

(vii) शीर्ष सं0 28.36 में उपशीर्ष सं0 2836.70 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"सीसा कारबोनेट ";

(viii) शीर्ष सं0 28.41 में उपशीर्ष सं0 2841.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ix) शीर्ष सं0 28.42 में,–

(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"अकार्बनिक अम्ल के अन्य लवण या पैरोक्साइड (जिसके अंतर्गत एलेमीनोसिलेकेड है चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं), एजाइड से भिन्न ";

(ख) उपशीर्ष सं0 2842.10 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" दोहरे या जटिल सिलीकेट जिसके अंतर्गत ऐलूमीनोसिलिकेट भी है चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं ";

(20) अध्याय 29 में,–

(i) टिप्पण 1 में खंड (ग) के स्थान पर निमनलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) शीर्ष सं0 29.36 से 29.39 के उत्पाद या शूगर इथर, शूगर ऐसीटल और शूगर इस्टर और शीर्ष सं0 29.40 के उनके लवण, या शीर्ष सं0 29.41 के उत्पाद चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं ;"

(ii) टिप्पण 7 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'8- शीर्ष सं0 29.37 के प्रयोजनों के लिए :

(क) "हार्मोन" शब्द के अंतर्गत हार्मोन निर्मोचन या हार्मोन उद्दीपक कारक, हार्मोन इनीबीटर और हार्मोन एन्टागोनिस्ट (हार्मोन-रोधी) सम्मिलित हैं ;

(ख) "मुख्यतः हार्मोन के रूप में प्रयुक्त" पद न केवल हार्मोन व्युत्पन्न और उनके हार्मोन प्रभाव के लिए मुख्यतः प्रयोग किए संरचनात्मक सदृश्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं अपितु उन व्युत्पन्नों और संरचनात्मक सदृशों के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं जिनका इस शीर्ष सं0 के उत्पादों के संशिलष्ट में मध्यवर्ती के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है । ';

(iii) शीर्ष सं0 29.03 में उपशीर्ष सं0 2903.16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 29.07 में,-

(क) स्तंभ (3) में, उपशीर्ष सं0 2907.19 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् "-पालीफिनाल ;" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

" -पालीफिनाल, फेनाल-एल्कोहलः ";

(ख) उपशीर्ष सं0 2907.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष सं0 29.14 में, उपशीर्ष सं0 2914.31 में स्तंभ (3) में, "(1- फेनीप्लोरोपान-2-एक)" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "(फेनीप्लोरोपान-2-एक)" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) शीर्ष सं0 29.15 में, उपशीर्ष सं0 2915.60 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

" -ब्यूटेनिक अम्ल, पेन्टेनिक अम्ल, उनके लवण और ईस्टर";

(vii) शीर्ष सं0 29.18 में, उपशीर्ष सं0 2918.17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(viii) उप अध्याय 8 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

" 8. अधातू के अकार्बनिक अम्लों के ईस्टर और उनके लवण, और उनके हैलोजेनेटेड सल्फुनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न";

(ix) शीर्ष सं0 29.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"अधातु के अन्य अकार्बनिक अम्लों के ईस्टर (जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन हैलाइड के ईस्टर नहीं हैं) और उनके लवण; उनके हैलोजिनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसिटेड व्युत्पन्न";

(x) शीर्ष सं0 29.22 में,-

(क) स्तंभ (3) में, शीर्ष सं0 29.22 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, " -एनिमो एल्कोहल, उनके ईथर और ईस्टर, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक किस्म के आक्सीजन समूह हैं ; उनके लवण से अधिक हैं, " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"एनिमो एल्कोहल उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक किस्म के आक्सीजन समूह हैं, उनके ईथर और ईस्टर ; उनके लवण ; "

(ख) उपशीर्ष सं0 2922.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, " -एमिनो-नेफ्थाल और अन्य एमीनो-फिनाल, उनके ईथर और ईस्टर, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह हैं ; उनके लवण" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"-एमिनो-नेफ्थाल और अन्य एमीनो-फिनाल, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक किस्म के आक्सीजन समूह हैं, उनके ईथर और ईस्टर, ; उनके लवण";

(xi) शीर्ष सं0 29.23 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" क्वाटर्नरी अमोनियम लवण और हाइड्रोक्साइड ; लेसीथिन और अन्य फास्फोएनिमोलिपिड चाहे उन्हें रासायनिक रूप से परिभाषित किया गया हो अथवा नहीं ";

(xii) शीर्ष सं0 29.34 में,-

(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" न्यूक्लिक अम्ल और उनके लवण, चाहे उन्हें रासायनिक रूप से परिभाषित किया गया हो अथवा नहीं ; अन्य हीट्रोसाइक्लिक सम्मिश्रण";

(ख) उपशीर्ष सं0 2934.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" -सम्मिश्रण जिनकी संरचना में बेन्जोथिएजोल चक्र पद्वति (चाहे वह हाइड्रोजेनेट हो अथवा नहीं) जिसको आगे संगलित नहीं किया गया है";

(ग) उपशीर्ष सं0 2934.30 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" -सम्मिश्रण जिनकी संरचना में बेन्जोथिएजोल चक्र पद्धति (चाहे वह हाइड्रोजेनेट हो अथवा नहीं) जिसको आगे संगलित नहीं किया गया है";

(xiii) शीर्ष सं0 29.39 में, उपशीर्ष सं0 2939.70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xiv) शीर्ष सं0 29.40 में, उपशीर्ष सं0 2940.00 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"शर्करा, रासायनिक रूप से शुद्ध, सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, ग्लूकोस और फ्रक्टोस ; शर्करा ईथर, शर्करा एसीटल और शर्करा ईस्टर और उनके लवणों से भिन्न, शीर्ष सं0 29.37, 29.38 या 29.39 शीर्ष के उत्पादों से भिन्न";

(21) अध्याय 30 में,–

(i) टिप्पण 1 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) खाद्य और सुपेय (अर्थात् आहारिकी, मधुमेही या प्रवलित खाद्य, खाद्य पूरक, टानिक सुपेय और खनिज जल) जो अंतः शिरा उपयोग के लिए पोषक निर्मितियां हैं (अनुभाग 4) ;";

(ii) टिप्पण 4 में,–

(क) खंड (छ) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(ज) शीर्ष सं0 29.37 के अन्य उत्पादों या शुक्राणुनाशियों हार्मोनों पर आधारित रासायनिक गर्भ-निरोधक निर्मितियां ;

(झ) जेलनिर्मितियां, जो मानव या पशु चिकित्सा आयुर्विज्ञान में शल्य चिकित्सा आपरेशन या शारीरिक परीक्षण के लिए शरीर के भागों के संबंध में स्नेहक तेल के रूप में या शरीर और चिकित्सीय उपकरणों के बीच युग्मक कर्मक के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए अभिकल्पित की गई हैं ; और

(ट) अपशिष्ट भेषजीय, अर्थात् भेषजीय उत्पाद जो उदाहरणार्थ उनकी अंतिम अवधि की समाप्ति के कारण उनके मूल आशयित प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हैं ।";

(iii) शीर्ष सं0 30.04 में,–

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"औषधि द्रव्य (जिनमें शीर्ष सं0 30.02, 30.05 या 30.06 के माल नहीं हैं) जिसमें चिकित्सीय या रोग निरोधी उपयोगों के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद हैं जो मापित मात्राओं में (जिसमें वे भी हैं जो ट्रान्सडर्मल कर्मक प्रणाली के रूप में हैं) या रूपों में या पैकिंग में फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं";

(ख) उपशीर्ष सं0 3004.32 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"- जिनमें अधिवृक्क हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचना संबंधी सदृश हैं";

(iv) शीर्ष सं0 30.06 में, उपशीर्ष सं0 3006.60 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"-हार्मोन या शीर्ष सं0 29.37 के अन्य उत्पादों या शुक्राणुनाशियों पर आधारित रासायनिक गर्भ-निरोधक निर्मितियां";

(22) अध्याय 32 में, शीर्ष सं0 32.06 के उपशीर्ष सं0 3206.11 में, स्तंभ (3) में "शुष्क भार के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "शुष्क विषयों के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे ;

(23) अध्याय 34 में,–

(i) शीर्ष सं0 34.01 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"साबुन ; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो डंडों, टिकियों, संचित खंडों या आकारों के रूप में हैं चाहे उनमें साबुन है या नहीं ; चर्म को धोने के लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो द्रव्य या क्रीम के रूप में हैं और फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं चाहे उनमें साबुन, कागज, वैडिंग, नमदा और अव्यूतित सामग्री है या नहीं, जो साबुन या अपमार्जक से संसेचित, विलेपित या आच्छादित है ";

(ii) शीर्ष सं0 34.04 के उपशीर्ष सं0, 3404.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" -पॉली (आक्सीथिलीन) (पॉलीथिलीन ग्लाइकोल)";

(24) अध्याय 35 में, शीर्ष सं0 35.06 के उपशीर्ष सं0 3506.91 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" -शीर्ष सं0 39.01 से 39.13 के प्लास्टिक या रबड़ पर आधारित आसंजक";

(25) अध्याय 38 में,–

(i) टिप्पण 1 में,–

(क) टिप्पण (क) में, उपखंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(4) नीचे टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट प्रमाणित निर्देश सामग्री ;

(5) नीचे टिप्पण 3(क) या 3(ग) में विनिर्दिष्ट उत्पाद ;";

(ख) खंड (ख) में, "(साधारणतया शीर्ष सं0 21.06)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(शीर्ष सं0 21.06)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ग) और खंड (घ) को खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (घ) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) भस्म और अवशिष्ट (जिसमें मल अवमल से भिन्न अवमल सम्मिलित है), जिनमें धातु, आर्सनिक या उनके मिक्वर हैं और जो अध्याय 26 (शीर्ष सं0 26.20) के टिप्पण 3(क) या 3(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं " ;

(घ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (घ) में, "(शीर्ष सं0 30.03 या 30.04)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(शीर्ष सं0 30.03 या 30.04) ; या" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 2 को टिप्पण 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण और उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

' 2(अ) शीर्ष सं0 38.22 के प्रयोजन के लिए "प्रमाणित निर्देश सामग्री" से ऐसी निर्देश सामग्री अभिप्रेत है जिसके साथ एक प्रमाणपत्र होता है जो प्रमाणित गुणधर्मों का मूल्य, इन मूल्यों को अवधारित करने के लिए प्रयोग की गई पद्धतियों और प्रत्येक मूल्य के साथ सहयुक्त निश्चितता की मात्रा उपदर्शित करती है और जो विश्लेषणात्मक, अंशान्कन या निर्देश करने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त हैं ।

(आ) अध्याय 28 या 29 के उत्पादों के अपवाद सहित, प्रमाणित निर्देश सामग्री के वर्गीकरण के लिए, शीर्ष सं0 38.22, नाम पद्धति में किसी अन्य शीर्ष पर अग्रता रखेगा ।';

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण और उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

' 4. संपूर्ण नाम पद्धति में, "नगरपालिक अपशिष्ट" से इस प्रकार का अपशिष्ट अभिप्रेत है जो गृहों, होटलों, रेस्तरां, अस्पतालों, दुकानों, कार्यालयों आदि, सड़क और पटरी झाड़न और निर्माण और ढहा देने के कारण एकत्र होता है । नगरपालिक अपशिष्ट में साधारणतया अनेक किस्म की सामग्रियां होती हैं जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, कागज, वस्त्र, कांच, धातु, खाद्य सामग्री, टूटे फर्नीचर और अन्य नष्ट या फैकी हुई वस्तुएं । तथापि, " नगरपालिक अपशिष्ट" पद के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :--

(क) अपशिष्ट से अलग की गई व्यष्टिक सामग्री या वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, पेपर, वस्त्र, कांच या धातु और भुक्तशेष बैट्रियां जो नामपद्धति के उनके समुचित शीर्ष सं0 के अंतर्गत आते हैं ;

(ख) औद्योगिक अपशिष्ट ;

(ग) अध्याय 30 के टिप्पण 4(ट) में यथापरिभाषित भेषजीय अपशिष्ट ; या

(घ) नीचे टिप्पण 6(क) में यथापरिभाषित क्लीनिक संबंधी अपशिष्ट ।

5. शीर्ष सं0 38.25 के प्रयोजनों के लिए "मल अवमल" से शहरी बहि उपचार संयंत्र से उत्पन्न होने वाला अवमल अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पूर्व उपचार अपशिष्ट, अभिमार्जन और अस्थायीकृत अवमल है । स्थायीकृत अवमल जब खाद के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त हो, (अध्याय 31) के अंतर्गत नहीं है ।

6. शीर्ष सं0 38.25 के प्रयोजनों के लिए "अन्य अपशिष्ट" पद निम्नलिखित को लागू होता है,--

(क) क्लीनिक संबंधी अपशिष्ट अर्थात् चिकित्सा अनुसंधान, निदान, उपचार या अन्य चिकित्सीय, शल्य, दंत संबंधी या पशु चिकित्सा प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाला संदूषित अपशिष्ट, जिसमें प्रायः रोगजनक और भेषजीय पदार्थ होते हैं और जिनके लिए विशेष व्ययन प्रक्रिया अपेक्षित है (उदाहरणार्थ मैली पट्टियां, प्रयोग किए गए दस्ताने और प्रयोग की गई सिरिंजें) ;

(ख) अपशिष्ट कार्बनिक विलायक ;

(ग) धातु अम्लौपचारी लिकर, हाइड्रोलिक तरल, ब्रेक तरल और हिम-रोधी तरल के अपशिष्ट ; और

(घ) रासायनिक या सहबद्ध उद्योगों के अन्य अपशिष्ट ।

"अन्य अपशिष्ट" पद के अंतर्गत, तथापि, ऐसे अपशिष्ट नहीं आते हैं जिनमें मुख्यतः पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनी खनिजों से प्राप्त तेल (शीर्ष सं0 27.10) है ।

**उपशीर्ष टिप्पण**

1. उपशीर्ष सं0 3825.41 और 3825.49 के प्रयोजनों के लिए " अपशिष्ट कार्बनिक विलायक" ऐसे अपशिष्ट हैं जिनमें मुख्यतः कार्बनिक विलायक हैं, जिसका यथाविद्यमान प्राथमिक उत्पादों के रूप में और प्रयोग के लिए नहीं हैं चाहे विलायकों की पुनःप्राप्ति के लिए आशयित हों या नहीं ।';

(iv) शीर्ष सं0 38.22 में, उपशीर्ष सं0 3822.00 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"बेक करने पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, निर्मित नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक चाहे बेक किए गए हों या नहीं, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 30.02 या 30.06 में हैं ; प्रमाणित निर्देश सामग्री";

(v) शीर्ष सं0 38.24 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" ढलाईशाला, संच या क्रोड के लिए निर्मित बंधक ; रासायनिक या सहबद्ध उद्योगों के रासायनिक उत्पाद और निर्मितियां (जिनमें प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण भी हैं) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं";

(26) अध्याय 39 में,--

(i) "उपशीर्ष टिप्पण" शब्दों के स्थान पर "उपशीर्ष टिप्पण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण को उसके उपशीर्ष टिप्पण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपशीर्ष टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'2. उपशीर्ष सं0 3920.43 के प्रयोजनों के लिए, "प्लास्टिक" पद के अंतर्गत गौण प्लास्टिक भी है ।';

(iii) शीर्ष सं0 39.04 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 3904.10 में, स्तंभ (3) में "पालीविनाइल क्लोराइड" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"पाली (विनाइल क्लोराइड)";

(ख) उपशीर्ष सं0 3904.10 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् स्तंभ (3) में "-अन्य पालीविनाइल क्लोराइड" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"-अन्य पाली (विनाइल क्लोराइड)";

(iv) शीर्ष सं0 39.05 में,--

(क) शीर्ष सं0 39.05 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (3) में " -पालीविनाइल एसिटेट" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

" -पाली (विनाइल एसिटेट)";

(ख) उपशीर्ष सं0 3905.30 में, स्तंभ (3) में "पालीविनाइल एल्कोहाल" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"-पाली (विनाइल एल्कोहाल)";

(v) शीर्ष सं0 39.06 में, उपशीर्ष सं0 3906.10 में,स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -पाली (मिथाइल मिथाक्रिलेट)";

(vi) शीर्ष सं0 39.07 में, उपशीर्ष सं0 3907.60 में,स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -पाली (इथिलीन टैरिफ्थालेट)";

(vii) शीर्ष सं0 39.20 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 3920.51 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -पाली (मिथाइल मिथाक्रिलेट) के";

(ख) उपशीर्ष सं0 3920.62 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -पाली (इथिलीन टैरिफ्थालेट) के";

(ग) उपशीर्ष सं0 3920.91 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-पाली (विनाइल बुटिराल) के";

(viii) शीर्ष सं0 39.22 में,--

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" प्लास्टिक के बाथ,शावर बाथ, सिंक, वाश बेसिन, बिड़े, शौचालय पैन, सीट और आच्छद, फ्लश करने के सिस्टर्न और वैसे ही स्वच्छता सामान";

(ख) उपशीर्ष सं0 3922.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -बाथ, शावर बाथ, सिंक और वाश बेसिन";

(ix) शीर्ष सं0 39.26 में, उपशीर्ष सं0 3926.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -परिधान वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन (जिनके अंतर्गत दस्ताने, मिटिन और मिट भी हैं)";

(27) अध्याय 40 में,--

(i) टिप्पण 2 में, खंड (च) में, " दस्ताने" शब्द के स्थान पर " दस्ताने, मिटिन और मिट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष सं0 40.15 में,--

(क) स्तंभ (3) में, "(जिसके अंतर्गत दस्ताने हैं)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "( जिसके अंतर्गत दस्ताने, मिटिन और मिट हैं)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शीर्ष सं0 40.15 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (3) में, "-दस्ताने":", शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"-दस्ताने, मिटिन और मिट";

(28) अध्याय 41 में,--

(i) टिप्पण 2 को टिप्पण 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

' 2. (अ) शीर्ष सं0 41.04 से 41.06 के अंतर्गत खाल और चर्म नहीं आते हैं जिन पर चर्म शोधन प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत पूर्व चर्म शोधन भी है) की गई है और जो उलटने योग्य है (यथास्थिति, शीर्ष सं0 41.01 से 41.03) ।

(आ) शीर्ष सं0 41.04 से 41.06 के प्रयोजनों के लिए "अपघर्षित" पद के अंतर्गत ऐसी खाल और चर्म भी हैं जिन्हें सुखाने से पूर्व पुनः चर्म शोधित, रंजित या वसा लिकरित (भरा हुआ) किया गया है ।';

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 में "शीर्ष सं0 41.11" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 41.15" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(29) अध्याय 42 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ख) में "(दस्तानों को छोड़कर)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(दस्तानों, मिटिन और मिट को छोड़कर)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 3 में, " दस्ताने (जिसके अंतर्गत क्रीड़ा दस्ताने भी हैं)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "दस्ताने, मिटिन और मिट (जिसके अंतर्गत क्रीड़ा या संरक्षण के लिए दस्ताने, मिटिन और मिट भी हैं)" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष सं0 42.02 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" चमड़े के, संगठन चमड़े के, प्लास्टिक की चादर के, टैक्सटाइल सामग्री के, तकनीकीकृत फाइबर के या पेपर बोर्ड के अथवा पूर्णतया या मुख्यतया ऐसी सामग्री या कागज से आच्छादित ट्रंक, सूटकेस, वैनिटी केस, एक्जिक्यूटिव केस, ब्रीफकेस, स्कूल सैचेल, चश्मा केस, द्विनेभी केस, कैमरा केस, वाद्ययंत्र केस, बंदूक केस, होलस्टर और वैसे ही आधान ; यात्रा के थैले, विद्युतरोधी खाद्य और सुपेय थैले, प्रसाधन थैले, पीठ थैले, हैंडबैग, दुकानदारी के लिए थैले, वैलेट, पर्स, नक्शा केस, सिगरेट केस, तंबाकू के थैले, औजार के थैले, क्रीड़ा सामान के थैले, बोतल केस, आभूषण के बक्से, पाउडर के बक्से, कटलरी केस और वैसे ही आधान";

(30) अध्याय 43 में,--

(i) टिप्पण 2 में, खंड (ग) में, " दस्ताने" शब्द के स्थान पर "दस्ताने, मिटिन और मिट" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) शीर्ष सं0 43.01 में, उपशीर्ष सं0 4301.20, 4301.40 और 4301.50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष सं0 43.02 में, उपशीर्ष सं0 4302.12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(31) अध्याय 44 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

**'उपशीर्ष टिप्पण**

'1. उपशीर्ष सं0 4403.41 से 4403.49, 4407.24 से 4407.29, 4408.31 से 4408.39 और 4412.13 से 4412.99 तक के प्रयोजनों के लिए "उष्ण कटिबंध काष्ठ" पद से निम्नलिखित प्रकार की काष्ठ में से एक अभिप्रेत है :

अबूरा, अकाजू डिअफ्रीक, अफ्रोरमोसिया, अको, अलान, एंडीरोबा, एनिनग्रे, एवोडायर, अजोबे, बालऊ, बल्सा, बोसे क्लेअर, बोसे फोन्स, केटिवो, सेड्रो, डबेमा, डार्क रेड मेरांटी, डिबेटू, डौसी, फ्रेमायर, फेरीजो, फ्रेमेजार, फ्यूमा, जीरोंगगैंग, इलौम्बा, इंबूइआ, आइप इरोको, जवोटी, जैलुटांग, जेक्वीटीवा, जांगकांग,

कपूर, केम्पास, केरुइंग, कोसिपो, कोटिबे, कोटो, लाइट रेड मरांटी, लिम्बा, लोरो, मकरान्डुबा, महोगनी, मैकारे, मेंडिओक्वीरा, मैनसोनिया, मेंगकुलंग, मेरांटी बकाउ, मेरबान, मरबाऊ, मरपोह,मरसावा, मोआबी, निआनगोन, न्यातोह, ओबेक, ओकौमे, ओजाबिली, औरे, ओवेंगकोल, ओजिगो, पडोक, पलदाउ, पालिसेन्द्रे डि गुआटेमाला, पालिसेन्द्रे डिपारा, पालिसेन्द्रे डि रियो, पालिसेन्द्रे डी रोज, पाउ अमारेलो, पाउ मरफीन, पुलाई, पुनाह, कुवाराबा, रेमिन, सपेली, साकी-साकी, सेपेटिर, सिपो, सुकूपीरा, सुरेन, सागवान, तवारी, टिआमा, तोला, विरोला, व्हाइट लाउआन, व्हाइट मेरांटी, व्हाइट सेरेया, यलोमेरांटी ;';

(ii) शीर्ष सं0 44.07 में, स्तंभ (3) में, "अंगुली संधित" शब्दों के स्थान पर " सिरा-संधित" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) शीर्ष सं0 44.08 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"वेनियर चादरें (जिसके अंतर्गत पटलित काष्ठ को तराश कर प्राप्त की गई वेनियर चादरें भी हैं), प्लाईवुड या अन्य समान प्रकार की पटलित काष्ठ और अन्य काष्ठ की चादरें जो लंबाई में चीरे गए, तराशे गए या छाल रहित हैं, चाहे समतलित, रेगमार्जित, जोड़े गए या सिरा-संधित हों या नहीं, जिनकी मोटाई 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं है";

(iv) शीर्ष सं0 44.09 में, स्तंभ (3) में " जिसका कोई किनारा या फलक अनवरत आकारित (जिह्वित, खांचित, रिबेटित, निष्केणित, v- संधित, मनकित, सांचित, गोलाकारकृत या इसी प्रकार का) है चाहे समतलित, रेगमार्जित या अंगुलि संधित है या नहीं" शब्दों के स्थान पर, "जिसका कोई किनारा, सिरा या फलक अनवरत आकारित (जिह्वित, खांचित, रिबेटित, निष्केणित, v- संधित, मनकित, सांचित, गोलाकारकृत या इसी प्रकार का) है चाहे समतलित, रेगमार्जित या सिरा-संधित है या नहीं" शब्द रखे जाएंगे ;

(32) अध्याय 46 में, शीर्ष सं0 46.01 में, उपशीर्ष सं0 4601.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(33) अध्याय 47 में,--

(i) उपशीर्ष सं0 4701.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -अविरंजित क्राफ्ट कागज या पेपरबोर्ड या नालीदार कागज या पेपरबोर्ड";

(ii) उपशीर्ष सं0 4707.20 में, स्तंभ (3) में, "अन्य कागज का" शब्दों के स्थान पर "अन्य कागज" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपशीर्ष सं0 4707.30 में, स्तंभ (3) में, "कागज का" शब्दों के स्थान पर "कागज" शब्द रखा जाएगा ;

(34) अध्याय 48 में,--

(i) टिप्पण 1 से 11 को क्रमशः टिप्पण 2 से 12 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 2 से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

' 1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो उसके सिवाय "कागज" के प्रति निर्देश के अंतर्गत पेपरबोर्ड (प्रति मिलीमीटर मोटाई या भार का विचार किए बिना) के प्रति निर्देश है ।';

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 में, " टिप्पण 6" शब्द और अंक के स्थान पर, "टिप्पण 7" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 5 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

' 5. शीर्ष सं0 48.02 के प्रयोजनों के लिए, "इस प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है" और "अछिद्रित, पंचकार्ड और पंच टेप कागज" पद से ऐसे कागज और पेपरबोर्ड अभिप्रेत हैं जो मुख्यतः विरंजित लुगदी या यांत्रिक या रसायन-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त लुगदी से बनाया गया है और जो निम्नलिखित किसी मानदंड का समाधान करता है :

150 जी / एम$^2$ से अनधिक भार वाले कागज या पेपरबोर्ड के लिए ;

(क) जिसमें यांत्रिक या रसायन-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त 10% या अधिक फाइबर है, और

1. जिसका भार 80 जी / एम$^2$ से अधिक नहीं है या

2. जो द्रव्यमान पूर्ण रूप से रंजित है ; या

(ख) जिसमें 8% भस्म से अधिक है और जिसका भार 80 जी/एम$^2$ से अधिक नहीं है।

(ग) जिसमें 3% से अधिक भस्म है और जिसकी चमक 60% या अधिक है ; या

(घ) जिसमें 3% से अधिक किंतु 8% से अनधिक भस्म है और जिसकी चमक 60% से कम है और जिसका प्रस्फोटांक 2.5 के.पी.ए. एम$^2$ / जी के बराबर या उससे कम है ; या

(ङ) जिसमें 3% या कम भस्म है, जिसकी चमक 60% या अधिक है और जिसका प्रस्फोटांक 2.5 के.पी.ए. एम$^2$ / जी के बराबर या उससे कम है; या

150 जी / एम$^2$ भार वाला कागज और पेपरबोर्ड :

(क) द्रव्यमान पूर्ण रूप से रंजित है ; या

(ख) जिसकी चमक 60% या अधिक है, और

1. 225 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का कैलिपर, या

2. 225 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का किंतु 508 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का और 3% से अधिक की भस्म अंतर्वस्तु वाला कैलिपर , या

(ग) जिसकी 60% से कम चमक वाला 254 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का और 8% से अधिक की भस्म अंतर्वस्तु वाला कैलिपर, या

तथापि, शीर्ष सं0 48.02 के अंतर्गत फिल्टर कागज या पेपर बोर्ड (जिसके अंतर्गत चाय की थैली का कागज भी है) या नमदा कागज या पेपरबोर्ड नहीं आते हैं । ';

(iv) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 8 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

" 8. शीर्ष सं0 48.01 और 48.03 से 48.09 केवल ऐसे कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोस बैडिंग और सेलुलोस फाइबर के जाल को लागू होंगे :

(क) जो 36 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ाई की पट्टियों या रोलों में हैं ;

(ख) जो आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) चादरों में है जिसका एक पार्श्व बिना तह लगी स्थिति में 36 सेंटीमीटर से अधिक और दूसरा पार्श्व 15 सेंटीमीटर से अधिक है ।";

(v) उपशीर्ष सं0 टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष सं0 टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :–

' 3. उपशीर्ष सं0 4805.11 के प्रयोजनों के लिए, "अर्द्ध रासायनिक लंबी धारी वाले कागज" से ऐसा कागज अभिप्रेत है जो रोलों में है और जो अर्द्ध रासायनिक लुगदीकरण प्रक्रिया से प्राप्त अविरंजित कठोर काष्ठ फाइबर वाले कुल फाइबर अंतर्वस्तु के भार से 65% से अन्यून है और जिसका सी.एम.टी.30 (30 मिनट के अनुकूलन के साथ कौनकोरा मीडियम परीक्षण) संदलन प्रतिरोध 23 डिग्री सेंटीग्रेट पर 50% आपेक्षिक आर्द्रता पर 1.8 न्यूटन / जी /एम² है ।';

(vi) उपशीर्ष टिप्पण 4 और 5 को क्रमशः उपशीर्ष टिप्पण 6 और 7 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 6 से पूर्व निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

" 4. उपशीर्ष सं0 4805.12 के अंतर्गत ऐसे कागज आते हैं जो रोलों में हैं और मुख्यः अर्द्ध रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त पुआल की लुगदी से बनाया जाता है जिसका वजन 130 जी / एम² या अधिक है और जिसका सी.एम.टी.30 (30 मिनट के अनुकूलन के साथ कौनकोरा मीडियम परीक्षण) संदलन प्रतिरोध 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50% आपेक्षिक आर्द्रता पर 1.4 न्यूटन / जी /एम² है ।

5. उपशीर्ष सं0 4805.24 और 4805.25 के अंतर्गत ऐसे कागज और पेपरबोर्ड आते हैं जो पूर्णतः या मुख्यतः कागज या कागजबोर्ड ( अपशिष्ट और स्क्रैप) से प्राप्त लुगदी से बनाया जाता है । टेस्ट लाइनर में रंगे गए कागज या प्राप्त न की गई विरंजित या अविरंजित लुगदी से बनाए गए कागज की ऊपरी परत भी होती है । इन उत्पादों का 2 के.पी.ए. / एम² / जी से अन्यून मुलेन प्रस्फोटांक है ।";

(vii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपशीर्ष सं0 टिप्पण 7 में, "4810.21" अंकों के स्थान पर " 4810.22" अंक रखे जाएंगे ;

(viii) शीर्ष सं0 48.02 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

"इस प्रकार का अविलेपित कागज और पेपर बोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और अछिद्रित पंचकार्ड तथा पंच टेप कागज जो रोलों में या आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी हैं) शीटों में किसी भी साइज में हैं, शीर्ष सं0 48.01 या 48.03 के कागज से भिन्न; हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड";

(ix) शीर्ष सं0 48.05 में, स्तंभ (3) में " टिप्पण 2" शब्द और अंक के स्थान पर, " टिप्पण 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(x) शीर्ष सं0 48.11 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

"कागज, पोपरबोर्ड, सेलुलोसी वैडिंग और सेलुलोसी फाइबर के जाल, विलेपित, संसेचित, आच्छादित, पृष्ठ रंजित, पृष्ठ सज्जित या मुद्रित, जो रोलों या आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) शीटों में, किसी भी साइज में हैं, शीर्ष सं0 48.03, 48.09 या 48.10 में वर्णित प्रकार के माल से भिन्न ।";

(xi) शीर्ष सं0 48.23, उपशीर्ष सं0 4823.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् " -इस प्रकार का अन्य कागज और पेपरबोर्ड जिनका लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है" शब्दों और उपशीर्ष सं0 4823.51 और 4823.59 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(35) अध्याय 49 में,–

(i) टिप्पण 2 में "अभिकलित्र के" शब्दों के स्थान पर "स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष सं0 49.07 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"बिना उपयोग किए गए डाक महसूल स्टांप, राजस्व स्टांप और वैसे ही स्टांप जो उस देश में, जिसमें उनका कोई मान्यताप्राप्त अंकित मूल्य है या होगा, चालू हैं या नए जारी किए गए हैं, स्टांप छपे कागज, बैंक नोट, चैक फार्म, स्टाक शेयर प्रमाणपत्र या बंधपत्र और वैसी ही हक की दस्तावेजें";

(36) अनुभाग 11 में,–

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 में, "(झञ)" कोष्ठकों और अक्षरों से आरंभ होने वाले और "उपरोक्त प्रवर्गों के भीतर धागे या सूतों के वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

" ऊपर (ङ) से (झञ) की परिभाषाएं यथावश्यक परिवर्तनों सहित बुने हुए या क्रोशियाकृत फेब्रिक के संबंध में लागू होंगी";

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, खंड (अ) में, "50 से 55" अंकों और शब्द के स्थान पर "50 से 55 या शीर्ष सं0 58.09 के" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(37) अध्याय 53 में, शीर्ष सं0 53.08 में, उपशीर्ष सं0 5308.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(38) अध्याय 54 में, शीर्ष सं0 54.08 में, उपशीर्ष सं0 5408.10 में, स्तंभ (3) में "विस्कोस रेयन का, धागा" शब्दों के स्थान पर "विस्कोस रेयन का धागा" शब्द रखे जाएंगे ;

(39) अध्याय 56 में, शीर्ष सं0 56.07 में, उपशीर्ष सं0 5607.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(40) अध्याय 58 में, शीर्ष सं0 58.04 में, स्तंभ (3) में, "शीर्ष सं0 60.02" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 60.02 से 60.06" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(41) अध्याय 59 में,–

(i) टिप्पण 1 में, "शीर्ष 60.02" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 60.02 से 60.06" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 4 में, खंड (ख) में, "शीर्ष सं0 56.04 के;" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 56.04 के ; और " शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष सं0 59.03 में, उपशीर्ष सं0 5903.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"पॉली (विनाइल क्लोराइड)" ;

(42) अध्याय 64 में,–

(i) टिप्पण 3 में, खंड (ख) में, "शीर्ष सं0 41.04 से 41.09" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 41.07 और 41.12 से41.14" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(43) अध्याय 68 में,–

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ख) में " कागज" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, क्रमशः "कागज और पेपरबोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष सं0 68.12 में, उपशीर्ष सं0 6812.10, 6812.20, 6812.30, 6812.40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(44) अध्याय 73 में, शीर्ष सं0 73.02 में, उपशीर्ष सं0 7302.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(45) अनुभाग 16 में,–

(i) टिप्पण 1 में,–

(क) खंड (ङ) में, "संवाहक पट्टे" शब्दों के स्थान पर "संवाहक पट्टे या पट्टा कपड़ा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ण) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(त) अध्याय 95 की वस्तुएं ; या,

(थ) टाइप राइटर या उसी प्रकार के रिबन, चाहे स्पूल पर या कार्ट्रीज में है या नहीं, (उनकी घटक सामग्री के अनुसार या शीर्ष सं0 96.12 में वर्गीकृत यदि छाप देने के लिए स्याही से या अन्यथा तैयार की गई हो) ।";

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (क) में, "अध्याय 84 या 85" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्याय 84 या अध्याय 85" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो दो या अधिक मशीनों से बनी संयुक्त मशीनों को, जो संपूर्ण मशीन बनाने के लिए एक साथ फिट की गई हैं और अन्य मशीनों को, जो दो या अधिक पूरक या वैकल्पिक कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए अनुकूलित की गई हैं, उसी प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा मानो वे केवल उसी घटक की बनी हैं या ऐसी मशीन है जो प्रधान कृत्य करती है ।";

(46) अध्याय 84 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) शीर्ष सं0 85.09 के विद्युत-यांत्रिक घरेलू साधित्र; शीर्ष सं0 85.25 के अंकीय कैमरे ; या";

(ii) शीर्ष सं0 84.15 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 8415.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

'- खिड़की या दीवार प्रकार की स्वतःपूर्ण या "पृथक्करण-प्रणाली"';

(ख) उपशीर्ष सं0 8415.81 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"---शीतलन / ताप चक्र के उक्रमण के लिए प्रशीतन यूनिट (उलटने योग्य ताप पंप) और वाल्व से युक्त करना";

(iii) शीर्ष सं0 84.19 में, स्तंभ (3) में, "चाहे वह तापमान का परिवर्तन अंतर्वलित करने वाली प्रक्रिया जैसे के तापन, पकाना, भर्जन, आसवन, परिशोधन, निर्जीवाणुकरण, पास्तेरीकरण, भापन, शुष्कन, उद्वाष्पन, वाष्पन संघनन या शीतलन द्वारा सामग्रियों के उपचार के लिए विद्युत से तापित है या नहीं" शब्दों के स्थान पर "चाहे वह तापमान का परिवर्तन अंतर्वलित करने वाली प्रक्रिया जैसे कि तापन, पकाना, भर्जन, आसवन, परिशोधन, निर्जीवाणुकरण, पास्तेरीकरण, भापन, शुष्कन, उद्वाष्पन, वाष्पन संघनन या शीतलन द्वारा सामग्रियों के उपचार के लिए विद्युत से तापित (शीर्ष सं0 85.14 के भ्राष्ट, अवन और अन्य उपस्कर को छोड़कर) है या नहीं" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष सं0 84.30 में, उपशीर्ष सं0 8430.62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष सं0 84.43 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"शीर्ष सं0 84.42 के मुद्रण टाइप, ब्लाक, प्लेटें, बेलन और अन्य मुद्रण घटकों के माध्यम से मुद्रण के लिए प्रयोग की गई मुद्रण मशीन ; इंकजेट मुद्रण मशीन जो शीर्ष सं0 84.71 की मशीनों से भिन्न है ; मुद्रण के सहायक उपयोगों के लिए मशीन";

(vi) शीर्ष सं0 84.61 में, उपशीर्ष सं0 8461.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) शीर्ष सं0 84.67 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

" हाथ से काम करने के लिए औजार, वातिल, द्रवचालित या स्वतः पूर्ण अवैद्युत मोटर सहित";

(viii) शीर्ष सं0 84.71 में, उपशीर्ष सं0 8471.50 में, स्तंभ (3) में, "उपशीर्ष सं0 8471.41 और 8471.49" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपशीर्ष सं0 8471.41 या 8471.49" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ix) शीर्ष सं0 84.81 में, उपशीर्ष सं0 8481.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -जांच (न लौटने वाले) वाल्व"

(x) शीर्ष सं0 84.83 में, उपशीर्ष सं0 8481.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -पृथक् रूप से प्रस्तुत दंतित चक्र, श्रृंखला स्प्रोकेट और वैसे ही अन्य संचारण तत्व ; पुर्जे";

(47) अध्याय 85 में,--

(i) टिप्पण 3 में,--

(क) खंड (क) में, "निर्वात निर्मलित्र" शब्दों के स्थान पर "निर्वात निर्मलित्र, जिसके अंतर्गत शुष्क और तर निर्वात निर्मलित्र भी हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) के पश्चात्, पैरा में "(शीर्ष सं0 85.08)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(शीर्ष सं0 84.67)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 6 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"6. शीर्ष सं0 85.23 या 85.24 के रिकार्ड, टेप और अन्य माध्यम उन शीर्षों में वर्गीकृत बने रहेंगे चाहे वे उन साधित्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जिनके लिए वे आशयित हैं ।

यह टिप्पण ऐसे माध्यम को लागू नहीं होता जब वे उन साधित्र से भिन्न वस्तुओं के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जिनके लिए वे आशयित हैं ।";

(iii) टिप्पण 7 के पश्चात्, "उपशीर्ष टिप्पण" शब्दों के स्थान पर "उपशीर्ष टिप्पण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण को उपशीर्ष टिप्पण सं0 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपशीर्ष टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'2. उपशीर्ष 8542.10 के प्रयोजनों के लिए "स्मार्ट कार्ड" शब्दों से ऐसा कार्ड अभिप्रेत है जिसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ (सूक्ष्म समुच्चय) एक चिप के रूप में समाविष्ट है और जिसमें चुंबकीय पट्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है ।';

(v) शीर्ष सं0 85.06 में, उपशीर्ष सं0 8506.80 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" --अन्य प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां";

(vi) शीर्ष सं0 85.08 और उपशीर्ष सं0 8508.10, 8508.20 8508.80, और 8508.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) शीर्ष सं0 85.09 में, उपशीर्ष सं0 8509.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-निर्वात निर्मलित्र, जिसके अंतर्गत शुष्क और तर निर्वात निर्मलित्र भी हैं";

(viii) शीर्ष सं0 85.14 में,---

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"औद्योगिक या प्रयोगशाला विद्युत (जिनके अंतर्गत प्रेरण और परावैद्युत हैं) भ्राष्ट और अवन ; प्रेरण या परावैद्युत द्वारा सामग्रियों के तापन के लिए अन्य औद्योगिक या प्रयोगशाला उपस्कर";

(ख) उपशीर्ष सं0 8514.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"प्रेरण तथा परावैद्युत द्वारा भ्राष्ट और अवन";

(ग) उपशीर्ष सं0 8514.40 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"प्रेरण या परावैद्युत द्वारा सामग्रियों के तापन के लिए अन्य उपस्कर";

(ix) शीर्ष सं0 85.18 में,--

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" माइक्रोफोन और उनके स्टैन्ड ; लाउडस्पीकर चाहे वे अपने आवेष्टनों में आरूढ़ हैं या नहीं, शीर्ष फोन और कर्णफोन, चाहे उनमें संयुक्त माइक्रोफोन है या नहीं और माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर वाले सेट ; श्रवण आवर्ती विद्युत प्रवर्धक, विद्युत ध्वनि प्रवर्धक सेट";

(ख) उपशीर्ष सं0 8518.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"शीर्ष फोन और कर्णफोन चाहे उनमें संयुक्त माइक्रोफोन है या नहीं और माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर वाले सेट";

(x) शीर्ष सं0 85.25 में,--

(क) स्तंभ (3) में, "स्थिर प्रतिबिंब वीडियो कैमरे और अन्य वीडियो कैमरे रिकार्डर" शब्दों के स्थान पर " स्थिर प्रतिबिंब वीडियो कैमरे और अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर ; डिजिटल कैमरे" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपशीर्ष सं0 8525.40 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-स्थिर प्रतिबिंब वीडियो कैमरे और अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर ; डिजिटल कैमरेः

(48) अध्याय 87 में,--

(i) शीर्ष सं0 87.13 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"अशक्त व्यक्तियों के लिए गाड़ियां, चाहे उनमें मोटर लगी हों या नहीं अथवा अन्यथा यंत्रनोदित हैंः

(ii) शीर्ष सं0 87.14 में, उपशीर्ष सं0 8714.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -अशक्त व्यक्तियों की गाड़ियों के";

(49) अध्याय 90 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ज) में, " स्थिर बिंब वीडियो कैमरा और अन्य वीडियो कैमरा अभिलेखन (शीर्ष सं0 85.25) ; रेडार उपकरण, रेडियो नौ-परिवहन सहायक उपकरण या रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण (शीर्ष सं0 85.26)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "स्थिर प्रति बिंब वीडियो कैमरा, अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर और डिजिटल कैमरा (शीर्ष सं0 85.25) ; रेडार उपकरण, रेडियो नौ-परिवहन सहायक उपकरण या रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण (शीर्ष सं0 85.26) ; शीर्ष सं0 85.37 के अंकीय नियंत्रण उपकरण" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 6 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

' 6. शीर्ष सं0 90.21 के प्रयोजनों के लिए, "विकलांग साधित्र" पद से निम्नलिखित के लिए साधित्र अभिप्रेत हैं, अर्थात् :--

- शारीरिक विरूपिता को रोकने या सुधार करने ; या

- बीमारी, आप्रेशन या क्षति होने पर शरीर के भागों को सहारा देना या रखना ।

विकलांग साधित्र के अंतर्गत सही विकलांगता की स्थिति के लिए बनाए गए जूते और विशेष पैतावा हैं :

परंतु यह कि वे या तो (1) माप के अनुसार या (2) अधिक उत्पादन के अनुसार बनाए जाएं, जो एकल रूप से प्रस्तुत किए जाएं न कि जोड़े में और किसी भी पैर में बराबर सही आने के लिए बनाए जाएं ।

7. शीर्ष सं0 90.32 केवल निम्नलिखित को लागू होगा :

(क) तरल पदार्थों या गैस के प्रवाह, सतह, दबाव या अन्य परिस्थितियों पर सतह नियंत्रण करने के लिए या तापमान का स्वतः नियंत्रण करने के लिए उपकरण और उपस्कर, चाहे उनका प्रचालन विद्युत परिघटना पर निर्भर करता हो या नहीं जो स्वतः नियंत्रित किए जाने के कारक के अनुसार भिन्न होता है जो इस कारक को वांछित महत्व, व्यवधानों के संबंध में स्थिरीकरण के लिए इसकी वास्तविक लागत को लगातार या आवधिक रूप से मापते हुए अभिकल्पित किए जाते हैं और बनाए रखे जाते हैं ; और

(ख) विद्युत मात्राओं के स्वचालित रेगुलेटर और गैर-विद्युतीय मात्राओं का स्वतः नियंत्रण करने के लिए उपकरण और उपस्कर जिनका प्रचालन उस कारक के अनुसार भिन्न-भिन्न विद्युत परिघटना पर निर्भर करता है जो इस तथ्य को वांछित महत्व, व्यवधानों के संबंध में स्थिरीकरण के लिए इसकी वास्तविक लागत को लगातार या आवधिक रूप से मापते हुए अभिकल्पित किए जाते हैं और बनाए रखे जाते हैं ।';

(iii) शीर्ष सं0 90.09 में,--

(क) स्तंभ (3) में, "फोटो प्रतिलिपिकरण" शब्द के स्थान पर "फोटोप्रतिलिपिकरण" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) शीर्ष सं0 90.09 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (3) में, "फोटो प्रतिलिपिकरण" शब्द के स्थान पर "फोटोप्रतिलिपिकरण" शब्द रखा जाएगा;

(ग) उपशीर्ष सं0 9009.12 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (3) में, "फोटो प्रतिलिपिकरण" शब्द के स्थान पर "फोटोप्रतिलिपिकरण" शब्द रखा जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 90.12 में, उपशीर्ष सं0 9012.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" -प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी से भिन्न सूक्ष्मदर्शी ; विवर्तन उपकरण";

(i) शीर्ष सं0 90.15 में, उपशीर्ष सं0 9015.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-थियोडोलाइट और टैकीमीटर (टैकोमीटर)";

(50) अध्याय 95 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (घ) में, "दस्ताने" शब्द के स्थान पर "दस्ताने, मिटिन और मिट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण (3) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

' 4. शीर्ष 95.03 के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं नहीं आती हैं जो उनके डिजाइन, आकार या घटक सामग्री के कारण अनन्य रूप से पशुओं के लिए आशयित रूप में जाना जाता है, अर्थात् "विशेष खिलौने (उनका अपने समुचित शीर्ष में वर्गीकरण)";

(iii) शीर्ष सं0 95.04 में, उपशीर्ष सं0 9504.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"- सिक्का, बैंक नोट (कागज करेंसी), डिस्क या अन्य सामान वस्तुओं से जो बालिंग, बाउलिंग वीथि उपस्कर से भिन्न हैं, प्रचालित अन्य खेलकूद";

(51) अध्याय 96 में, शीर्ष सं0 96.13 में, उपशीर्ष सं0 9613.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(52) अध्याय 97 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) शीर्ष सं0 49.07 के अनुपयोजित डाक महसूल स्टांप या राजस्व स्टांप, डाक सामग्री (स्टांपित पेपर) या वैसी ही वस्तुएं,";

(ii) शीर्ष सं0 97.04 में, स्तंभ (3) में, "जो उपयोजित हैं" या यदि वे उपयोजित नहीं हैं तो ऐसे देश में, जिसके लिए वे उद्दिष्ट हैं, चालू या नए जारी की गई नहीं हैं" शब्दों के स्थान पर "जो उपयोजित हैं या उपयोजित नहीं हैं, शीर्ष सं0 49.07 से भिन्न हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

**भाग 2**

| शीर्ष | उपशीर्ष | वस्तु का वर्णन | शुल्क की दर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मानक | अधिमानी क्षेत्र |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,---

(1) अध्याय 1 में,

(i) शीर्ष सं0 01.01 में, शीर्ष सं0 01.01 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (3) में, "-अश्व" और उपशीर्ष 0101.11, 0101.19 और 0101.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "0101.10 | -शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणि | 35% | .. |
| 0101.90 | -अन्य | 35% | .."; |

(ii) शीर्ष सं0 01.06 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**01.06** | | **अन्य जीवित प्राणि** | | |
| | | -स्तनपायी | | |
| | 0106.11 | --प्राइमेट | 35% | .. |
| | 0106.12 | --ह्वेल, डाल्फिन और शिंशुक (सिटेसिया क्रम के स्तनपायी), मेनेट और समुद्री गाय (सिरोनिया क्रम के स्तनपायी) | 35% | .. |
| | 0106.19 | --अन्य | 35% | .. |
| | 0106.20 | -सरीसृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए हैं) | 35% | .. |
| | | -पक्षी | | |
| | 0106.31 | --शिकारी पक्षी | 35% | .. |
| | 0106.32 | --तोता किस्म (जिसके अंतर्गत तोते, पैरेकीट, मकाआ और काकातुआ भी हैं) | 35% | .. |
| | 0106.39 | --अन्य | 35% | .. |
| | 0106.90 | -अन्य | 35% | .."; |

(2) अध्याय 2 में,--

(i) शीर्ष सं0 02.08 में, उपशीर्ष सं0 0208.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "0208.30 | -प्राइमेट के | 35% | .. |
| 0208.40 | --ह्वेल, डाल्फिन और शिंशुक (सिटेसिया क्रम के स्तनपायी), मेनेट और समुद्री गाय (सिरोनिया क्रम के स्तनपायी) | 35% | .. |
| 0208.50 | -सरीसृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए हैं) | 35% | .. |
| 0208.90 | -अन्य | 35% | .."; |

(ii) शीर्ष सं0 02.10 में, उपशीर्ष सं0 0210.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

" -अन्य, जिसके अंतर्गत मांस और मांस अवशिष्ट का खाद्य आटा और अवचूर्ण है

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 0210.91 | -प्राइमेट के | 35% | .. |
| | 0210.92 | --ह्वेल, डाल्फिन और शिंशुक (सिटेसिया क्रम के स्तनपायी), मेनेट और समुद्री गाय (सिरोनिया क्रम के स्तनपायी) | 35% | .. |
| | 0210.93 | --सरीसृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए हैं) | 35% | .. |
| | 0210.99 | --अन्य | 35% | .. "; |

(3) अध्याय 3 में,--

(i) शीर्ष सं0 03.02 में, उपशीर्ष सं0 0302.33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "0302.34 | --बिगेर टूनस (थुनस ओबेसस) | 35% | .. |
| | 0302.35 | --ब्लूफिन टुनस (थुनस थाइनस) | 35% | .. |
| | 0302.36 | --दक्षिणी ब्लूफिन टूनस (थूनस माकाई) | 35% | .. "; |

(ii) शीर्ष सं0 03.03 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 0303.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " -प्रशांत साल्मन (आंकोरहाइनक्स नेरका, आंकोरहाइनक्स गोस्वस्चा, आंकोरहाइनक्स केटा, आंकोरहाइनक्स शुवेत्सका, आंकोरहाइनक्स किसुच, आंकोरहाइनक्स मासो और आंकोरहाइनक्स रोडोरस) लीवर और रोज को छोड़कर : | | |
| | 0303.11 | --सोकेई सालमन (लाल सालमन) (आंकोरहाइनक्स नेरका) | 35% | .. |
| | 0303.19 | --अन्य | 35% | .. "; |

(ख) उपशीर्ष सं0 0303.43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "0303.44 | --बिगेर टूनस (थुनस ओबेसस) | 35% | .. |
| | 0303.45 | --ब्लूफिन टुनस (थुनस थाइनस) | 35% | .. |
| | 0303.46 | --दक्षिणी ब्लूफिन टूनस (थूनस माकाई) | 35% | .. "; |

(4) अध्याय 7 में,--

(i) शीर्ष सं0 07.09 में, उपशीर्ष सं0 0709.51 और 0709.52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "0709.51 | --अगारीकस जीनस की खुंबी | 35% | 15% |
| | 0709.52 | --ट्रफल | 35% | 15% |
| | 0709.59 | --अन्य | 35% | 15%"; |

(ii) शीर्ष सं0 07.11 में, उपशीर्ष सं0 0711.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " खुंबी और ट्रफलः | | |
| | 0711.51 | --अगारीकस जीनस की खुंबी | 35% | 15% |
| | 0711.59 | --अन्य | 35% | 15%"; |

(iii) शीर्ष सं0 07.12 में, उपशीर्ष सं0 0712.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | "खुंबी, काष्ठ बाली (अवरीक्यूलेयरिया एसपीपी) जेली फुंगी (ट्रेमेला एसपीपी) और ट्रफलः | | |
| | 0712.31 | -अगारीकस जीनस की खुंबी | 35% | 15% |
| | 0712.32 | -काष्ठ बाली (अवरीक्यूलेयरिया एसपीपी) | 35% | 15% |
| | 0712.33 | -जेली फुंगी (ट्रेमेल्ला एसपीपी) | 35% | 15% |
| | 0712.39 | -अन्य | 35% | 15%"; |

(5) अध्याय 8 में, --

(i) शीर्ष सं0 08.05 में, उपशीर्ष सं0 0805.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "0805.50 | -नींबू (नींबू कुल नींबू, नींबू कुल लिमोनस) और कागजी नींबू (नींबू कुल औरेंटीफोलिया, नींबू कुल लेटीफोलिया) | 40% | 30%"; |

(ii) शीर्ष सं0 08.10 में, उपशीर्ष सं0 0810.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "0810.60 | -डुरियन | 35% | 15% |

(6) अध्याय 11 में, शीर्ष सं0 11.03 में, उपशीर्ष सं0 1103.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "-गुटिका" शब्दों और उपशीर्ष सं0 1103.21 और 1103.29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "1103.20 | -गुटिका | 35% | .."; |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|

(7) अध्याय 12 में, --

(i) शीर्ष सं0 12.05 में, उपशीर्ष सं0 1205.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**12.05** | | **तोरिया या कोल्जा बीज, चाहे टूटे हैं या नहीं** | | |
| | 1205.10 | -निम्न इरूश्क अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज | 35% | 25% |
| | 1205.90 | -अन्य | 35% | 25%"; |

(ii) शीर्ष सं0 12.09 में, शीर्ष सं0 12.09 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (3) में, " -चुकन्दर बीज" शब्दों और उपशीर्ष सं0 1209.11 और 1209.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों और " -हरे चारे के पौधों के बीज, चुकंदर बीज से भिन्न" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "1209.10 | -चुकन्दर बीज | 35% | .. |
| | | -हरे चारे के पौधे के बीज;"; | | |

(iii) शीर्ष सं0 12.11 में, उपशीर्ष सं0 1211.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "1211.30 | -कोको पत्ती | 35% | .. |
| | 1211.40 | -पोस्त तृण | 35% | .."; |

(8) अध्याय 14 में, --

(i) शीर्ष सं0 14.02 में, उपशीर्ष सं0 1402.10 और 1402.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**14.02** | **1402.00** | **इस प्रकार की वनस्पति सामग्री जिसका उपयोग प्रथमतः भराई करने या पैड लगाने के लिए किया जाता है (उदाहरणार्थ भस्मली तंतु, वनस्पति रोम और ईल घास), चाहे उसे आलंबन सामग्री सहित या उसके बिना परतों में रखा गया है या नहीं** | **35%** | ..."; |

(ii) शीर्ष सं0 14.03 में, उपशीर्ष 1403.10 और 1403.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**14.03** | **1403.00** | **इस प्रकार की वनस्पति सामग्री जिसका उपयोग प्रथमतः झाड़ू और ब्रुशों में किया जाता है (उदाहरणार्थ मकान, पिसावा, का उन्व घास और इस्ले), चाहे अट्टियों या बंडलों में है या नहीं** | **35%** | ..."; |

(9) अध्याय 15 में, --

(i) शीर्ष सं0 15.05 में, उपशीर्ष सं0 1505.10 और 1505.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**15.05** | **1505.00** | **उर्ण ग्रीज और उससे व्युत्पन्न वसा पदार्थ (इसके अंतर्गत लेनोलिन है)** | **35%** | .."; |

(ii) शीर्ष सं0 15.14 में, उपशीर्ष सं0 1514.10 और 1514.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| " -निम्न इरूसिस अम्ल तोरिया या कोल्जा तैल और उसके प्रभाज : | | | |
| 1514.11 | --कच्चा तेल | 75% | 25% |
| 1514.19 | --अन्य | 75% | 25% |
| | -अन्य : | | |
| 1514.91 | --कच्चा तेल | 75% | 25% |
| 1514.99 | --अन्य | 75% | 25%"; |

(10) अध्याय 17 में, शीर्ष सं0 17.02 में, उपशीर्ष सं0 1702.40,1702.50,1702.60 और 1702.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "1702.40 | -ग्लूकोस और ग्लूकोस शर्बत, जिसमें फ्रक्टोस शुष्क अवस्था में भार के आधार पर कम से कम 20% किंतु 50% से कम है, जिसके अंतर्गत प्रतीप चीनी नहीं है | 35% | .. |
| 1702.50 | -रसायनिक रूप से शुद्ध फ्रक्टोस | 35% | .. |
| 1702.60 | -अन्य फ्रक्टोस और फ्रक्टोस शर्बत, जिसमें फ्रक्टोस शुष्क अवस्था में भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक है,जिसके अंतर्गत प्रतीप चीनी नहीं है । | 35% | .. |
| 1702.90 | -अन्य, जिसके अंतर्गत प्रतीप चीनी है और अन्य चीनी और चीनी शर्बत मिश्रण जिसमें फ्रक्टोस शुष्क अवस्था में भार के आधार पर है। | 35% | .."; |

(11) अध्याय 19 में,-

(i) शीर्ष सं0 19.04 में, उपशीर्ष सं0 1904.20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "1904.30 | --फुला हुआ गेहूं | 35% | .."; |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| (ii) शीर्ष सं0 19.05 में, उपशीर्ष सं0 1905.30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :– | | | | |
| | | " -मीठा बिस्कुट ; वैफेल और वेफर | | |
| | 1905.31 | –मीठा बिस्कुट | 45% | .. |
| | 1905.32 | –वैफेल और वेफर | 45% | ..", |
| (12) अध्याय 20 में,– | | | | |
| (i) शीर्ष सं0 20.03 में, उपशीर्ष सं0 2003.10 और 2003.20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :– | | | | |
| | "2003.10 | -कुकुरमुत्ता जीनस की खुंबी | 35% | .. |
| | 2003.20 | -ट्रफल | 35% | .. |
| | 2003.90 | -अन्य | 35% | .."; |
| (ii) शीर्ष सं0 20.09 में, उपशीर्ष सं0 2009.11, 2009.19, 2009.20, 2009.30, 2009.40, 2009.50, 2009.60 और 2009.70 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :– | | | | |
| | "2009.11 | –हिमशीतित | 35% | .. |
| | 2009.12 | –हिमशीतित नहीं, 20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का | 35% | .. |
| | 2009.19 | –अन्य | 35% | .. |
| | | -ग्रेप फ्रूट का रसः | | |
| | 2009.21 | –20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का | 35% | .. |
| | 2009.29 | –अन्य | 35% | .. |
| | | -किसी अन्य एकल फल या वनस्पति का रसः | | |
| | 2009.31 | –20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का | 35% | .. |
| | 2009.39 | –अन्य | 35% | .. |
| | | -अन्नानास का रसः | | |
| | 2009.41 | –20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का | 35% | .. |
| | 2009.49 | –अन्य | 35% | .. |
| | 2009.50 | -टमाटर का रस | 35% | .. |
| | | -अंगूर का रस (जिसमें अंगूर की कच्ची शराब है) : | | |
| | 2009.61 | –30 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का | 35% | .. |
| | 2009.69 | –अन्य | 35% | .. |
| | | -सेब का रसः | | |
| | 2009.71 | –20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का | 35% | .. |
| | 2009.79 | –अन्य | 35% | .."; |
| (13) अध्याय 23 में,– | | | | |
| (i) शीर्ष सं0 23.06 में, उपशीर्ष सं0 2306.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :– | | | | |
| | | " -तोरिया या कोलजा के बीज | | |
| | 2306.41 | –निम्न इरूसिक अम्ल तोरिया या कोलजा बीज | 35% | .. |
| | 2306.49 | –अन्य | 35% | .."; |
| (ii) शीर्ष सं0 23.08 में, उपशीर्ष सं0 2308.10 और 2308.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :– | | | | |
| **"23.08** | **2308.00** | **प्राणि खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रकार की वनस्पति सामग्री और वनस्पति उपशिष्ट वनस्पति अवशिष्ट और उत्पादोत्पाद, चाहे गुटिका के रूप में है या नहीं, जो अन्य, विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ।** | 35% | .."; |
| (14) अध्याय 26 में,– | | | | |
| (i) शीर्ष सं0 26.20 में,– | | | | |
| (क) उपशीर्ष सं0 2620.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :– | | | | |
| | | " -जिसमें मुख्य रूप से सीसा है | | |
| | 2620.21 | –सीसित गैसोलिन अवमल और सीसित आघातरोधी मिश्रण अवमल | 5% | .. |
| | 2620.29 | –अन्य | 5% | .."; |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | (ख) उपशीर्ष सं0 2620.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- | | |
| | "2620.60 | -जिसमें इस प्रकार का आर्सेनिक, पारा, थालियम या उनके सम्मिश्रण हैं, जिसका उपयोग आर्सेनिक या उन धातुओं के निष्कर्षण या उनके रासायनिक मिश्रण के विनिर्माण के लिए किया जाता है । | 5% | ..", |
| | | (ग) उपशीर्ष सं0 2620.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- | | |
| | | " -अन्य | | |
| | 2620.91 | --जिसमें एंटीमोनी, बेरीलियम, केडमियम, क्रोमियम या उनके सम्मिश्रण हैं । | 5% | .. |
| | 2620.99 | --अन्य | 5% | ..", |
| | | (घ) शीर्ष सं0 26.21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- | | |
| "**26.21** | | **अन्य धातुमल और भस्म जिसके अंतर्गत समुद्री खरपतवार भस्म (केल्प) और नगरपालिक अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट है ।** | | |
| | 2621.10 | -- नगरपालिक अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट | 5% | .. |
| | 2621.90 | -- अन्य | 5% | ..", |
| | | (15) अध्याय 27 में, शीर्ष सं0 27.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- | | |
| "**27.10** | | **पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चे तेल से भिन्न, ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमेनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, भार के आधार पर, 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जब यह तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक है ; अवशिष्ट तेल** | | |
| | | --पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल भार के आधार पर, 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक है ; अपशिष्ट तेल से भिन्नः | | |
| | 2710.11 | --हल्के तेल और निर्मितियां | 35% | .. |
| | 2710.19 | --अन्य | 35% | |
| | | -अपशिष्ट तेल | | |
| | 2710.91 | --बहुक्लोरीनीकृत बाफेनिल (पीसीबी) बहुक्लोरीनीकृत टरफेनिल (पीसीटी) या बहुक्लोरीनीकृत बाइफेनिल (पीबीबी) | 35% | .. |
| | 2710.99 | --अन्य | 35% | ..", |
| | | (16) अध्याय 28 में,-- | | |
| | | (i) शीर्ष सं0 28.05 में, शीर्ष सं0 28.05 के ठीक पश्चात् वाले भाग में, स्तंभ (3) में की , "क्षारीय धातुएं", उपशीर्ष सं0 2805.11 और 2805.19 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां और " क्षारीय भू-धातुएं" और उपशीर्ष सं0 2805.21 और 2805.22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- | | |
| | | " - क्षार या क्षारीय भू-धातुएं : | | |
| | 2805.11 | --सोडियम | 35% | .. |
| | 2805.12 | --कैल्शियम | 35% | .. |
| | 2805.19 | --अन्य | 35% | ..", |
| | | (ii) शीर्ष सं0 28.16 में, उपशीर्ष सं0 2816.20 और 2816.30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- | | |
| | "2816.40 | -स्ट्रानशियम या बेरियम के आक्साइड, हाइड्राक्साइड और पैराक्साइड | 35% | ..", |
| | | (17) अध्याय 29 में,- | | |
| | | (i) शीर्ष सं0 29.05 में, उपशीर्ष सं0 2905.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- | | |
| | | " - अचक्रीय एल्कोहाल के हैलोजेनेटित, सल्फोनेटित, नाइट्रेटित या नाइट्रोसेटित व्युत्पन्न : | | |
| | 2905.51 | --इथक्लोरवीनाल(आइएनएन) | 35% | .. |
| | 2905.59 | --अन्य | 35% | ..", |
| | | (ii) शीर्ष सं0 29.21 में, उपशीर्ष सं0 2921.45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-- | | |
| | "2921.46 | --एमफेटामिन(आइएनएन), बेंजफेटामिन(आइएनएन), डक्साफेटामिन (आइएनएन), एटिलाफिटामिन(आइएनएन), फेन्कामफेटामिन (आइएनएन),लेफेटामिन(आइएनएन), लेवामफेटामिन(आइएनएन), मेफेनोरेक्स(आइएनएन) और फेन्टरमिन(आइएनएन) ; उनके लवण | 35% | ..", |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|

(iii) शीर्ष सं0 29.22 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 2922.13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2922.14 | --डेक्ट्रोप्रोपोक्सीफिन(आइएनएन) और इसके लवण | 35% | ..."; |

(ख) उपशीर्ष सं0 2922.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियां और उपशीर्ष सं0 2922.30 के तत्काल बाद आने वाले स्तंभ(3) में " एमिनो अम्ल और उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह हैं उनके लवण" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | "एमिनोएल्डिहाइड, एमीनो कीटोन और एमीनो क्वीनोन, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह हैं उनके लवण : | | |
| 2922.31 | --एम्फीप्रामोन(आइएनएन),मेथाडोन(आइएनएन) और नारमेथाडोन(आइएनएन) | 35% | .. |
| 2922.39 | --अन्य -एमीनो अम्ल, और उनके एस्टर, उनसे भिन्न, जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह है, उनके लवण | 35% | .. |

(ग) उपशीर्ष सं0 2922.43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2922.44 | -- टिलीडाइन(आइएनएन) और इसके लवणः | 35% | ..."; |

(iv) शीर्ष सं0 29.24 में, -

(क) उपशीर्ष सं0 2924.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | "अचक्रीय एमाइड(जिसके अंतर्गत अचक्रीय कार्बेनेट है) और उनके व्यत्पन्न ; उनके लवण : | | |
| 2924.11 | --मेप्रोबमेट(आइएनएन) | 35% | .. |
| 2924.19 | --अन्य | 35% | ..."; |

(ख) उपशीर्ष सं0 2924.22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2924.23 | --एसटामाइडोबेंजोइक अम्ल (एन-एसेटीलनथ्रानिलिक अम्ल) और उसके लवण | 35% | .. |
| 2924.24 | --एथिनामेट (आई एन एन) | 35% | ..."; |

(v) शीर्ष सं0 29.25 में, उपशीर्ष सं0 2925.11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2925.12 | --ग्लूटेथिमाइड (आई एन एन) | 35% | ..."; |

(vi) शीर्ष सं0 29.26 में, उपशीर्ष सं0 2926.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखि त उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2926.30 | -फेंप्रोपोरेक्स (आई एन एन) और उसके लवण ; मेथाडोन (आई एन एन मध्यवर्ती (4-साइयानो-2-डाइमेथीलमीनो-4, 4-डाइफेनाबुटेन) | 35% | ..."; |

(vii) शीर्ष सं0 29.32 में, उपशीर्ष सं0 2932.94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2932.95 | -टेट्राहाईड्रोकेन्नबिनोल्स (सभी समावयवी) | 35% | ..."; |

(viii) शीर्ष सं0 29.33 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 2933.32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रवि ष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2933.33 | --अल्फेंटानील (आई.एन.एन), एनिलेरीडाइन (आई.एन.एन), बेजीट्रामाइड (आई.एन.एन), ब्रोमाजेपम (आई.एन.एन), ब्रोमाजेपम (आई.एन.एन), डाइफेंनोक्सिन (आई.एन.एन), डाइफेनोक्सीलेट (आई.एन.एन), डाइपीपनोन (आई.एन.एन), फेंटानाइल (आई.एन.एन), केटो बेमीडोन (आई.एन.एन), मेथिलफेनीडेट (आई.एन.एन), पेंटाडोसीन (आई.एन.एन), पेथीडीन (आई.एन.एन), पेथीडीन(आई.एन.एन) मध्यवर्ती क, फेनसाइक्लीडाइन (आई.एन.एन) (पी सी पी), फेनोपेरीडाइन (आई.एन.एन), पीपराड्रोल (आई.एन.एन), पिरीट्रामाइड (आई.एन.एन), प्रोपीरम (आई.एन.एन) और ट्रिमेपेरीडाइन (आई.एन.एन) ; उनके लवण | 35% | ..."; |

(ख) उपशीर्ष सं0 2933.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रवि ष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | "- यौगिक, जिसमें क्यूनोलिन या आइसोक्यूनोलिन वलय-प्रणाली है (चाहे वह हाइड्रोजनेटित है या नहीं), जो और संगलित नहीं है : | | |
| 2933.41 | --लीवरफेनोल और उसके लवण | 35% | .. |
| 2933.49 | --अन्य | 35% | ..."; |

(ग) उपशीर्ष सं0 2933.51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2933.52 | --मैलनिल्यूरिया (बार्बीट्यूरिक अम्ल) और उसके लवण | 35% | .. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 2933.53 | --एलोबार्बिटल (आई एन एन), एमोबार्बिटल (आई एन एन), बार्बिटल (आई एन एन), बूटालबिटल (आई एन एन), बूटोबार्बिटल (आई एन एन), साइक्लोबार्बिटल (आई एन एन), मेथिलफेनोबार्बिटल (आई एन एन), पेंटोबार्बिटल (आई एन एन), फेनोबार्बिटल (आई एन एन), सेकबूटाबार्बिटल (आई एन एन), सेकोबार्बिटल (आई एन एन) और विनाइलबिटल (आई एन एन); उनके लवण | 35% | .. |
| | 2933.54 | --मैलोनीलयूरिया के अन्य व्युत्पन्न (बार्बिट्यूरिक अम्ल); उनके लवण | 35% | .. |
| | 2933.55 | --लेप्राजोलम (आई एन एन), मक्लोक्वालोन (आई एन एन), मेथाक्वालोन (आई एन एन), और जाइप्रोल (आई एन एन), ; उनके लवण | 35% | ..”; |

(घ) उपशीर्ष सं0 2933.71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | “2933.72 | --क्लोबाज्म (आई एन एन) और मेथीप्राइलोन (आई एन एन) | 35% | ..”; |

(ङ) उपशीर्ष सं0 2933.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | -अन्य : | | |
| | 2933.91 | --एल्प्राजोलम (आई एन एन), कामाजेपम (आई एन एन), क्लोरडाइएजेपोक्साइड (आई एन एन), क्लोनाजेपम (आई एन एन), क्लोराजपेट, डेवलोराजेपम (आई एन एन), डाइजेपम (आई एन एन), एस्टाजोलम (आई एन एन), एथिल लोफ्लाजपेट (आई एन एन),फ्लूडियाजेपम (आई एन एन), फ्लूनिट्राजेपम (आई एन एन), फअलूराजेपम (आई एन एन), हालाजेपम (आई एन एन), लोराजेपम (आई एन एन), लोरमेटाजेपम (आई एन एन), मजिनडो (आई एन एन), मेडाजेपम (आई एन एन), मिडाजेलम (आई एन एन), निमेटाजेपम (आई एन एन), नाइट्राजेपम (आई एन एन), नोर्डाजेपम (आई एन एन), प्राजेपम (आई एन एन), पाइरोवेल्रो (आई एन एन), टेमाजेपम (आई एन एन), टेट्राजेपम (आई एन एन) और ट्रियाजोलम (आई एन एन) ; उनके लवण | 35% | .. |
| | 2933.99 | --अन्य | 35% | ..”; |

(ix) शीर्ष सं0 29.34 में, उपशीर्ष सं0 2934.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | “ -अन्य : | | |
| | 2934.91 | --एमिनोरेक्स (आई एन एन), ब्रोटीजोलम (आई एन एन), क्लोटियाजेपम (आई एन एन), क्लोक्साजोलम (आई एन एन), डेक्सट्रोमोरामाइड (आई एन एन), हेलोक्साजोलम (आई एन एन), केटाजोलम (आई एन एन), मेसोकार्ब (आई एन एन), ओक्साजोलम (आई एन एन), पेमोलीन (आई एन एन), फेनडाइमेट्राजाइन (आई एन एन), फेनमेट्राजाइन (आई एन एन) और सुफेंटानिल (आई एन एन) ; उनके लवण | 35% | .. |
| | 2934.99 | --अन्य | 35% | ..”; |

(x) शीर्ष सं0 29.37, उपशीर्ष सं0 2937.10, 2937.21, 2937.22, 2937.29, 2937.91, 2937.92, 2937.99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| **“29.37** | | **हार्मोन, प्रोस्टाग्लानडिन, थ्रोमबाक्सेन और ल्यूकोट्राइन, प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादित ; उसके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप, जिसके अंतर्गत प्रथमतः हार्मोन के रूप में प्रयुक्त श्रृंखला उपांतरित पालिपेपटाइड भी है** | | |
| | | -पालिपेपटाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप : | | |
| | 2937.11 | --सोमाटोट्रापीन, उसके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप | 35% | 25% |
| | 2937.12 | --इनसुलीन और उसके लवण | 35% | 25% |
| | 2937.19 | --अन्य | | |
| | | -स्टेरोइडल हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप : | 35% | 25% |
| | 2937.21 | --कोर्टीसोन, हाइड्रोकोर्टीसोन,प्रेडनाइसोन (डिहाड्रोहाड्रोकोर्टीसोन) और प्रेडनाइसोलोन (डिहाड्रोहाड्रोकोर्टीसोन) | 35% | 25% |
| | 2937.22 | --कोर्टीकोस्ट्रोइडल हार्मोन के हेलोजनेटित व्युत्पन्न | 35% | 25% |
| | 2937.23 | --ओएस्ट्रोजीन और प्रोजेसटोजीन | 35% | 25% |
| | 2937.29 | --अन्य | | |
| | | -केटकोलमाइन हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूपः | 35% | 25% |
| | 2937.31 | --इपाइनफ्रिन | 35% | 25% |
| | 2937.39 | --अन्य | 35% | 25% |
| | 2937.40 | -एमिनो-अम्ल व्युत्पन्न | 35% | 25% |
| | 2937.50 | -प्रोस्टाग्लानडिन, थ्रोमबाक्सेन और ल्यूकोट्राइन,उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप : | 35% | 25% |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 2937.90 | -अन्य | 35% | 25%"; |

(xi) शीर्ष सं0 29.39 में,-

(क) उपशीर्ष सं0 2939.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | " -अफीम के एल्कालायड और उनके व्युत्पन्न ; उनके लवण : | | |
| 2939.11 | --पोस्त तृण के सांद्र ; | | |
| | बूप्रेनोरफाइन (आई एन एन), कोडेइन, डिहाइड्रोकोडेइन (आई एन एन), एथिलमार्फिन, इटोरफिन (आई एन एन), हिरोइन, हाइड्रोकोडोन (आई एन एन), हाइड्रोमार्फिन (आई एन एन), मार्फिन, निकोमार्फिन (आई एन एन), आक्सीकोडोन (आई एन एन), आक्सीमार्फोन (आई एन एन),फोलकोडिन (आई एन एन), थिबेकन (आई एन एन), और थिबेन ; उसके लवण | 35% | .. |
| 2939.19 | --अन्य | 35% | ..."; |

(ख) उपशीर्ष सं0 2939.42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2939.43 | --केथाइन(आई एन एन) और उसके लवण | 35% | 25%"; |

(ग) उपशीर्ष सं0 2939.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | " -थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन (थियोफाइलिन-एथिलिनडाइएमीन) और उनके व्युत्पन्न; उनके लवण : | | |
| 2939.51 | -- फेनेटाइलिन(आई एन एन) और उसके लवण | 35% | 25% |
| 2939.59 | --अन्य | 35% | 25%"; |

(घ) उपशीर्ष सं0 2939.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | " -अन्य | | |
| 2939.91 | --कोकेन, इकगोनाइन, लेवोमेटामफेटामाइन, मेटामफेटामाइन(आई एन एन) मेटामफेटामाइन रेसमेट ; उसके लवण, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न | 35% | .. |
| 2939.99 | --अन्य | 35% | ..."; |

(18) अध्याय 30 में, शीर्ष सं0 30.06 के उपशीर्ष सं0 3006.60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "3006.70 | -शल्य संक्रियाओं या शारीरिक परीक्षाओं के लिए शरीर के अंगों के लिए स्नेहक के रूप में या शरीर और चिकित्सा यंत्रों के बीच युग्मक कर्मक के रूप में मानव या पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने के लिए परिकल्पित जेल निर्मितियां | 35% | .. |
| 3006.80 | -अपशिष्ट भेषजीय | 35% | ..."; |

(19) अध्याय 34 में, शीर्ष सं0 34.01 के उपशीर्ष सं0 3401.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "3401.30 | -तरल या क्रीम के रूप में चर्म धोवन के लिए कार्बनिक-पृष्ठ-सक्रिय निर्मितियां जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए प्रस्तुत किया गया हो, चाहे उसमें साबुन हो या नहीं | 35% | ..."; |

(20) अध्याय 37 में, शीर्ष सं0 37.02 के उपशीर्ष सं0 3702.91, 3702.92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "3702.91 | --16मी.मी.से अनधिक चौड़ाई का | 25% | ..."; |

(21) अध्याय 38 में,-

(i) शीर्ष सं0 सं0 38.17 के उपशीर्ष सं0 3817.10 और 3817.20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"38.17** | **3817.00** | **मिश्रित ऐल्किलबेंजीन और मिश्रित ऐल्किलनेफथेलीन,उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 सं0 27.07 या 29.02 में हैं** | **35%.** | **.";** |

(ii) शीर्ष सं0 सं0 38.24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"38.25** | | **रासायनिक या सहायक उद्योगों के अवशिष्ट उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ; नगरपालिक अपशिष्ट, मल अवमल ; अन्य अपशिष्ट ; जो इस अध्याय के टिप्पण 6 में विनिर्दिष्ट है** | | |
| | 3825.10 | -नगरपालिक अपशिष्ट | 35% | .. |
| | 3825.20 | -मल अवमल | 35% | .. |
| | 3825.30 | -क्लिनिक संबंधी अपशिष्ट | | |
| | | -अपशिष्ट कार्बनिक विलायक : | 35% | .. |
| | 3825.41 | --हेलोजिनेटिड | 35% | .. |
| | 3825.49 | --अन्य | 35% | .. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 3825.50 | -धातु अम्लोपचारी लिकर, हाइड्रोलिक तरल, ब्रेक तरल और हिमरोधी तरल के अपशिष्ट | 35% | .. |
| | | -रासायनिक या सहबद्ध उद्योग के अन्य अपशिष्ट : | | |
| | 3825.61 | --जिनमें मुख्यतः कार्बनिक घटक हैं | 35% | .. |
| | 3825.69 | --अन्य | 35% | .. |
| | 3825.90 | -अन्य | 35% | ..";

(22) अध्याय 39 में, शीर्ष सं0 39.20 के उपशीर्ष सं0 3920.41 और 3920.42 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "3920.43 | --जिनमें प्लास्टीसिसर के 6% से अन्यून वजन के अनुसार है | 35% | .. |
| | 3920.49 | --अन्य | 35% | .."; |

(23) अध्याय 40 में,--

(i) शीर्ष सं0 40.09 के उपशीर्ष सं0 4009.10, 4009.20, 4009.30, 4009.40, 4009.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**40.09** | | **कठोर रबड़ से भिन्न वल्कनीकृत रबड़ की नटिका, पाइपें और होज, चाहे वे उनकी फिटिंग के साथ है या नहीं (उदाहरणार्थ जोड़, एल्बी, फलेंज)** | | |
| | | -जो अन्य सामग्रियों के साथ प्रबलित या अन्यथा संयोजित नहीं हैं : | | |
| | 4009.11 | -- फिटिंग के बिना | 35% | .. |
| | 4009.12 | --फिटिंग सहित | 35% | .. |
| | | -केवल धातु के साथ प्रवाहित या अन्यथा संयोजित : | | |
| | 4009.21 | --फिटिंग के बिना | 35% | .. |
| | 4009.22 | --फिटिंग सहित | 35% | .. |
| | | -केवल टेक्साटाइल सामग्रियों के साथ प्रबलित या अन्यथा संयोजित : | | |
| | 4009.31 | --फिटिंग के बिना | 35% | .. |
| | 4009.32 | --फिटिंग सहित | 35% | .. |
| | | -अन्य सामग्रियों के साथ प्रबलित या संयोजित : | | |
| | 4009.41 | --फिटिंग के बिना | 35% | .. |
| | 4009.42 | --फिटिंग सहित | 35% | .."; |

(ii) शीर्ष सं0 40.10 में उपशीर्ष सं0 4010.21, 4010.22, 4010.23, 4010.24, और 4010.29 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4010.31 | --समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार, का 60 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 180 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का | 35% | .. |
| 4010.32 | --समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार से भिन्न, 60 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 180 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का | 35% | .. |
| 4010.33 | --समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार , 180 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 240 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का | 35% | .. |
| 4010.34 | --समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार से भिन्न, 180 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 240 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का | 35% | .. |
| 4010.35 | --60 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 150 सेंटीमीटर से अनधिक परिधि के सिराहीन तुल्यकालिक पट्टे | 35% | .. |
| 4010.36 | --150 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 198 सेंटीमीटर से अनधिक परिधि के सिराहीन तुल्यकालिक पट्टे | 35% | .. |
| 4010.39 | --अन्य | 35% | .."; |

(iii) शीर्ष सं0 40.11 में, उपशीर्ष सं0 4011.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में " --अन्य :" शब्द और उपशीर्ष सं0 4011.91 और 4011.99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ' -अन्य, जिसमें "हैरंग बोन" या वैसी ही ट्रीड है : | | |
| 4011.61 | -- इस प्रकार की, जिनका उपयोग कृषि या वन संबंधी यानों और मशीनों पर किया जाता है | 35% | .. |
| 4011.62 | --इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से. मी. से अधिक न हो | 35% | .. |
| 4011.63 | --इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से.मी. से अधिक हो | 35% | .. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 4011.69 | --अन्य | 35% | .. |
| | | -अन्य : | | |
| | 4011.92 | इस प्रकार की, जिनका उपयोग कृषि या वन संबंधी यानों और मशीनों पर किया जाता है | 35% | .. |
| | 4011.93 | --इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से.मी. से अनधिक हो | 35% | .. |
| | 4011.94 | --इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से.मी. से अधिक हो | 35% | .. |
| | 4011.99 | --अन्य | 35% | ..'; |

(iv) शीर्ष सं0 40.12, उपशीर्ष सं0 4012.10, 4012.20, 4012.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **'40.12** | | **रबड़ के रिट्रीड किए गए या उपयोग किए गए वातिल टायर ; ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रीड और टायर फ्लैप :** | | |
| | 4012.11 | --इस प्रकार के, जिनका उपयोग मोटर कारों (जिनके अंतर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ कारें हैं) में किया जाता है | 35% | .. |
| | 4012.12 | --इस प्रकार के, जिनका उपयोग बसों या लारियों में किया जाता है | 35% | .. |
| | 4012.13 | --इस प्रकार के, जिनका उपयोग वायुयान में किया जाता है | 35% | .. |
| | 4012.19 | --अन्य | 35% | .. |
| | 4012.20 | --उपयोग किए गए वातिल टायर | 35% | .. |
| | 4012.90 | -अन्य | 35% | ..'; |

(24) अध्याय 41 में,--

(i) शीर्ष सं0 41.01, उपशीर्ष सं0 4101.10, 4101.21, 4101.22, 4101.29, 4101.30, 4101.40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"41.01** | | **गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी है) .या अश्वकुलीय प्राणियों की कच्ची खालें और चर्म (जो ताजे या लवणित, शुष्कित, चूनोपचारित, अम्लोपचारित या अन्यथा परिरक्षित हैं किंतु संस्कारित, पार्चमेंट प्रसाधित या और निर्मित नहीं हैं) चाहे विरोमित या विपाटित हैं या नहीं** | | |
| | 4101.20 | -साबूत खालें और चर्म, जब साधारण शुष्कित हों तो 8 कि.ग्रा. से अधिक, जब शुष्क-लवणित हों तो 10 कि.ग्रा, या जब ताजा नम-लवणित या अन्यथा परिरक्षित हों तो 16 कि.ग्रा. प्रति चर्म भार के | निःशुल्क | .. |
| | 4101.50 | -साबूत खालें और चर्म, 16 कि.ग्रा. से अधिक भार के | निःशुल्क | .. |
| | 4101.90 | -अन्य, जिसके अंतर्गत बट, बैंड और बेली हैं | निःशुल्क | ..'; |

(ii) उपशीर्ष सं0 4103.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "4103.30 | --शूकर का | निःशुल्क | ..'; |

(iii) शीर्ष सं0 41.04, 41.05, 41.06, 41.07, 41.08, 41.09, 41.10, 41.11, उपशीर्ष सं0 4104.10, 4104.21, 4104.22, 4104.29, 4104.31, 4104.39, 4105.11, 4105.12, 4105.19, 4105.20, 4106.11, 4106.12, 4106.19, 4106.20, 4107.10, 4107.21, 4107.29, 4107.90, 4108.00, 4109.00, 4110.00, 4111.00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"41.04** | | **गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी हैं) और अश्वकुलीय प्राणियों की चर्मसंस्कारित या अपघर्षित चर्म, जिन पर रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं है** | | |
| | | - नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में : | | |
| | | -शुल्क अवस्था (अपशिर्षत) में | | |
| | 4104.11 | --पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित, तन्तुवयन विपाटन | 25% | .. |
| | 4104.19 | -- अन्य | 25% | .. |
| | 4104.41 | -- पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित, तन्तुवयन विपाटन | 25% | .. |
| | 4104.49 | -- अन्य | 25% | .. |
| **41.05** | | **भेड़ या मेमने का चर्म-संस्कारित या अपघर्षित ऊन जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं ; किंतु और निर्मित नहीं है** | | |
| | 4105.10 | -नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में | 25% | .. |
| | 4105.30 | -शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में | 25% | .. |
| **41.06** | | **अन्य प्राणियों की चर्म-संस्कारित या अपघर्षित खालें और चर्म, जिन पर ऊर्ण या रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं ; किंतु और निर्मित नहीं है** | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | - बकरे या शाव के : | | |
| | 4106.21 | --नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में | 25% | .. |
| | 4106.22 | -शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में | 25% | .. |
| | | -शूकर केः | | |
| | 4106.31 | --नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में | 25% | .. |
| | 4106.32 | --शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में | 25% | .. |
| | 4106.40 | -सरीसृप के | 25% | .. |
| | | - अन्य : | | |
| | 4106.91 | --नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में | 25% | .. |
| | 4106.92 | --शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में | 25% | .. |
| **41.07** | | **गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी है) या अश्वकुलीय प्राणियों का चर्म-संस्कार या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पर्चमेंट-प्रसाधित चमड़ा भी है, चाहे विघटित है या नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष सं. 41.14 में है** | | |
| | | -साबुत खालें और चर्म : | | |
| | 4107.11 | --पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित | 25% | .. |
| | 4107.12 | --तन्तुवयन विपाटन | 25% | .. |
| | 4107.19 | --अन्य | 25% | .. |
| | | - अन्य, जिसके अंतर्गत बगली हैं ; | | |
| | 4107.91 | --पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित | 25% | .. |
| | 4107.92 | --तन्तुवयन विपाटन | 25% | .. |
| | 4107.99 | --अन्य | 25% | .. |
| **41.12** | **4112.00** | **भेड़ या मेमने का चर्म-संस्कार या अपघर्षन करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत भेड़ या मेमने का पर्चमेंट-प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊर्ण नहीं है, चाहे विघटित है या नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष सं0 41.14 में है** | 25% | .. |
| **41.13** | | **अन्य प्राणियों का चर्म-संस्कार या अपघर्षन करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पर्चमेंट, प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊर्ण या रोम नहीं है, चाहे विघटित है या नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष सं0 41.14 में है** | | |
| | 4113.10 | -बकरे या शाव का | 25% | .. |
| | 4113.20 | -शूकर का | 25% | .. |
| | 4113.30 | -सरीसृप का | 25% | .. |
| | 4113.90 | -अन्य | 25% | .. |
| **41.14** | | **सांभर चमड़ा; (जिसके अंतर्गत संयोजन सांभर है) पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पटलित चमड़ा; घात्विक चमड़ा;** | | |
| | 4114.10 | -सांभर चमड़ा (जिसके अंतर्गत संयोजन चमड़ा है) | 25% | .. |
| | 4114.20 | -पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पटलित चमड़ा; घात्विक चमड़ा | 25% | .. |
| **41.15** | | **चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाले संगठन चमड़ा, सिल्लियों, चादरों या पट्टी में, चाहे रोल में है या नहीं ; चमड़े या संगठन चमड़े की कतरनें और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ; चमड़ा धूल, चूर्ण और आटा** | | |
| | 4115.10 | -चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाले संगठन चमड़ा, सिल्लियों, चादरों या पट्टी में ; चाहे रोल में है या नहीं | 25% | .. |
| | 4115.20 | -चमड़े या संगठन चमड़े की कतरनें ओर अन्य अपशिष्ट जो चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ; चमड़ा धूल, चूर्ण और आटा | 25% | ..";; |

(25) अध्याय 44 में, शीर्ष सं0 44.10, उपशीर्ष सं0 4410.11, 4410.19, 4410.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**44.10** | | **काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के कण बोर्ड और इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ, अनुस्थापित रेशा बोर्ड और वेफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधने पदार्थ से संपीडित हैं या नहीं** | | |
| | | - अनुस्थापित रेशा बोर्ड और वेफर बोर्ड, काष्ठ का : | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 4410.21 | --अकर्मित या बालू से चमकाए गए से अन्यथा और कर्मित नहीं | 35% | .. |
| | 4410.29 | -- अन्य | 35% | .. |
| | 4410.31 | --अकर्मित या बालू से चमकाए गए से अन्यथा और कर्मित नहीं | 35% | .. |
| | 4410.32 | --मेलामाइन संसेचित कागज से आधारित पृष्ठ | 35% | .. |
| | 4410.33 | --प्लास्टिक के सजावटी पटलन से अवधारित पृष्ठ | 35% | .. |
| | 4410.39 | -- अन्य | 35% | .. |
| | 4410.90 | - अन्य | 35% | ..";

(26) अध्याय 47 में, शीर्ष सं0 47.05, उपशीर्ष सं0 4705.00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**47.05** | **4705.00** | **यांत्रिक और रासायनिक लुगदी निकालने की प्रक्रियाओं के संयोजन से अभिप्राप्त काष्ठ लुगदी** | 5% | ..";

(27) अध्याय 48 में,--

(i) शीर्ष सं0 48.02 में, उपशीर्ष सं0 4802.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में "अन्य कागज और पेपरबोर्ड जिसमें यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर नहीं है या जिसके कुल फाइबर अंश का, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसा फाइबर है" शब्दों और अंकों तथा उपशीर्ष सं0 4802.51, 4802.52, 4802.53 और 4802.60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | " -अन्य कागज और पेपरबोर्ड जिसमें यांत्रिक या रासायनिक- यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर नहीं है या जिसके कुल फाइबर अंश का, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसा फाइबर है : | | |
| 4802.54 | -- 40 जी/एम$^2$ कम वजन वाले | 35% | .. |
| 4802.55 | -- रोलों में 40 जी/एम$^2$ या अधिक किंतु 150 जी/एम$^2$ से अनधिक भार वाले | 35% | .. |
| 4802.56 | --चादरों में, जिसका एक पार्श्व 40 g/m$^2$ या अधिक किंतु 150 जी/एम$^2$ से अधिक है और अन्य पार्श्व बिना लपेटे हुए अवस्था में 297 मि.मी. से अनधिक है 40 g/m$^2$ या अधिक किंतु 150 जी/एम$^2$ से अनधिक भार वाले | 35% | .. |
| 4802.57 | -- अन्य, 40 जी/एम$^2$ या अधिक किंतु 150 जी/एम$^2$ से अनधिक भार वाले | 35% | .. |
| 4802.58 | -- 150 जी/एम$^2$ से अधिक वजन वाले | 35% | .. |
| | - अन्य कागज और पेपरबोर्ड, जिसके कुल फाइबर अंश का 10 प्रतिशत से अधिक ऐसा फाइबर है जो यांत्रिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त है : | | |
| 4802.61 | -- रोलों में | 35% | .. |
| 4802.62 | -- चौदरों मे, जिसका एक पार्श्व 435 मि.मी. से नधिक है और अन्य पार्श्व बिना लपेटे हुए अवस्था में 297 मि.मी. से अनधिक है | 35% | |
| 4802.69 | -- अन्य | 35% | ..|" |

(ii) शीर्ष सं0 48.05 में,, उपशीर्ष सं0 4805.10, 4805.21, 4805.22, 4805.23, 4805.29, 4805.30, 4805.40, 4805.50, 4805.60, 4805.70, 4805.80 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | " - लंबी धारी वाला कागज : | | |
| 4805.11 | --अर्ध-रासायनिक लंबी धारी वाला कागज | 35% | .. |
| 4805.12 | --तृण लंबी धारी वाला कागज | 35% | .. |
| 4805.19 | --अन्य | 35% | .. |
| | -टेस्टलाइनर (पुनर्चक्रित लाइनर बोर्ड) : | | |
| 4805.24 | --150 जी/एम$^2$ या कम भार वाला | 35% | .. |
| 4805.25 | --150 जी/एम$^2$ से अधिक भार वाला | 35% | .. |
| 4805.30 | -सल्फाइट लपेटन कागज | 35% | .. |
| 4805.40 | -फिल्टर कागज और पेपरबोर्ड | 35% | .. |
| 4805.50 | फेल्ट कागज और पेपरबोर्ड | 35% | .. |
| | -अन्य : | | |
| 4805.91 | --150 जी/एम$^2$ या कम भार वाला | 35% | .. |
| 4805.92 | --150 जी/एम$^2$ से अधिक किंतु 225 जी/एम$^2$ से कम भार वाला | 35% | .. |
| 4805.93 | --225 जी/एम$^2$ या अधिक भार वाला | 35% | ..";

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|

(iii) शीर्ष सं0 48.07, उपशीर्ष सं0 4807.10, 4807.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**48.07** | **4807.00** | **संयुक्त कागज और पेपरबोर्ड (जो कागज या पेपरबोर्ड की चपटी परतों की आपस में किसी आसंजक से चिपका कर तैयार किया गया है) जो पृष्ठ विलेपित या संसेचित नहीं है, चाहे आंतरिक रूप से प्रबलित है या नहीं ; रोलों या शीटों में** | 35% | ..."; |

(iv) शीर्ष सं0 48.10 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 4810.11, 4810.12 और 4810.21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "**48.10** | | **कागज और पेपरबोर्ड, जिसका एक या दोनों पार्श्व काओलिन (चीनी मिट्टी) या किसी अन्य अकार्बनिक पदार्थ से किसी बंधक सहित या बंधक बिना, और किसी अन्य विलेपन रहित विलेपित है, चाहे पृष्ठ रंजित, पृष्ठ सज्जित या मुद्रित है या नहीं, रोलों या आयताकार (जिसके अंतर्गत चौकोर भी है) शीटों में ; किसी भी आकार का** | | |
| | | -इस प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसमें यांत्रिक या रासायनिक-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर नहीं है या जिसके कुल फाइबर अंश का भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसे फाइबर से मिल कर बना है : | | |
| | 4810.13 | -रोलों में | 35% | .. |
| | 4810.14 | रोलों में, जिसका एक पार्श्व 435 मि.मी. से अनधिक है और अन्य पार्श्व बिना लपेटे हुए अवस्था में 297 मि.मी. से अनधिक है | 35% | .. |
| | 4810.19 | --अन्य | 35% | .. |
| | | -इस प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसके कुल फाइबर अंश को, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अधिक यांत्रिक या रासायनिक-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर से मिल कर बना है | | |
| | 4810.22 | --हल्के भार वाला विलेपित कागज | 35% | ..."; |

(ख) उपशीर्ष सं0 4810.91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "4810.92 | --बहु-प्लाई | 35% | ..."; |

(v) शीर्ष सं0 48.11 में,-

(क) उपशीर्ष सं0 4811.21 और 4811.29 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "4811.41 | --स्वतः आसंजक | 35% | .. |
| | 4811.49 | --अन्य | 35% | ..."; |

(ख) उपशीर्ष सं0 4811.31, 4811.39 और 4811.40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "4811.51 | --विरंजित, जिसका भार 150 $g/m^2$ से अधिक है | 35% | .. |
| | 4811.59 | -- अन्य | 35% | .. |
| | 4811.60 | -- कागज और पेपरबोर्ड, जो मोम, पैराफिन मोम, स्टिएरिन, तेल या ग्लिसराल से विलेपित, संसेचित या आच्छादित है | 35% | ..."; |

(vi) शीर्ष सं0 48.23 में, उपशीर्ष सं0 4823.11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "4823.12 | --स्वतः आसंजक | 35% | ..."; |

(28) अध्याय 51 में,-

(i) शीर्ष सं0 51.02 में, उपशीर्ष सं0 5102.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " -सूक्ष्म प्राणी रोम : | | |
| | 5102.11 | --कश्मीर (कैशमेरे) बकरों का | 15% | .. |
| | 5102.19 | --अन्य | 15% | ..."; |

(ii) शीर्ष सं0 51.05 में, उपशीर्ष सं0 5105.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " -सूक्ष्म प्राणी रोम : | | |
| | 5105.31 | --कश्मीर (कैशमेरे) बकरों का | 20% | .. |
| | 5105.39 | -अन्य | 20% | ..."; |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|

(29) अध्याय 53 में, शीर्ष सं0 53.05 में, उपशीर्ष सं0 5305.29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "अन्य" शब्द के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 5305.91 और 5305.99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "5305.90 | -अन्य | 35% | ..."; |

(30) अध्याय 59 में, शीर्ष सं0 59.04 में, उपशीर्ष सं0 5904.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "अन्य" शब्द के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 5904.91 और 5904.92 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "5904.90 | -अन्य | 35% | ..."; |

(31) अध्याय 60 में, शीर्ष सं0 60.02, उपशीर्ष सं0 6002.10, 6002.20, 6002.30, 6002.41, 6002.42, 6002.43, 6002.49, 6002.91, 6002.92, 6002.93, 6002.99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"60.02** | | **बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक, 30 से. मी. से अनधिक चौड़ाई के, जिनमें भार के आधार पर, 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत या रबड़ धागा, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 में है** | | |
| | 6002.40 | -जिसमें भार के आधार पर 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी कृत है किंतु इसमें रबड़ धागा नहीं है | 35% | .. |
| | 6002.90 | -अन्य | 35% | .. |
| **60.03** | | **बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक, 30 से. मी. से अनधिक चौड़ाई के, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 या 60.02 में है** | | |
| | 6003.10 | -ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम | 35% | .. |
| | 6003.20 | -सूत के | 35% | .. |
| | 6003.30 | -संश्लिष्ट फाइबर के | 35% | .. |
| | 6003.40 | -कृत्रिम फाइबर के | 35% | .. |
| | 6003.90 | -अन्य | 35% | .. |
| **60.04** | | **बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक, 30 से. मी. से अनधिक चौड़ाई के, जिनमें भार के आधार पर, 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत या रबड़ धागा, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 में है** | | |
| | 6004.10 | -जिसमें भार के आधार पर 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी कृत है किंतु इसमें रबड़ धागा नहीं है | 35% | .. |
| | 6004.90 | -अन्य | 35% | .. |
| **60.05** | | **ताना बुनाई फैब्रिक (जिनके अंतर्गत गैलून बुनाई मशीनों पर बने फैब्रिक भी हैं) उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 से 60.04 में हैं** | | |
| | 6005.10 | -ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम | 35% | .. |
| | | -सूत केः | | |
| | 6005.21 | --अविरंजित या विरंजित | 30% | .. |
| | 6005.22 | --रंजित | 30% | .. |
| | 6005.23 | --विभिन्न रंगों के सूतों के | 30% | .. |
| | 6005.24 | --छापित | 30% | .. |
| | | -संश्लिष्ट फाइबर के : | | |
| | 6005.31 | --अविरंजित या विरंजित | 30% | .. |
| | 6005.32 | --रंजित | 30% | .. |
| | 6005.33 | --विभिन्न रंगों के सूतों के | 30% | .. |
| | 6005.34 | --छापित | 30% | .. |
| | | -संश्लिष्ट फाइबर के : | | |
| | 6005.41 | --अविरंजित या विरंजित | 30% | .. |
| | 6005.42 | --रंजित | 30% | .. |
| | 6005.43 | --विभिन्न रंगों के सूतों के | 30% | .. |
| | 6005.44 | --छापित | 30% | .. |
| | 6005.90 | -अन्य | 35% | .. |
| **60.06** | | **अन्य बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक** | | |
| | 6006.10 | -ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम के | 35% | .. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | - सूत के : | | |
| | 6006.21 | --अविरंजित या विरंजित | 35% | .. |
| | 6006.22 | --रंजित | 35% | .. |
| | 6006.23 | --विभिन्न रंगों के सूतों के | 35% | .. |
| | 6006.24 | --छापित | 35% | .. |
| | | -संश्लिष्ट फाइबर के : | | |
| | 6006.31 | --अविरंजित या विरंजित | 35% | .. |
| | 6006.32 | --रंजित | 35% | .. |
| | 6006.33 | --विभिन्न रंगों के सूतों के | 35% | .. |
| | 6006.34 | --छापित | 35% | .. |
| | | -कृत्रिम फाइबरों के : | | |
| | 6006.41 | --अविरंजित या विरंजित | 35% | .. |
| | 6006.42 | --रंजित | 35% | .. |
| | 6006.43 | --विभिन्न रंगों के सूतों के | 35% | .. |
| | 6006.44 | --छापित | 35% | .. |
| | 6006.90 | -अन्य | 35% | ..", |

(32) अध्याय 61 में, शीर्ष सं0 61.10 में, उपशीर्ष सं0 6110.10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | " -ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम के : | | |
| 6110.11 | --ऊर्ण के | 35% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो अधिक हो | .. |
| 6110.12 | --कश्मीर (कैशमेरे) बकरों के | 35% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो अधिक हो | .. |
| 6110.19 | --अन्य | 35% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो अधिक हो | .."; |

(33) अध्याय 70 में, शीर्ष सं0 70.10 में, उपशीर्ष सं0 7010.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "अन्य, किसी क्षमता के" शब्द के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 7010.91, 7010.92, 7010.93 और 7010.94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "7010.90 | -अन्य | 35% | .."; |

(34) अध्याय 71 में, शीर्ष सं0 71.12 में, उपशीर्ष सं0 7112.10, 7112.20 और 7112.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "7112.30 | -भस्म, जिसमें बहुमूल्य धातू या बहुमूल्य धातु यौगिक है | 35% | .. |
| | -अन्य : | | |
| 7112.91 | --स्वर्ण का, जिसके अंतर्गत स्वर्ण से अधिपट्टित धातु है किंतु इसके अंतर्गत अन्य बहुमूल्य धातुओं से युक्त झाड़न नहीं है | 35% | .. |
| 7112.92 | -प्लेटिनम का, जिसके अंतर्गत प्लेटिनम से अधिपट्टित धातु है किंतु इसके अंतर्गत अन्य बहुमूल्य धातुओं से युक्त झाड़न नहीं है | 35% | .. |
| 7112.99 | --अन्य | 35% | .."; |

(35) अध्याय 74 में, शीर्ष सं0 74.15 में, उपशीर्ष सं0 7415.31, 7415.32 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "7415.33 | --पेंच, बोल्ट और नट | 35% | .."; |

(36) अध्याय 81 में,-

(i) शीर्ष सं0 81.01 में, उपशीर्ष सं0 8101.91, 8101.92, 8101.93 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "8101.94 | --अनगढ़ टंग्स्टन, जिसके अंतर्गत साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त शलाकाएं और छड़ें हैं | 35% | .. |
| 8101.95 | --शलाकाएं और छड़ें, उनसे भिन्न जो साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त हैं, प्रोफाइल प्लेट, शीट, पट्टी और पर्णी | 35% | .. |
| 8101.96 | --तार | 35% | .. |
| 8101.97 | --अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | .."; |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|

(ii) शीर्ष सं0 81.02 में, उपशीर्ष सं0 8102.91, 8102.92, 8102.93 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "8102.94 | --अनगढ़ मालिब्डेनम, जिसके अंतर्गत साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त शलाकाएं और छड़ें हैं | 35% | .. |
| 8102.95 | --शलाकाएं और छड़ें, उनसे भिन्न जो साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त हैं, प्रोफाइल प्लेट, शीट, पट्टी और पर्णी | 35% | .. |
| 8102.96 | --तार | 35% | .. |
| 8102.97 | --अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | ..";  |

(iii) शीर्ष सं0 81.03 में, उपशीर्ष सं0 8103.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "8103.20 | -अनगढ़ टेंटालम, जिसके अंतर्गत साधारतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त शालाकाएं और छड़ें हैं ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8103.30 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | ..";  |

(iv) शीर्ष सं0 81.05 में, उपशीर्ष सं0 8105.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "8105.20 | -कोबाल्ट मैट और कोबाल्ट धात्विकी के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद ; अनगढ़ कोबाल्ट ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8105.30 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | ..";  |

(v) शीर्ष सं0 81.07 में, उपशीर्ष सं0 8107.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "8107.20 | -अनगढ़ कैडामियम ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8107.30 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | ..";  |

(vi) शीर्ष सं0 81.08 में, उपशीर्ष सं0 8108.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "8108.20 | -अनगढ़ टाइटेनियम ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8108.30 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | ..";  |

(vii) शीर्ष सं0 81.09 में, उपशीर्ष सं0 8109.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "8109.20 | -अनगढ़ जिर्कोनियम ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8109.30 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | ..";  |

(viii) शीर्ष सं0 81.10, उपशीर्ष सं0 8110.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| **"81.10** | **ऐंटिमानी और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रैप भी है ;** | | |
| 8110.10 | -अनगढ़ ऐंटिमानी ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8110.20 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | .. |
| 8110.90 | -अन्य | 35% | ..";  |

(ix) शीर्ष सं0 81.12 में,-

(क) उपशीर्ष सं0 8112.11, 8112.19, 8112.20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8112.12 | -अनगढ़ ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8112.13 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | .. |
| 8112.19 | -अन्य | 35% | .. |
| | -क्रोमियम : | | |
| 8112.21 | -अनगढ़ ; चूर्ण | 35% | .. |
| 8112.22 | -अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | .. |
| 8112.29 | -अन्य | 35% | ..";  |

(ख) उपशीर्ष सं0 8112.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "-अन्य :" शब्द के स्थान पर और उपशीर्ष सं0 8112.91, 8112.99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| | " -थैलियम : | | |
| 8112.51 | --अनगढ़ ; चूर्ण | 35% | .. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 8112.52 | --अपशिष्ट और स्क्रैप | 35% | .. |
| | 8112.59 | --अन्य | 35% | .. |
| | | -अन्य : | | |
| | 8112.92 | --अनगढ़, अपशिष्ट और स्क्रैप; चूर्ण | 35% | ..", |
| | 8112.99 | -अन्य | 35% | ..", |

(37) अध्याय 84 में, शीर्ष सं0 84.67 में, उपशीर्ष सं0 8467.19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " -स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर : | | |
| | 8467.21 | --सभी प्रकार के ड्रिल | 25% | .. |
| | 8467.22 | --आड़ी | 25% | .. |
| | 8467.29 | --अन्य | 25% | ..", |

(38) अध्याय 85 में, शीर्ष सं0 85.42 में शीर्ष सं0 85.42 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग के स्तंभ (3) में "-एकाश्म अंकीय एकीकृत परिपथ :" शब्दों के स्थान पर और उपशीर्ष सं0 8542.12, 8542.13, 8542.14, 8542.19, 8542.30, 8542.40 और 8542.50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "8542.10 | | -कार्ड, जिनमें इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ ("स्मार्ट कार्ड") समाविष्ट हैं | निःशुल्क | .. |
| | | -एकाश्म एकीकृत परिपथ : | | |
| | 8542.21 | --अंकीय | निःशुल्क | .. |
| | 8542.29 | --अन्य | निःशुल्क | .. |
| | 8542.60 | -संकर एकीकृत परिपथ | निःशुल्क | .. |
| | 8542.70 | -इलेक्ट्रानिक सूक्ष्म समुच्चय | निःशुल्क | ..", |

(39) अध्याय 88 में, शीर्ष सं0 88.05 में, उपशीर्ष सं0 8805.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " -भूतल उड़ान प्रशिक्षक और उनके पुर्जे : | | |
| | 8805.21 | --एयर कम्बैट अनुरूपक और उनके पुर्जे | 35% | .. |
| | 8805.29 | --अन्य | 35% | ..", |

(40) अध्याय 89 में, शीर्ष सं0 89.06 में, उपशीर्ष सं0 8906.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"89.06** | | **अन्य जलयान, जिनके अंतर्गत युद्धपोत और रक्षानौकाएं हैं जो नौदौड़ नौकाओं से भिन्न हैं** | | |
| | 8906.10 | -युद्धपोत | 25% | .. |
| | 8906.90 | -अन्य | 25% | ..", |

(41) अध्याय 90 में,--

(i) शीर्ष सं0 90.09 में, उपशीर्ष सं0 9009.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " -पुर्जे और उपसाधन : | | |
| | 9009.91 | --स्वचालित दस्तावेज संभरक | 25% | .. |
| | 9009.92 | --कागज संभरक | 25% | .. |
| | 9009.93 | --सार्टर | 25% | .. |
| | 9009.99 | --अन्य | 25% | ..", |

(ii) शीर्ष सं0 90.21 में,--

(क) शीर्ष सं0 90.21 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग के स्तंभ (3) में, " -कृत्रिम जोड़ों और अन्य विकलांग या अस्थि विभाग साधित्र" शब्दों के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 9021.11, 9021.19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "9021.10 | | -विकलांग या अस्थि विभंग साधित्र | 25% | ..", |

(ख) उपशीर्ष सं0 9021.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | "-शरीर के अन्य कृत्रिम अंग : | | |
| | 9021.31 | --कृत्रिम जोड़ | 25% | .. |
| | 9021.39 | --अन्य | 25% | ..", |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|

(42) अध्याय 91 में,-

(i) शीर्ष सं0 91.08 में, उपशीर्ष सं0 9108.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले " -अन्य :" शब्द के पश्चात्, स्तंभ (3) में, और उपशीर्ष सं0 9108.91 और 9108.99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "9108.90 | -अन्य | 25% | ..."; |

(ii) शीर्ष सं0 91.12 में, उपशीर्ष सं0 9112.10 और 9112.80 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

| | | | |
|---|---|---|---|
| "9112.20 | -केस | 35% | ..."; |

(43) अध्याय 93 में,--

(i) शीर्ष सं0 93.01 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्राविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"93.01** | | **सैन्य शस्त्र, रिवाल्वरों, पिस्तौलों और शीर्ष सं0 93.07 के आयुधों से भिन्न** | | |
| | | - तोपखाना शस्त्र (उदाहरणार्थ बंदूक, हाउजर और मोर्टार) : | | |
| | 9301.11 | --स्वतः नोदित | 35% | .. |
| | 9301.19 | --अन्य | 35% | .. |
| | 9301.20 | -राकेट लांचर ; फ्लेम-थ्रोअर ; ग्रेनेड लांचर, टारपेडो ट्यूब और वैसे ही प्रक्षेपक | 35% | .. |
| | 9301.90 | -अन्य | 35% | ..."; |

(ii) शीर्ष सं0 93.05 में, उपशीर्ष सं0 9305.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | " -अन्य : | | |
| | 9305.91 | --शीर्ष सं0 93.01 के सैन्य शस्त्रों के | 35% | .. |
| | 9305.99 | --अन्य | 35% | ..."; |

(44) अध्याय 95 में, शीर्ष सं0 95.08 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"95.08** | | **चक्कर, झूले, निशानेबाजी, दीर्घाएं और अन्य मेला स्थल विनोद ; चल सर्कस, और चल प्राणिशालाएं ; चल नाट्यशालाएं** | | |
| | 9508.10 | -चल सर्कस और चल प्राणिशालाएं | 35% | .. |
| | 9508.90 | -अन्य | 35% | ..."; |

# चौथी अनुसूची

**[धारा 127(क) देखिए]**

## भाग 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 21 में, टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'3. इस अध्याय में "पान मसाला" से ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जिसमें सुपारी और निम्नलिखित एक या अधिक रचक हैं, अर्थात् :--

(i) चूना ; और

(ii) कत्था (कटेचू),

किन्तु उनमें तबांकू नहीं है, चाहे उनमें कोई अन्य रचक, जैसे कि इलाइची, खोपरा और मेन्थाल है या नहीं ।';

(2) अध्याय 24 में, टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

' 6. इस अध्याय में, "पान मसाला, जिसमें तंबाकू है, ", जिसे सामान्यतया "गुटखा" कहा जाता है, से ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जिसमें सुपारी और निम्नलिखित एक या अधिक रचक हैं, अर्थात् :--

(i) चूना ; और

(ii) कत्था (कटेचू),

चाहे उनमें कोई अन्य रचक, जैसे कि इलाइची, खोपरा और मेन्थाल है या नहीं ।' ;

(3) अध्याय 27 में,--

(i) टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

' 10. शीर्ष सं. 27.11 के अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक गैस के संबंध में, ईंधन के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस को संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के रूप में विपणन के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस के संपीडन की प्रक्रिया (यद्यपि इसके अंतर्गत तरलीकरण अंतर्वलित नहीं है) विनिर्माण की कोटि में आएगा ।' ;

(ii) उपशीर्ष सं. 2711.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 34 में, उपशीर्ष सं. 3406.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 48 में, उपशीर्ष सं. 4819.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 52 में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'4. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "डेनिम" से 3-धागा या 4-धागा ट्वील के विभिन्न रंगों के सूतों के फैब्रिक अभिप्रेत हैं 'जिनके अंतर्गत भंजित ट्वील, ताना प्रधान है जिनके ताना सूत एक और समान रंग के हैं और जिनके बाना सूत अविरंजित, विरंजित, धूसर रंजित या ताना सूत के रंग की अपेक्षा हल्के रंग में रंगे हैं ।' ;

(7) अध्याय 62 में,--

(i) टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

' 3. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, "ब्राण्ड नाम " से ऐसा कोई ब्राण्ड नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिह्न जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद के संबंध में व्यापार के अनुक्रम में उत्पाद और ऐसे किसी व्यक्ति के, जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत से या उसके बिना उस नाम या चिह्न का प्रयोग कर रहा है, संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है या जिससे ऐसा उपदर्शित होता है ।

4. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर कोई ब्राण्ड नाम लगाना, इसके आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैकिंग करना या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाना विनिर्माण की कोटि में आएगा ।' ;

(ii) उपशीर्ष सं. 6201.00 और 6202.00 में, स्तंभ (4) में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 64 में, उपशीर्ष सं. 6401.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(9) अध्याय 71 में, उपशीर्ष सं. 7101.50 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(10) अध्याय 85 में, उपशीर्ष सं. 8539.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(11) अध्याय 87 में,--

(i) टिप्पण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

' 3. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, शीर्ष सं. 87.06 के अंतर्गत आने वाली चेसिस पर कोई बाडी बनाना या गढ़ना या आरोपण करना या संरचना या उपस्कर फिट करना मोटर यान के "विनिर्माण" की कोटि में आएगा । ';

(ii) शीर्ष सं. 87.07 में, उपशीर्ष सं. 8707.00 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

" शीर्ष सं. 87.01 से 87.05 के मोटर यानों के लिए बाडी (जिसके अंतर्गत कैब भी है)" ;

(12) अध्याय 90 में, उपशीर्ष सं. 9004.90 में, स्तंभ (14) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(13) अध्याय 96 में, उपशीर्ष सं. 9603 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

| शीर्ष सं0 | उपशीर्ष सं0 | माल का वर्णन | शुल्क की दर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,-- | | | |
| (1) अध्याय 24 में, उपशीर्ष सं. 2404.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- | | | |
| | | "- खाने का तंबाकू और निर्मितियां जिनमें खाने का तंबाकू है ; | |
| | | पान मसाला जिनमें तंबाकू हैः | |
| | 2404.41 | -- खाने का तंबाकू और निर्मितियां जिनमें खाने का तंबाकू है | 16% |
| | 2404.49 | -- पान मसाला जिनमें तंबाकू है | 16%"; |
| (2) अध्याय 52 में,-- | | | |
| (i) उपशीर्ष सं. 5207.10, 5207.21, 5207.22, 5207.23 और 5207.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- | | | |
| | "5207.10 | - डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं | 16% |
| | 5207.20 | - अन्य फैब्रिक जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है | 16% |
| | | - अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं : | |
| | 5207.31 | -- विरंजित व्यूतित फैब्रिक | 16% |
| | 5207.32 | -- रंजित व्यूतित फैब्रिक | 16% |
| | 5207.33 | -- छापित व्यूतित फैब्रिक | 16% |
| | 5207.39 | -- अन्य व्यूतित फैब्रिक | 16%"; |
| (ii) उपशीर्ष सं. 5208.10, 5208.21, 5208.22, 5208.23 और 5208.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- | | | |
| | "5208.10 | - डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं | 16% |
| | 5208.20 | - अन्य फैब्रिक, जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है | 16% |
| | | - अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं : | |
| | 5208.31 | -- विरंजित व्यूतित फैब्रिक | 16% |
| | 5208.32 | -- रंजित व्यूतित फैब्रिक | 16% |
| | 5208.33 | -- छापित व्यूतित फैब्रिक | 16% |
| | 5208.39 | -- अन्य व्यूतित फैब्रिक | 16%"; |

# पांचवीं अनुसूची

**[धारा 127(ख) देखिए]**

## भाग 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उपशीर्ष सं. 2106.00, 2108.10, 2201.20, 2202.20, 2401.90, 2404.50, 2404.99, 2502.21, 2502.30, 2502.40, 2502.50, 2502.90, 4301.00, 8703.90, 8704.90, 8706.39, 8706.49, 8903.00, 8907.00, 9302.00, 9303.00, 9304.00, 9305.00, 9306.00 और 9307.00 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

## भाग 2

| शीर्ष सं0 | उपशीर्ष सं0 | माल का वर्णन | विशेष उत्पाद-शुल्क की दर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| केंद्रीय उत्पाद -शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,-- | | | |
| (1) शीर्ष सं. 24.04 में, उपशीर्ष सं. 2404.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- | | | |
| | | "- खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है ; | |
| | | पान मसाला, जिनमें तंबाकू है : | |
| 2404.41 | -- | खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है | 16% |
| 2404.49 | -- | पान मसाला, जिनमें तंबाकू है | 16%"; |
| (2) शीर्ष सं. 57.02, उपशीर्ष सं. 5702.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; | | | |
| (3) शीर्ष सं. 57.03, उपशीर्ष सं. 5703.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; | | | |
| (4) शीर्ष सं. 59.04, उपशीर्ष सं. 5904.10, 5904.91 और 5904.92 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; | | | |
| (5) शीर्ष सं. 59.05, उपशीर्ष सं. 5905.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; | | | |
| (6) शीर्ष सं. 59.07, उपशीर्ष सं. 5907.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; | | | |
| (7) शीर्ष सं. 69.05, उपशीर्ष सं. 6905.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; | | | |
| (8) शीर्ष सं. 69.06, उपशीर्ष सं. 6906.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; | | | |
| (9) शीर्ष सं. 87.11, उपशीर्ष सं. 8711.20 और 8711.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; और | | | |
| (10) शीर्ष सं. 94.04, उपशीर्ष सं. 9404.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । | | | |

# छठी अनुसूची

**(धारा 128 देखिए)**

## भाग 1

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) उपशीर्ष सं. 2404.50 और 2404.99 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "18%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) उपशीर्ष सं. 5110.10, 5110.21, 5110.22, 5110.23, 5110.29, 5111.10, 5111.21, 5111.22, 5111.23 और 5111.29 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

## भाग 2

| शीर्ष सं0 | उपशीर्ष सं0 | | माल का वर्णन | अतिरिक्त शुल्क की दर |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) |
| अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में,-- | | | | |
| (i) उपशीर्ष सं. 2404.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- | | | | |
| | | "- | खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है ; पान मसाला, जिनमें तंबाकू हैः | |
| | 2404.41 | -- | खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है | 18% |
| | 2404.49 | -- | पान मसाला, जिनमें तंबाकू है | 18%"; |
| (ii) उपशीर्ष सं. 5207.10, 5207.21, 5207.22, 5207.23 और 5207.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- | | | | |
| | "5207.10 | - | डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं | 8% |
| | 5207.20 | - | अन्य फैब्रिक जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है | **कुछ नहीं** |
| | | - | अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं : | |
| | 5207.31 | -- | विरंजित व्यूतित फैब्रिक | 8% |
| | 5207.32 | -- | रंजित व्यूतित फैब्रिक | 8% |
| | 5207.33 | -- | छापित व्यूतित फैब्रिक | 8% |
| | 5207.39 | -- | अन्य व्यूतित फैब्रिक | 8%"; |
| (iii) उपशीर्ष सं. 5208.10, 5208.21, 5208.22, 5208.23 और 5208.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- | | | | |
| | "5208.10 | - | डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं | 8% |
| | 5208.20 | - | अन्य फैब्रिक, जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है | **कुछ नहीं** |
| | | - | अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं : | |
| | 5208.31 | -- | विरंजित व्यूतित फैब्रिक | 8% |
| | 5208.32 | -- | रंजित व्यूतित फैब्रिक | 8% |
| | 5208.33 | -- | छापित व्यूतित फैब्रिक | 8% |
| | 5208.39 | -- | अन्य व्यूतित फैब्रिक | 8%"। |

# सातवीं अनुसूची

**(धारा 129 देखिए)**

**टिप्पणः**

1. इस अनुसूची में, "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" से, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है ।

2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, पहली अनुसूची का अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण इस अनुसूची के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे ।

| शीर्ष सं0 | उपशीर्ष सं0 | | माल का वर्णन | शुल्क की दर |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) |
| **21.06** | **2106.00** | | **पान मसाला** | **23%** |
| **24.03** | **2403.11** | -- | **फिल्टर सिगरेट से भिन्न, जिसकी लंबाई 60 मिलीमीटर से अधिक न हो** | **20 रु. प्रति हजार** |
| | 2403.12 | -- | फिल्टर सिगरेट से भिन्न, जिसकी लंबाई 60 मिलीमीटर से अधिक हो किंतु 70 मिलीमीटर से अधिक न हो | 60 रु. प्रति हजार |
| | 2403.13 | -- | फिल्टर सिगरेट जिसकी लंबाई (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी) 70 मिलीमीटर से अधिक न हो | 90 रु. प्रति हजार |
| | 2403.14 | -- | फिल्टर सिगरेट जिसकी लंबाई (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी) 70 मिलीमीटर से अधिक हो किंतु 75 मिलीमीटर से अधिक न हो | 145 रु. प्रति हजार |
| | 2403.15 | -- | फिल्टर सिगरेट जिसकी लंबाई (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी) 75 मिलीमीटर से अधिक हो किंतु 85 मिलीमीटर से अधिक न हो | 190 रु. प्रति हजार |
| | 2403.19 | -- | अन्य | 235 रु. प्रति हजार |
| | 2403.20 | - | तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट | 150 रु. प्रति हजार |
| **24.04** | **2404.10** | - | **पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण** | **45%** |
| | 2404.31 | -- | बेलित कागज से भिन्न बीड़ी जो किसी मशीन की सहायता से विनिर्मित नहीं है | 1 रु. प्रति हजार |
| | 2404.39 | -- | अन्य | 2 रु. प्रति हजार |
| | 2404.41 | -- | खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है | 10% |
| | 2404.49 | -- | पान मसाला, जिनमें तंबाकू है | 5% |
| | 2404.50 | - | तंबाकू की नसवार और निर्मितियां, जिनमें तंबाकू की नसवार किसी भी अनुपात में हो | 10% |
| | 2404.99 | -- | अन्य | 10%" । |

# आठवीं अनुसूची

**[धारा 109(1) देखिए]**

| क्र. सं0 | अधिसूचना सं0 और तारीख | संशोधन | संशोधन के प्रभावी होने की तारीख |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | सा.का.नि. 465 (अ),-- तारीख 3 मई, 1990 (169/90- सीमाशुल्क, तारीख 3 मई, 1990) | (i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :---<br>"(iii) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी।"। | 3 मई, 1990 |
| 2. | सा.का.नि. 423 (अ),-- तारीख 20 अप्रैल, 1992 (160/92-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1992) | (i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (iii) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--<br>"(iv) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने या ऐसी निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक निर्यात बाध्यता में कमी के नियमन की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा माफी दी जा सकेगी।"। | 20 अप्रैल, 1992 |
| 3. | सा.का.नि. 946 (अ),-- तारीख 28 दिसंबर, 1992 (307 / 92-सीमाशुल्क, तारीख 28 दिसंबर, 1992) | (i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--<br>"(v) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने या ऐसी निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक निर्यात बाध्यता में कमी के नियमन की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा माफी दी जा सकेगी।"। | 28 दिसबंर, 1992 |
| 4. | सा.का.नि. 417 (अ),-- तारीख 14 मई, 1993 (122 / 93, सीमाशुल्क, तारीख 14 मई, 1993) | (i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (iii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--<br>"(iv) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने या ऐसी निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक निर्यात बाध्यता में कमी के नियमन की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा माफी दी जा सकेगी।"। | 14 मई, 1993 |